

Order, 1961 published in Notification No. G.S.R. 781, dated the 10th June, 1961. (Placed in Library. See No. LT-3024/61.)

12-02 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SIXTY-FOURTH REPORT

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): I beg to move:

"That this House agrees with the Sixty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 7th August, 1961."

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Sixty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 7th August, 1961."

The motion was adopted.

12-03 hrs.

MOTION RE: REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

The Deputy Minister of Home Affairs (Shrimati Alva): I beg to move:

"That this House takes note of the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1959-60, laid on the Table of the House on the 24th April, 1961."

This is the Ninth Annual Report as prepared by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is time for stock taking, since nine reports have been presented, as to the achievements that we have made in the field of welfare of the under-privileged and also to take

stock of the shortcomings that we still suffer from.

Sir, it was at your suggestion last time, when the report was discussed, that an informal meeting was held. We are grateful to you for that suggestion, and I am also grateful to the hon. Members who met us informally and put their points of view as far as the implementation of the schemes that are laid down in the report is concerned. Two informal meetings were held. Some of the points that were raised by the hon. Members were very practical suggestions, and we have conveyed these suggestions, and our directions, both to the State Governments as well as to the Union Territories. You, Sir, had suggested the informal meeting so that the debate, instead of being rambling in nature, could be focussed and concentrated on the main essentials. And today, I hope, the debate will be conducted in that spirit, and the essentials of the schemes and the manner in which they will have to be implemented will be brought out clearly as hon. Members, one by one, lay their suggestions before the House.

When we discuss this report the main thing to remember is that in the actual execution all the welfare schemes have to be implemented at the State level. Therefore, the State Governments have to pay as much attention as Members do here and as much as we in the Centre do in order to implement the schemes in their own respective States.

Some States have undertaken to discuss this report as far as it concerns them. We should suggest that more States should discuss this report, that part of the report that concerns each respective State, in the State Assemblies and the State Upper Houses, for the simple reason that if the implementation has to be done there, the focussing and concentration on these matters has also to be done in the State Legislatures. We can only guide them and give directions from the Centre.

[Shrimati Alva]

The main object of the provisions as laid down in the Constitution is to safeguard and to ensure the welfare of certain classes of the people, namely the under-privileged classes known as the Scheduled Classes and Scheduled Tribes and the de-notified Tribes. But it is not that this is the only scheme and that the special allotments are the only allotments for the welfare of this section of the people. The whole Plan, by and large, builds up the entire nation; and, therefore, two-thirds or even more of the general Five Year Plan also goes to benefit the socio-economic conditions of the under-privileged section of the people.

As I have already said, those who suffer from social disabilities, and especially those who live in isolation from what we term as the progressive way of life, have to be approached, and we have to work for them in a far greater measure than we have done in the past. If our schemes are to be implemented within the target of time that we have laid before us, then we should take stock of the affairs in the world of this under-privileged section. The Central Government provides financial assistance to a limited extent and gives guidance. Nevertheless, with all that we have been doing and attempting to do from year to year during the period of these nine reports, there still remains a lot of work to be done. And, therefore, there is the criticism that is laid at our doors, rightly or wrongly, and we shall face this challenge of the criticism.

It is said that the provision made for the scheduled castes and scheduled tribes is inadequate, considering the size of the population of this particular section. But I may remind the House once again that whatever provision is especially allocated for the welfare of these sections of people is only supplemental, and the general developmental schemes cover the whole plan.

Of course, after nine years our attention is directed more and more

towards that section within this section of the under-privileged people who have suffered most, namely, the scavengers, the sweepers, the tanners and those doing work which is degrading to a human being. Whatever we may say about any section of the people, it remains true that a greater part of the population of the country has to make up the leeway.

It is true that there are sections and sections of people. But still in the Third Five Year Plan as it is envisaged—it was given to us only yesterday, it is a bulky volume, nevertheless a very precious volume—we have met the challenges facing the nation, and we want to build up the nation. And within the programme, the people known as the under-privileged people must find their rightful place.

The grants and aid for the scheduled castes have been given during the past Plans for publicity, propaganda and for the removal of untouchability. If untouchability could be removed by legislation, then we have a law by which untouchability stands abolished. But laws by themselves can never bring about that type of reform in the lives of human beings or in their welfare: the laws have to be backed by public opinion.

In respect of the scheduled tribes assistance has been given in the past for activities including education, economic uplift, health, housing and so on. As I have said in the past in this House, it is prosperity that is the greatest leveller. Unless you build those sections of the people at a higher socio-economic level than they are now, it is very difficult to eradicate both untouchability or to line them up with us who call ourselves progressive.

In the First Plan, the allotment was very small. It has gradually increased from Five year plan to Five year plan. In the First plan, Rs. 20 crores were allocated for the State sector and Rs. 19 crores for the Central sector. In the Second plan, it was Rs. 59 crores

in the State sector and Rs. 32 crores in the Central sector. Now, we have come to the Third Plan which must be focussed today. In the Third Plan, the allocation is Rs. 78.90 crores in the State sector and Rs. 27 crores in the Central sector which brings the total to the figure of Rs. 105.90 crores. Although in the Central sector, the financial allocation is Rs. 27 crores, the physical programme is put down to the sum of Rs. 35 crores. Therefore, the total, as I said would be Rs. 113.90 crores. Though the financial allocation is much less than the physical programme, we hope to fulfil the physical programme during the five year plan period.

During the period of the Second Plan, there was no principle laid down as to which scheme should be included in the Central sector. We were trying different ways. With the valuable suggestions coming not only from the States but also from those who are actually individually working in this field—a very difficult field—and also hon. Members here at the Centre who guide us from time to time, we were able to sort out things and in the Third Plan it has been decided that it will be proper if in the Central sector only specific schemes should be included and that it is necessary to ensure a uniform pace of development all over the country. Therefore, the sum of Rs. 27 crores which is the financial target is proposed to be increased to Rs. 35 crores which would be the physical programme and, therefore, the physical target that we should achieve before the Third Plan runs out its course. The physical programme for the Scheduled Castes is Rs. 21 crores and 75.60 lakhs and the financial allocation is Rs. 16 crores and 15 lakhs. This is for the Scheduled Castes in the Third Plan. For the Scheduled Tribes, it is Rs. 825 lakhs and the financial allocation is Rs. 7 crores. You will see that the physical programme outreaches the financial allocation made. We hope that momentum will gather and we shall step up the financial allocation to reach the physical programme that we envisage.

That, of course, will depend not only on the personnel; it will depend upon our enthusiasm, upon the manner in which we are able to create enthusiasm outside amongst the people. It depends also on the manner in which we are able to improve and focus attention at every level from the village right up to the capital. In the Third Plan, the total provision as approved by the National Development Council at the last meeting was Rs. 78.90 crores. As I have already said, the break-up would be Rs. 38 crores and 14.58 lakhs for Scheduled Tribes, Rs. 31 crores and 89.36 lakhs for Scheduled Castes and Rs. 8 crores and 52.14 lakhs for development and other schemes.

Besides this programme that we lay down and the targets that we repeat here as laid down in the Five Year Plan, as laid down in the Budget and as laid down from time to time by the various conferences, we have to take note of the fact that the States are constantly in touch with the Centre. At the last two conferences of the Ministers who are attending to welfare programmes and welfare work in the States with the Home Minister here in Delhi, it was recommended that the allocation should be substantially increased in the Third Plan. So, the consensus of opinion or rather, may I say, the unanimous opinion was that the State and the Central allocation should be increased. All of us are aware how much time and energy and concentration the late Home Minister Shri G. B. Pant gave to this good work in the country. He was on the point of impatience every time when the work was not implemented in any corner of the country. Those who had known his mind would be convinced that he had given his heart and soul to this work of ameliorating the condition of the under-privileged section of the people. That work is now on the shoulders of our present Home Minister who is conducting himself with the same zeal and the same impatience. The task which was left undone by the late Home Minister is carried on by the present Home Minister with the

[Shrimati Alva]

Planning Commission. And yet, decision has not been taken whether the allocation should be increased. We do hope that the allocation will be increased. Nevertheless, that should not deter us from going ahead with our programme.

Then, I come to the other controversial subject, namely, Tribal development blocks. At the last discussion that we had in this House, the Tribal development blocks that were then known as special multi-purpose blocks came in for criticism. It is true that some of the blocks were not run well and some of the blocks had invited criticism because of certain lacunae and lapses. In the Second plan, 43 blocks that were opened faced criticism. For the examination of these blocks as criticisms came in, we appointed the Elwin Committee. This Committee went into the working of the Tribal blocks and made certain recommendations and a decision was taken that Tribal development blocks should be granted in certain regions of the country, namely in areas with 66 and 2/3rds or more of tribal population, with about 200 square miles and roughly 25,000 of total population—would have one block. Besides that, it was decided that the blocks will be constituted irrespective of their location in or outside the Scheduled areas wherever they can be demarcated as rational permanent administrative units. There has been an overall change in approach so that the Tribal Development blocks from now should work well in the Third Plan. Because, in the Third Five Year Plan, the number of blocks have to be augmented to the figure of roughly 300 blocks. Roughly 300 blocks must come into being by the time the Third Plan runs out.

How is this going to be done? It has to be done state-wise. If hon. Members want me to give them details, I would not mind giving details. They would be: Andhra 15, Assam 37, Bihar 48, Gujarat 39, Kerala 1, Madhya Pradesh 56, Maharashtra 16, Orissa 57,

Punjab 2, Rajasthan 11, Himachal Pradesh 2, Manipur 7, Tripura 3. The total comes to 294. Six more blocks remain to be allotted. The phasing of these new blocks that would be coming in such large numbers would be very important. The phasing of the Tribal blocks would be 10 per cent., 10 per cent., 25 per cent. and 35 per cent. in the first, second, third, fourth and fifth year. In the fourth and fifth years, it will be 35 per cent., but what would be important to note is how many blocks would come into existence in the current year. In the current year, namely 1961-62, 30 blocks would be opened or should be opened, if we can keep up to our Plan and our target.

Then, I come to another matter which has been focussed in this House and in the other House many a time, and which has been receiving attention from the highest to the lowest quarter, namely the condition of the scavenging class. It is heartening to note that society is at last awakening itself to the existence of this poor human being or this poor individual who was completely forgotten down the centuries, whether we talked of Scheduled Castes or others; even among the Scheduled Castes, the scavenger was forgotten. Now that he has become an entity in society, he must be given an individuality, and we have to work for the scavenger class.

The Centre is willing to give 50 per cent. of assistance, but there has to be some kind of motivation created at the State level, in the local boards and in the municipalities. There are enough funds, but the funds are not taken or lifted from the Centre and the States, because there is not sufficient awakening in the sense of a realisation to help these people to get out of this most degrading practice that has been known in India at least for centuries past. In this matter also, it was the Malkanj Committee that went into the condition of the scavenging class and produced a report with, I think, about 272 or 274 recommendations. This

report is under examination. The recommendations are too many, but the number of recommendations should not frighten us. Whatever is practical and whatever could be implemented immediately must be taken in hand. But the Centre can do very little except perhaps in its own Union Territories, when it might be able to guide and direct and perhaps even coerce people into using the proper means for removing the night soil load, so that the human being need not revel, as I said, in the filthy occupation that he has.

The Estimates Committee also, we are happy to note, focussed attention on this and suggested that the Central Co-ordinating Committee of representatives of the various Ministries concerned should work on this project, so that scavenging could take a new look in the country. The time has come when scavenging has to take a new look in the country, and it is how we look upon this scavenging work that will improve the lot of the scavenger. When you go abroad and when you visit the most advanced countries of the world, you find that scavenging has become a respectable occupation. Why should it not be so in India also which is developing so fast and where we are also looking up? Therefore, no stigma should be attached to scavenging. Though it is an ancestral work that has been carried on from generation to generation, nevertheless, we must make an attempt and see that this contract system which has been going on in scavenging in the country from father to son or from one family to another or from one generation to another should be broken now; and this barrier can be broken now only with an enlightened approach. The money is there. The Estimates Committee's report is with us, and according to the suggestion made by the Estimates Committee, we have appointed a committee with the Social Secretary in the Home Ministry as its chairman.

Then, we come to the most controversial subject, namely the

reservation in services. It is true that we have given reservation to the extent of 12½ per cent of vacancies in the services of the Government of India filled up on the basis of an all-India competitive recruitment, and 16-2/3 per cent of vacancies for recruitment otherwise than by open competition, 5 per cent. are to be taken in from among Scheduled Tribes by competition and otherwise. The main fact remains that enough numbers are not forthcoming, which makes sometimes you and sometimes me to question as to why enough numbers are not forthcoming. Nevertheless, these percentages should not matter any more, provided we get the right type of human material ripe and ready to undertake the services that we have reserved for them.

The Centre has also been sending suggestions and instructions to the States as to how they should recruit personnel from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in their services. Where recruitment is made on a regional basis, the percentage of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is to be in proportion to their population in the region, but 5 per cent. minimum is reserved for the Scheduled Tribes.

The Scheduled Castes have been doing better and better every year, but the Scheduled Tribes have to make up a very long leeway. We hope that with the better facilities of education and with better facilities for the growing of the socio-economic base of their life, they should also catch up and if not raise the percentage, at least fill the percentage that has been reserved for them.

A lot of relaxation has been made on different fronts for these two sections of the people, namely the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Special measures have been taken by which the age-limit is relaxed by 5 years in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. As far as the fees payable for the competitive examinations are concerned, they have been reduced to

[Shrimati Alva]

one-fourth of the fees prescribed, so that it would be easy for them to appear for the selection examinations or competitive examinations. The standard of suitability has also been lowered. Nevertheless, the entrant should not run away with the idea that because he falls within a particular category or class he could always work at that lowered standard of suitability or lowered efficiency. That would be very wrong. I think that every individual, at whatever level he may come, should make up his mind to say that he could stand with the rest of his colleagues and fight for promotion or for entry into any examination, with his own courage and ability and efficiency.

The experience up till now has proved that there are not enough candidates forthcoming. It would be interesting if I just read out the Table regarding Central Government employment as it stands on 1st January, 1960. It runs thus:

	Total number of employees	Sche- duled Castes	Sche- duled Tribes
Class I	11,378	127	23
Class II	22,213	532	162
Class III	8,69,02,221	62,215	8,168
Class IV (excluding sweepers)	9,24,00,336	15,09,251	27,227

The figures of employment have been steadily rising, and rising in every category of employment under the Government of India. What we still want, and what we still hope for is that the figures will rise in class I and class II faster than they have done in the past.

As far as reservation and promotion go, the position is that the reservation orders apply only to direct recruitment and not to promotion posts except where promotion is made on the basis of departmental and competitive examinations which are limited to departmental candidates. There-

fore, the question of reservation for promotion is still under consideration, as to whether we have to take again the limited suitability for promotion also. In the meanwhile, the Government Departments have been instructed that sympathy be shown in the matter of promotion to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the meantime, the Supreme Court also has ruled that there is no bar to the Central Government making reservation in posts filled by promotion. All these facts are before us, and so, from here onwards, we proceed to consider as to how to satisfy the quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of recruitment at various levels and in various categories of Government employment. Whether Government's policy is to be revised as far as promotion posts are concerned is, as I said, still under consideration and very soon a decision will be taken.

When we talk of recruits, naturally we must go back to the examinations and to the coaching classes and the general education of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes boys and girls. As regards pre-examination coaching, the House is well aware that in Allahabad there has been a coaching class going on with cent per cent backing from the Centre. Assistance is given to every student, and all-India competitive examinations are held by the UPSC. So far only two courses have been completed; the third commenced in October 1960; 41 students have been admitted. Very often, the number of those who seek admission is higher than the number who actually get into the coaching class. That may be because of the personal difficulties in the way of some of the students who are not able even to leave their homes and go in for the coaching class. As I said, there are 41 in the third course which commenced in 1960.

In the meanwhile, it is heartening to know that one of the trainees in the

first course succeeded in the competitive examination held by the UPSC and was appointed to the IPS. Out of the trainees in the second course, five were called for interview in the IAS examination and nine in the Central Service examination. Even though the number is small, it is going up from year to year. Nevertheless, you and I should not be happy or complacent at this number which is growing slowly. It must grow, and grow to such an extent that they no longer need even the reservation of seats. But we will have to work hard and wait for some future date—may it not be far!—for this to be fulfilled. Actual experience shows that the number of students who actually attend the course is much smaller than expected. We are now very seriously trying to see that at least one coaching centre is opened in the south. This matter is under consideration. We are requesting the universities to undertake it. But it depends upon the universities; some universities are not for opening these classes, some are considering the matter and some have rejected the proposal outright. Therefore, we have to go on with our persuasive attitude till we see that certain classes are opened in certain centres in India to help these people.

As I said, the most important problem in connection with the welfare of these people is that of education. It is only when a community is educated that it can stand on its own legs alone. It is the socio-economic strength that gives you pride and enables you to stand upright. Education is the basis on which socio-economic strength grows. The Government of India's scheme for post-matric scholarship was designed towards this end. The number of scholarships was only 114 in 1954. It has gone up in 1959-60 to 38,657. In 1960-61, the Government of India spent Rs. 2,69,00,000 over the scheme. From this you can see how the Government of India have gone out of their way to help in the programme of imparting education to the children of these people.

During the Third Five Year Plan, the number of scholarships is bound to grow progressively. Perhaps it will not be possible for Government to grant scholarships in the unrestricted way they have done so far. Already, some hon. Members are agitated on this point and say that the means test may not be applied. If the number of students grows up to that huge number, then certainly some kind of test has to be introduced. Of all the tests, the means test would be the most harmless because it will be based on the economic condition of the guardian or the parents. Therefore, the means test has to be rationally viewed and our approach to it should be very calm and academic. If you do not agree with it, you should be able to show us which is the other way. We are prepared to receive alternate suggestions provided they are practical enough to be implemented.

This is a social welfare programme and in such a programme, we have no hard and fast rule, but we are ready to accept other suggestions provided we have the means. If the means test is not welcome, then show us the means by which we can avoid the means test. If we do not have the money to cope with the requirements of the rising number, certainly some test will have to be there so that those who really need assistance will be able to get into the educational institutions.

Personally, my own opinion is that it will not make any marked difference because ultimately what will happen by the application of the means test will be that the well-to-do among the Scheduled Castes will be able to manage without scholarships. One must also face the fact that there are students in this community whose parents have the means to educate them, but still they get the benefit of the scholarships which are assigned specially for Scheduled Castes students. Therefore, we shall have to keep our eyes open, taking along the difficulties in our stride and facing them in the most rational and academic way. •

[Shrimati Alva]

Then I come to the other backward classes. The means test is there for the backward classes—and it will be extended to the Scheduled Castes now. As regards these classes, the House is aware of what the late Home Minister told us, how difficult it was to arrive at a criterion by which to judge backwardness. Who is backward and for what reason should a man, woman or family or section of people be called backward? This is still not decided. However, the matter has now reached the Cabinet and it is looking into the designation of 'other backward classes'. We hope that some kind of guidance and direction will be forthcoming so that it will be much easier in future to work for the other backward classes. Of course, it has been tentatively decided that the economic criterion would be the best criterion. But then it is not final. It is left to the State Governments to choose the criteria for defining backward classes. I think that solution also is very sound, because ultimately it is the State Governments who have to face the problem, be it of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or demotified Tribes or other backward classes. Therefore, it is better to give them free scope to choose their own criteria in the programme to help the other backward classes. Nevertheless, the Government of India have expressed the view that it would be better to apply the economic test than to go by caste. I am sure the House will agree with me that the sooner we eradicate caste from our books and our minds, the better it will be. We should call them other backward classes.

We are going ahead in the field of tribal welfare. The Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission has completed its work under the chairmanship of Shri Dhebar and their Report is being got ready. It will be before the House very soon when we shall have the benefit of knowing exactly about the tribal welfare work

that has been conducted, where it has been neglected, what is the manner in which it has to be undertaken and the manner in which it has to be implemented.

Finally—I have already taken a long time in this six-hour debate—I will end up by making a mention about voluntary organisations. I place these voluntary organisations higher than some of our governmental organisations. That is my personal opinion about voluntary organisations, because when a man or woman sets out to work in that field, it should be done with a missionary zeal. We have been repeating this year in and year out. Still I do not find the number of these missionaries increasing. Therefore, voluntary organisations are welcome, but we would like the voluntary organisations to recruit and train the right type of people. Just I or you cannot do the work. There may be just one in ten thousand who can work for the welfare of the rest. It depends on the right type of individuals. Therefore, while continuing to give assistance to voluntary organisations, we have laid down certain conditions to satisfy ourselves that the work is being done, and that no lapses occur.

A lot of work has been done in the past by way of propaganda for removal of untouchability, film shows, opening of ashrams, training of tribal officers etc., which will be mentioned as the debate proceeds. Nevertheless, it is not the institution that improves the lot of the people. It is the personnel, the right type of men and women that take the country ahead.

We hope that in the debate that follows, we shall have very practical suggestions from Members so that we can improve our approach to this huge task which has been substantially completed, but which still remains a challenge to us.

Mr. Speaker: May I ask the hon. Minister a question before I place the

motion before the House? I was recently asked to preside over a conference of ex-criminal tribes at Hubli. Is there anything here specially for the ex-criminal tribes who have been released from confinement. During the British period, some people were declared criminal tribes by birth, and every child had to be confined.

Shrimati Alva: We have done away with it now.

Mr. Speaker: Is there any provision now?

Shrimati Alva: The denotified tribes have special allocation. They are known as denotified tribes, or *vimukta jati*, and every State has undertaken the work. This stigma that they had at birth of being criminals has been abolished.

Mr. Speaker: I am talking of their economic condition.

Shrimati Alva: Their economic condition is being improved along with the rest of the Scheduled Tribes. Special attention is paid to these people.

The Deputy Minister of Community Development and Co-operation (Shri B. S. Murthy): *Vimukta Jati* has also got its own unsavoury flavour.

Mr. Speaker: Unless their economic condition is improved, and the children are separated from their parents, they will once again become criminal tribes, more dangerous than the others.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): They are provided alternative jobs.

Shrimati Alva: You referred to Hubli. I have known these tribes in Hubli for the last 25 years. Originally, the work was done by the missionaries there, and they used to be kept in closed institutions, but since then the State has taken it up, and very great work has been done. There may be some ugly aspects to

their life even today, but the work has not been completed.

Shri Thimmaiah (Kolar-Reserved—Sch. Castes): They have all become Christians now.

Mr. Speaker: Motion moved:

“That this House takes note of the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1959-60, laid on the Table of the House on the 24th April, 1961.”

Shri M. R. Krishna. Not more than 15 minutes. If hon. Members take 10 minutes, I can accommodate more Members.

Shri M. R. Krishna (Karimanagar-Reserved—Sch. Castes): We are very thankful to you for allowing the Report of the Scheduled Castes Commissioner to be discussed in the first days of this session. Not only that. You have introduced a new system, that before the report is discussed in this House, Members belonging to these communities should sit with the Minister concerned, discuss it threadbare and make their suggestions. That we have already done.

I do not dispute the account given by the Deputy Minister. We do know that the Government of India are making all attempts to help these communities, but the fact remains that there is no proper machinery with the Government of India to see whether these schemes for which they are financing, are properly implemented by the State Governments, whether the money granted is spent in time. All these things definitely need an effective agency.

This is the ninth report of the Commissioner. This report also, like the previous reports, brings out various kinds of ill-treatment meted out to

these communities. The non-implementation of various programmes chalked out by the Government of India and many other things.

The Commissioner has mentioned an incident which occurred in Rohtak District, in Punjab. That is quite a glaring picture to show that even after the achievement of independence, the people belonging to these communities are subjected to various harsh treatments. A garland of shoes was presented to a member belonging to the Scheduled Caste community, he was made to walk in the streets, he was beaten blue simply because he did not supply a chicken free. This kind of inhuman treatment is still being given to the members of the Scheduled Castes.

There are other instances in his report of interest. My own State, with which you, Sir, are very well conversant, has brought out a report from the Collectors that there is no untouchability in any part of the State. People from any other part of the country may believe it, but as one coming from Andhra Pradesh, you yourself will never agree with this kind of fantastic information given by the Collectors, and that too, to be supplied to the Government of India. I do not have the time to refer to all the things that the Commissioner has brought out in his report.

When the framers of the Constitution created the institution of the Commissioner to work directly under the President, they perhaps thought that a report from such a high official was definitely going to bring a lot of good to the community. They expected too much from the State Governments. They thought the moment things were discussed in this House, the State Governments would take note of them and try honestly to implement the programmes, but, unfortunately, in these 11 years we have found the State Governments have become very slack; they do not even try to give authen-

tic information to the Commissioner and the Assistant Commissioners in the States.

Therefore, I feel that unless there is an effective agency functioning in the States on behalf of the Government of India, whatever the intentions of the Government of India or the programmes they finance, they are not going to benefit the Scheduled Castes.

There is one instance which the Commissioner has very well brought out in his report, when dealing with the amount spent under the Second Plan. He says the State Governments have found a very convenient method of transferring funds to the personal accounts of the officers who are supposed to execute the schemes. He has mentioned Rajasthan, Bihar and various other places. He has used strong language and said, "this practice of transferring the funds to the personal ledger of the officers and show them as spent when they have actually not been spent, should be stopped." This is enough for the Government of India to know in what way the State Governments are functioning.

There is an institution in Denmark called *Ombudsmand* which plays the vital role of hearing and investigating complaints, pronouncing judgment and warranting action. That is the type of agency which I think the Government of India should create in order to see that the funds allotted to the States are properly utilised. If the Constitution does not permit the Commissioner to be clothed with this kind of power, this House is competent to amend the Constitution and create such an agency. The Commissioner can remain a reporting agency. Otherwise, whatever the Government of India might be interested in doing, it will remain a pious hope.

The hon. Deputy Home Minister was speaking about bhangis. The Government of India has constituted a

special committee with regard to them instead of quoting elaborately from the report I will request the hon. Deputy Minister to see that the bhangis who are appointed by a sister department, that is the Defence Ministry, are covered by its recommendations. Let the Defence Ministry first put into action all the recommendations of this committee. The bhangis perform a filthy job and they have to be provided with clean uniforms, gloves and other equipment so that they may function in a clean manner. Let the Defence Ministry first put these things into practice. I can understand the State Governments not accepting the suggestions of various committees but I cannot understand why the Defence Ministry is not able to implement what the Home Ministry is trying to advocate for the bhangis.

The Defence Ministry has only to ask the cantonments and the Military writs under them to introduce this kind of a system to help the bhangis. If it could not be done, the Home Ministry with all the powerful people in it will not be able to induce the State Governments to accept those recommendations. If instead of speaking too much about *bhangis*, we put these suggestions into practice, I think we will be able to do them a great deal of service. We have to depend upon the State Governments for implementation of all the programmes. We do not know what is going to happen to the funds provided by the Central Government when the panchayati raj comes. Because these panchayats are just in the infant stage and they have not yet gained much experience. Even though they may be well intentioned, I do not know under what restrictions they will be functioning and how far they will be able to do good service to the Scheduled Castes. I would definitely like to have some machinery in the State level, consisting of Secretaries of all the development departments under the chairmanship of the Minister in charge of social welfare. This Committee should not just meet once in two years. This should be a committee with specific powers assigned to it. If it is, for instance, a matter

of digging wells for drinking water, the number of wells that is to be sunk in the various villages should be given to this committee. If the house sites have to be procured for the Scheduled Castes, this committee should look to it. Under second plan Government of India earmarked some money for the purchase of house sites and I do not think any State Government has fully utilised that money. This committee can be entrusted with the responsibility of procuring house sites in every State and utilising fully the money provided by the Government of India or the State Governments. Other items such as distribution of lands and assistance for developing the land, etc. could also be the responsibility of this committee. It has to meet regularly and decide the things. If such a committee is set up at the State level, I think much good can be expected from it. Even in the Centre, I will not hesitate to suggest that there should be a separate department to deal with the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I do not say that the Minister or the Ministers in the Home Ministry have least interest in this community but the system in which they are working is such that they are not able to concentrate much on these ideas. Therefore, it would be proper for me to suggest that there should be a separate department to focus constant attention on the welfare of the Scheduled Castes in the States.

There is a lot of talk about reservation in promotions. Recently, the Supreme Court has given its decision that it is not contrary to the Constitution. They have upheld what has been done by the Railway Ministry in creating reservations in promotions. The hon. Members who are opposed to this kind of a system should think of the things which have been done by the Madras Government, sometime in the 1930s when the communal G.O. was introduced. There was some agitation. So, they cannot but propagate against saying that inefficiency will increase if the Scheduled Caste Members are given this opportunity. There were really brilliant people who

[Shri M. R. Krishna]

could understand things better and they were courageous enough to face such opposition. Today, the administration in Madras is not in any way inferior to any other State Government because they have introduced communal G.O. Similarly, in Andhra Pradesh, this system was prevalent in some departments. The present Chief Minister spread it to other departments. There were some rules prevalent in Andhra Pradesh and not prevalent in Telangana and the Assembly had to give powers in order to have a uniform set of rules for the whole of Andhra Pradesh. On the same lines when the Chief Minister tried to spread this rule to some other departments, there was a hue and cry. But nobody tries to understand what are the conditions laid down for such a kind of promotion. It should not be imagined that anybody, particularly a Scheduled Caste in the lowest rung in the administration is going to get automatic promotion. There are of course some interested parties who are trying to create this kind of a feeling and they try to give a picture as if every Scheduled Caste who is promoted is going to supersede many other people who have put in a lot of service in other departments. That is not a correct picture. The rules laid down by the Andhra Pradesh Government for giving such promotions are very rigid. A man has to put in a number of years' service and has to pass through very rigid tests. Unless he qualifies himself in the test, he is not entitled to get any promotion. Members of the Scheduled Caste community do not want that anything should be done to them at the cost of efficiency in the administration of the country. I do not know what kind of imagination these people have when they say that because 12 or 14 Scheduled Caste people are promoted out of 100 inefficiency will grow. If the rest 88 per cent are efficient and competent people, these 12 per cent of the Scheduled Caste people are not going to make the administration completely inefficient. It can only happen if more

than 50 per cent of the other 88 per cent are selected because of favouritism. My own State, Hyderabad, had a peculiar regime; it was under a hereditary rule under the Muslims. The Government of India would know vividly the sort of people who were appointed if they only appoint a committee to find that out. They will know what type of people got into service and what places they are occupying today. If these things are known, then I do not think that anybody would have the guts to say that the administration is going to become inefficient if Scheduled Castes people are promoted. Integration of States took place then many others got promotions. This kind of thing happens in every State. We do not want to fill in vacancies for which we are not competent. If you find competent people, then give them some encouragement. It will not be difficult for the administration to find out the top people for every service. There are people who have put in 10-20 years of service. If you want to encourage the Scheduled Caste people, you can pick out the topmost people who have got experience and very good credentials. All kinds of conditions could be levied and then the people could be picked up. But if you just say that if out of 100 people 12 Scheduled Caste people are picked up, the whole administration is going to become inefficient, I think no sane man can ever accept that argument.

13 hrs.

Mr. Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri M. R. Krishna: The means test is another very important point which has been referred to in the speech of the hon. Minister. I will be the first man to suggest the means test if the hon. Minister or the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes could tell this House the number of Scheduled Caste people who have become self-sufficient, sound and solvent.

An Hon. Member: Not even one per cent.

Shri M. R. Krishna: Not even one per cent. Even the Education Ministry which wanted to introduce this means test has only a vague idea in saying that nearly ten per cent of the Scheduled Castes must have become economically sound. If you take the Ministers and the Members of Parliament, even out of the Members of Parliament, I know many of them do not have the means to send their children to a public school or to a good institution.

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): We do not send our children to the public schools.

Shri M. R. Krishna: There are many Ministers who speak only about the basic schools but they send their children only to the public schools and not the basic schools. (*Interruption*).

Shrimati Renu Chakravartty: Do not send your children to the public schools.

Shri M. R. Krishna: Let me not argue on that point, but just a word if they go to the public school, our children will have again to sit down for the test or for an examination with the boys who come out of the public schools. I need not say how they are selected as cadets for the Defence services. Even to get the scholarship, to join the Sainik school, they will have to undergo a test or sit in the examination with the boys from the public schools. Do you think that the boy who is coming from a village school will be able to sit in competition with the boy who has come out from the public school? I do not think any boy will be able to get through the test unless he comes from a very good school. Therefore I want better foundation for Scheduled Castes and Tribes.

You are giving scholarships to the Scheduled Caste boys to go abroad. But how many of them avail themselves of these facilities? I do not think the number is more than two; even

though the scholarships are 12, who gets these scholarships? Because they have to compete with the backward classes, and sit in competition with the backward classes, all these scholarships go to the backward classes. I cannot complain against it. The system is very wrong. The very system of competition with Backward Classes is wrong. Therefore, I cannot complain against all these things. If you want really that these boys should compete with the rest of the people it cannot help. You make them a class and let them try to compete, and then, whoever is best amongst them, should be given all kinds of encouragement.

An Hon. Member: So, means test is not necessary?

Shri M. R. Krishna: It is only for half per cent. I do not want all the Scheduled Caste boys to be subjected to all kinds of difficulties. The boy has to go and get a certificate from the tahsildar. The greatest danger I am finding in this is in regard to the getting of the certificate about the means or the income. Now the panchayats are coming, and the boys will have to go to an influential person in the village to get an income certificate. To get that certificate, I do not know what difficulties will the boys have to face. Today, with all the good intentions of the Home Ministry, the scholarships amounts do not reach the States. Not even an indication has been given to the States that so much will be given to them to be disbursed to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by way of scholarships. When that is the position today, if the means test is applied, I do not think even those 99½ per cent of children from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are legally entitled for the scholarship will be able to get the income certificate in time and get their scholarship in time. Therefore, to eliminate half per cent of the persons, your test is going to be for all the people; it is going to be a big ordeal. Instead of helping the Scheduled Castes you will only be creating a

[Shri M. R. Krishna]

feeling among them that you are trying to deprive them of their education.

I would next like to refer to the Plan amount. You have been kind enough to allow a discussion of the report.

Mr. Speaker: I have been repeatedly suggesting various methods by which hon. Members may collectively address themselves to all the points that have been raised in the report. That is why I also suggested that a conference of all the Members concerned may be arranged in the Central Hall. That seems to have been done. But so far as this discussion is concerned, each hon. Member wants to lay the emphasis on the same point. The hon. Member must leave something for the others!

Shri M. R. Krishna: This is the last point that I am going to make. The conference to which you have referred was held recently. Your intention was also to see that whatever recommendations we want to make in this House could as well be made in that conference so that the Ministry and the Planning Commission can take note of them and try to help. But even though the Study Group have said that the views of the Members have been accepted, I do not think they have really respected the views of the Members because, even though there is some increment in the amount set apart for the tribals, there is no increment in the amount which has been set apart for the Scheduled Castes. I want the hon. Minister to take this into account and see that something is done to enhance that amount and fulfil the Targets. She should also see that the objection raised by the Commissioner is not repeated, namely, that the State Governments transferring the amounts to various other heads.

Mr. Speaker: I would also suggest, as was suggested earlier, that in the conference which was mentioned, a

standing committee of members representing the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be brought into existence, who, from time to time, will take up these matters with the Ministers.

Shrimati Alva: There is an all-India Advisory Committee for Harijan welfare and Tribal welfare, in which M.P.s are also represented.

Mr. Speaker: Very good.

श्री प्रकाशचौर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों के कमिश्नर ने जो अपनी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसे पढ़ने के पश्चात् मैं सब से पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकारी विभागों की अब तक जो रिपोर्टें इस सदन को प्राप्त होनी रहीं हैं, जिनकी व्यवस्थित रिपोर्ट यह प्राप्त हुई है अथवा इससे पहले भी जो इस विभाग की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उनको देखते हुए मेरा अपना अनुमान है कि दूसरे विभागों का इसका अनुकरण करना चाहिये। साथ ही जहाँ तक मेरी वैयक्तिक जानकारी है उस आधार पर भी मैं कह सकता हूँ कि इस विभाग के आयुक्त ने न केवल रिपोर्ट को तैयार करने में ही शक्ति लगाई है अपितु स्थान स्थान पर जाकर जन जातियों के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त की है और उस सम्बन्ध में जो अपने मुझाव दिये हैं वह मुझाव केन्द्रीय सरकार के लिये ही नहीं अपितु राज्य सरकारों के लिये भी माननीय हैं और माननीय ही नहीं अपितु राज्य सरकारों के लिये भी माननीय हैं और माननीय ही नहीं अपितु शीघ्रता के साथ उन पर कुछ कार्यवाही भी होनी चाहिए।

मैं एक विशेष बात जिसको कि गत वर्ष भी मैंने इस रिपोर्ट की चर्चा के सिलसिले में उठाया था, आज फिर उसको दुहराना चाहता हूँ। आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात को कहा है कि राज्य सरकारों को पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये जितनी शीघ्रता

से और तत्परता से कार्य करना चाहिए था, राज्य सरकारें अभी तक उस दिशा में उतनी सतर्क होकर सहयोग नहीं दे रही हैं। उनका अपना अनुमान संभवतः यह है कि यह कार्य केवल पिछड़े वर्गों के कमिश्नर का है और उन्हें ही यह सारा काम करना है लेकिन मेरा अपना अनुमान इस प्रकार का है कि संविधान में यह जो धारा रखी गई है कि पिछड़े वर्गों को, जनजातियों को और जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी उन्नति करने के लिए इस प्रकार के विभाग की स्थापना की जाएगी तो यह दायित्व केवल इस विभाग के कमिश्नर या केन्द्रीय सरकार का ही नहीं था अपितु उसमें देश की सभी वह सरकारें सम्मिलित थीं जो कि राज्य सरकारें कहलाती हैं।

आयुक्त की रिपोर्ट को देखने से प्रतीत होता है कि उन्होंने उतनी तत्परता से कार्य नहीं किया है। मेरा अपना अनुमान है कि जहां मैं इस सदन में आपके द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार का संकेत दू कि वे इस दिशा में सतर्क हो कर कार्य करें वहां साथ ही साथ एक आवश्यक कार्यवाही इस विषय में यह भी हो सकती है कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर को इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएं कि वह प्रान्तों में कुछ असिस्टेंट कमिश्नर्स की नियुक्ति करें जो कि उन प्रान्तों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी लेकर उनको दे सकें तो मेरा अपना अनुमान है कि इससे कार्य में सुगमता पैदा होगी और उस कार्य को और वृद्धि भी दी जा सकेगी।

साथ ही साथ एक दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देने का सम्बन्ध है अभी पीछे एक आध घंटे की चर्चा प्रस्तुत करते हुए मैंने इस विषय में सरकार से अनुरोध किया था कि हम क्यों नहीं इस बात के लिये यत्नशील होते कि

पिछड़े क्षेत्रों में जिनके कि ऊपर हम इतनी बड़ी धन राशि व्यय कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों के कमिश्नर महोदय जब अपनी वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं तो उसमें इतने आंकड़े अवश्य दें कि इतने प्रतिशत लोग इस प्रकार के हो गये हैं, जिनको अब सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है—इतने प्रतिशत लोगों का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि अब वे सरकारी सहायता की अपेक्षा नहीं रखते। मेरा अनुमान है कि ऐसा करने से दो लाभ होंगे। जो वर्ग सरकारी सहायता और अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप इतना उन्नत और सावधान हो चुका है कि अब उसको और सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जो सरकारी सहायता के वस्तुतः अधिकारी हैं, उनको वह सहायता मिलने से पहले ही उस को हड़प लेता है, अगर उसको पृथक कर दिया जायगा, तो वह सहायता उन लोगों को पहुंचने लग जायेगी, जो कि उसके वास्तविक अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त कमिश्नर महोदय के लिये भी यह एक गौरव की बात होगी कि वह हर एक वार्षिक रिपोर्ट में यह संख्या देंगे कि इस वर्ष इतने प्रतिशत लोगों को इस योग्य बना दिया गया है और उनका सामाजिक और शैक्षणिक स्तर इतना उन्नत कर दिया गया है कि अब वे सरकारी सहायता के अधिकारी नहीं रहे हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के लोगों की संख्या वार्षिक रिपोर्ट में जरूर ही दिखाई जानी चाहिए।

पहले भी इस सदन में एक विधेयक उपस्थित करते हुए मैंने यह आप्रह किया था कि सरकार को इस बात पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए कि जंगलों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले जिन भाइयों को सहायता देने के लिये हमने कमिश्नर की नियुक्ति की है और विभाग बनाया है और इसके लिये अपने बजट में एक बहुत बड़ी धन राशि रखी है, क्या वास्तव में उनको वह सहायता

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पहुंच रही है, उस घन-राशि का अपव्यय तो नहीं हो रहा है और बजाय इसके कि वह उन लोगों को सहायता देने के कार्य में लगे, वया उसी राशि से लोगों का धर्म-परिवर्तन तो नहीं किया जा रहा है, उनकी पुरानी मान्यताओं को तो नहीं बदला जा रहा है। मैंने पिछले साल भी इस सम्बन्ध में यह कहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये आंकड़े अवश्य दें कि इस वर्ष जंगली और पिछड़े हुए क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों ने अपना धर्म बदला है और जिन्होंने बदला है, क्या उन्होंने स्वेच्छा से या धार्मिक सिद्धान्तों से प्रभावित हो कर बदला है, अथवा लोभ और लालच और दबाव के कारण उनको अपना धर्म-परिवर्तन करना पड़ा है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ २०० पर पैरा २८ में कमिश्नर महोदय ने इस विषय में थोड़ा सा संकेत भी दिया है और कहा है,

“भारत जैसे धर्म-निरपेक्ष राज्यमें ईसाई व अन्य धर्म-प्रचारकों के ध्यान में जिन्होंने पहाड़ी जनता की वर्षों से जो स्वार्थरहित व भक्ति-भाव से सेवायें की हैं तथा उसके लिये वे आदर व प्रशंसा के पात्र हैं”

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति स्वार्थरहित और भक्तिभाव से लोगों की सेवा करते हैं, उन का सम्मान किया जाना चाहिये और मुझे उन के कार्य की प्रशंसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम को यह स्मरण रखना चाहिये कि महात्मा गांधी ने १९३८ में “हरिजन” में लिखा था कि इस देश में कुछ ऐसे ईसाई प्रचारक हैं, जो सेवा करते हैं, लेकिन उन की सेवा बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसी कि मछली पकड़ने वाले व्यक्तिकी होती है, जो कांटे के आगे आटा लगा कर मछली को पकड़ लेता है जिस का उद्देश्य मछली को पेट भरना नहीं, अपितु मछली को पकड़ कर अपना पेट भरना होता है। इस लिये आवश्यकता

इस बात की है कि जो व्यक्ति सेवा की भावना से नहीं, बल्कि अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रहे हैं, उस के बारे में कमिश्नर महोदय को अपनी रिपोर्ट में चिन्ता प्रकट करनी चाहिये और उन की ओर सरकार को इस विषय में गम्भीरता के साथ कुछ निर्णय लेना चाहिये।

मुझे यह कहते हुए कष्ट होता है कि सन् १९५७ में जब केन्द्रीय सरकार से यह पूछा गया कि हिन्दुस्तान में विदेशी ईसाई प्रचारकों के पास ईसाइयत के प्रचार के लिये बाहर से कितना पैसा आया है तो सरकार की ओर से यह बताया गया था कि पिछले दस बारह वर्षों में लगभग ७५ करोड़ रुपया आया है। इसके बाद १७ फरवरी, १९६१ को मैंने माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त से यह प्रश्न पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में कुल मिला कर कितना पैसा विदेशों से आया है। उन्होंने बताया कि ३९,६३ लाख रुपया पिछले तीन वर्षों में ईसाई प्रचारकों को विदेशों से आया है शायद उस बात पर भी हम को सन्तोष होता, लेकिन सरकार ने उस के साथ ही यह नोट जोड़ा था कि यह अधिकारपूर्ण भाषा में नहीं बताया जा सकता कि उक्त रुपया केवल धर्म-प्रचार पर ही व्यय हुआ है, या किन्हीं दूसरे कामों पर हुआ है।

इस रिपोर्ट में मि० एल्विन के एक वाक्य को उद्धृत किया गया है, जिसको अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने ध्यान-पूर्वक दिया है—

“बहुत से अवसरों पर प्रधान मंत्री ने इन तथ्यों का सविस्तार विवेचन किया है और कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास में बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। संसार के दूसरे भागों में आदिवासी जनता पर तथा-कथित यूरोपीय सभ्यता के घातक प्रभावों की ओर संकेत करते हुए जिन्होंने उन की कलाओं हस्तोद्योगों तथा रहन-सहन के सीधे

सादे ढंग का अन्त कर दिया है' उन्होंने यह बतलाया है कि 'यदि हम उस की रोक-थाम नहीं करते तथा उसको भली-भांति प्रयुक्त नहीं करते, तो कुछ हद तक तथा-कथित भारतीय सभ्यता का भी वही घातक प्रभाव होने का डर है' ।'

मैं समझता हूँ कि दबी हुई भाषा में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। सरकार और कमिश्नर महोदय को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि विदेशों से आ कर जो ईसाई प्रचारक ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं उन की गतिविधियों पर नजर रखी जाये और उन को अनुचित कार्य करने से रोका जाये। जो सेवा-भाव से काम कर रहे हैं, उन की मैं सराहना करता हूँ। लेकिन जिन लोगों के मस्तिष्क में दूसरी भावना भरी हुई है और एक अराष्ट्रीय दृष्टिकोण काम कर रहा है, जो भारत में पृथक्त्व की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहा है, जिस का परिचायक नागालैंड का निर्माण और झारखंड प्रान्त के निर्माण की मांग है, जो लोग हिन्दुस्तान में अराष्ट्रीय कार्यवाहियाँ कर रहे हैं, सरकार और कमिश्नर महोदय से मेरा आग्रह है कि उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। मैं कमिश्नर महोदय से निवेदन करूँगा कि वह उन अने जंगलों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाकर देखें कि वहाँ पर ईसाई प्रचारक सेवा का कार्य कर रहे हैं या उसके पीछे गैसी प्रवृत्तियाँ हैं, जो किसी भी समय हमारे स्वाधीन राष्ट्र को संकट के द्वार पर ले जा कर खड़ा कर सकती है। इस सम्बन्ध में सतर्क हो कर कार्य करना चाहिये।

जैसा कि मैंने पहले भी मुझाव दिया है, कमिश्नर महोदय को हर वर्ष अपनी रिपोर्ट में उन लोगों की संख्या देनी चाहिये कि जिन्होंने अपना धर्म-परिवर्तन किया है और साथ ही यह सूचना भी होनी चाहिये कि उन्होंने धर्म-परिवर्तन स्वेच्छा से किया है, या दबाव, लोभ और लालच से किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जैसा कि

मैं ने पहले भी इस सदन को सूचना दी है, हिन्दुस्तान में ईसाई प्रचारकों ने वही उपाय बरतने शुरू कर दिये हैं, जिन का प्रयोग पहले मुस्लिम लीग किया करती थी। उन की ओर से हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़-छाड़ करने के अतिरिक्त उन लोगों की अविद्या, गरीबी और अशिक्षा का अनुचित लाभ उठा कर पैसे के बल पर उन को अपने चंगुल में फँसाने की चेष्टा हो रही है। मुझे यह देख कर कष्ट होता है कि आज हमारी सरकार इस बात की ओर ध्यान नहीं दे रही है कि किस प्रकार हमारे देश में अनुचित उपायों को काम में ला कर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जब हम उन लोगों से पूछते हैं कि तुम ने अपना धर्म-परिवर्तन क्यों किया, तो कोई कहता है कि मेरे सामने बच्चों के लिये रोटी का प्रश्न था, कोई कहता है कि मेरे सामने दवा-दारू का सवाल था, कोई बच्चों की तालीम की बात करता है और कोई कपड़ों की कठिनाई सामने रखता है। मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाये कि यह किसी भी राज्य के लिये शोभा और गौरव की बात नहीं है कि उस की प्रजा को रोटी और कपड़े के बदले अपना धर्म देना पड़े। लेकिन इस अभाग्य देश में पिछले तेरह सालों से यह वान हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग की विषाक्त प्रवृत्तियों का जो दंड इस देश को भुगतना पड़ा, उसी प्रकार, इन विदेशी ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों को यदि रोका नहीं गया, तो उन के द्वारा देश में छोटे-छोटे प्रान्तों की मांग का समर्थन किया जायेगा और इस प्रकार राजनैतिक अस्थिरता लाने का प्रयत्न किया जायेगा, जैसा कि पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। सरकार को इस विषय में शीघ्र ही कोई गम्भीर निर्णय लेना चाहिये और इस विभाग को यह दायित्व देना चाहिये कि वह इस बात की जांच करे कि प्रतिवर्ष कितने लोगों ने अपना धर्म-परिवर्तन किया है। जो लोग शिक्षा की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से बड़े हुए हों, उन में यह नियम लागू किया जाये

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

या न किया जाये, लेकिन पिछड़े हुए और पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यक रूप से इस बात को लागू किया जाये कि जो व्यक्ति धर्म बदलना चाहता है, उस को कम से कम छः महीने के पहले कलक्टर के यहाँ दरखास्त देनी चाहिये और कलक्टर इस बात की जांच पड़ताल करे कि जो आदमी धर्म-परिवर्तन करना चाहता है, वह धार्मिक सिद्धान्तों से, आध्यात्मिक कारणों से प्रभावित हो कर धर्म बदलना रहा है, या वहाँ पर कोई निहित स्वार्थ कार्य कर रहे हैं, जिन के कारण किसी दबाव या लोभ से प्रभावित हो कर वह आदमी अपना धर्म बदल रहा है। अगर इस विषय में कलक्टर को संतोष हो जाये, तो उस आदमी को धर्म बदलने का अधिकार दे दिया जाये।

सौत्री सार्दी भाषा में मेरे कहने का का अभिप्राय यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना है तो उस को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिये और यदि ऐसा किया गया तभी आप इस प्रकार की प्रवृत्ति के ऊपर रोक लगा सकेंगे अन्यथा नहीं।

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। आयुक्त महोदय की रिपोर्ट को देखने से इतना तो प्रतीत होता है कि उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि जो गैर-सरकारी संस्थायें इन क्षेत्रों में सेवा-कार्य कर रही हैं उन को भी वह सहयोग प्रदान करना चाहते हैं; लेकिन जिस प्रकार की मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और जिस प्रकार से मैंने एक दो बार माननीय श्री दातार जी से निवेदन भी किया है और एक-प्राथम्य बार इस सदन में भी कहा है, उस को आज फिर मैं दृढ़ता के साथ यहाँ कहना चाहता हूँ कि सरकार को अपनी इस प्रवृत्ति में परिवर्तन करना चाहिये कि सरकारी पैसा जितना व्यय हो वह सब सरकारी अधिकारियों के हाथों में से व्यय हो और यदि ऐसा होता है तभी उस

का सदुपयोग होगा अन्यथा नहीं। मैं समझता हूँ कि यह बात कोई आवश्यक नहीं है। हमारे देश में इस प्रकार की भी अनेक सामाजिक संस्थायें हैं जो एक-एक पाई का, एक-एक कौड़ी का हिसाब सम्भाल कर रखती है, उसका सदुपयोग करती है। मेरा अपना अनुमान यह है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों की सेवा करने के लिये अनुसूचित जातियों की सेवा करने के लिये जो स्वयं-सेवी संस्थायें हैं, उन को सरकार को मुक्त-हस्त कर सहयोग देना चाहिये। बहुत सी संस्थायें मेरी जानकारी में हैं जो कि बड़ा अच्छा सेवा कार्य कर रही हैं। जमपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप पता लगा सकते हैं भारत के स्वतन्त्र होने से पहले इस क्षेत्र में कितने लोगों ने धर्म बदला था और स्वतन्त्र होने के बाद के तेरह वर्षों में कितने लोग धर्म बदल कर के क्रिस्चियनिटी में आ गये हैं तो आप की आँखें खुल जायेंगी। मैं इन बातों को क्या कहूँ, नियोगी कमीशन की इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उस को देखने से आप को सारी स्थिति का पता चल जायेगा कि किस प्रकार के अनुचित उपाय इस्तेमाल किये जाते हैं। हिन्दुस्तान के लोगों को धर्म बदलने के लिये स्वतन्त्र भारत में इस तरह की चीजों का होना दुख की बात है। आश्चर्य तो इस बात का है कि हमारी सरकार को जो सहयोग प्रदान करती है वह उन लोगों को प्रदान करती है कि जो सरकारी धन का अपव्यय करते हैं और जो उस का सद्व्यय करते हैं, उन को प्रदान नहीं करती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस की भी क्या गारंटी है कि सरकारी हाथों से जो धन व्यय होता है उसका सदुपयोग ही होता है। सदन के माननीय सदस्यों ने बताया है कि सरकारी हाथों से जो व्यय किया जाता है, उसमें से भी बहुत से धन का अपव्यय होता है। देखा जाता है कि उन संस्थाओं को कम सहयोग प्रदान किया जाता है जो कि चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में अपना योगदान करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करती हैं, होस्टल या छात्रावास खोलने जैसी प्रवृत्तियों

में भाग लेती हैं। जसपुर के इलाके में एक संस्था है जिसके बारे में मेरी अपनी जानकारी है और जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसका नाम है, कल्याण आश्रम। यह संस्था पिछड़े हुए क्षेत्रों के अन्दर कार्य करती है। इस तरह की और भी बहुत सी संस्थाएँ हैं जो मेवा कार्य कर रही हैं। रांची में, उड़ीसा के क्षेत्रों में कई संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था पिछड़ी जाति सेवा संघ है। इसी प्रकार से एक संस्था है जिसका नाम दलितोद्धार सभा है। ये स्वयंसेवी आर्गनाइजेशन हैं जो कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएँ एक वर्ष से कार्य नहीं कर रही हैं बल्कि उस वक्त में कर रहे हैं जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। इसी प्रकार का एक और देश का गौरवपूर्ण संगठन है जिसने असुविधा की आवाज को और इस प्रकार के बलात् धर्म परिवर्तनों को रोकने की आवाज को उठाया था और आज नहीं ८५ साल पहले उठाया था और उसका नाम है आर्य समाज। तो इस प्रकार की जो स्वयं सेवी संस्थाएँ हैं सरकार को चाहिये कि वह उनको अपने सम्पर्क में ले और अपनी ओर से आकर करे कि आप इन क्षेत्रों में कार्य करते रहें और जो सहायता वह उनकी कर सकती है करती रहे, उनको अपना सहयोग प्रदान करती रहे और यदि सरकार ने ऐसा किया तो ये संस्थाएँ अधिक उत्साह के साथ अपना कार्य कर सकेंगी। मेरा निश्चित विश्वास है कि अगर स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा कार्य चलाया जायेगा तो विवशता भी रहेगी और कार्य भी अधिक हो सकेगा।

Mr. Speaker: Is it the complaint of the hon. Member that when these voluntary organisations appealed for funds they were not given. He went on saying that some other organisations have come here and they are trying to take advantage of the illiteracy and backwardness of these people some organisations which want to convert them. He also referred to some organisations which are doing

social work without putting these people to the necessity of changing their religion. Is it his complaint that these organisations have applied to the Central Government or to the Commissioner of Scheduled Tribes and Scheduled Castes but they were not given any help which certainly would have gone to relieve the inconvenience caused to these people?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मेरा अभिप्राय यह है कि आयुक्त महोदय ने जो यह अपनी रिपोर्ट में लिखा है

Mr. Speaker: Did they apply to the Government or to the Commissioner for funds?

Shri Vajpayee (Balrampur): They did apply.

Mr. Speaker: But were not given?

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : उदाहरण के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है कि जसपुर की कल्याण संस्था है, उसने सहयोग चाहा, दलितोद्धार सभा है उसने सहयोग चाहा, और इस प्रकार के कई संगठन हैं जिन्होंने सहयोग चाहा, लेकिन उनको सहयोग नहीं दिया गया।

Mr. Speaker: May I know from the hon. Deputy Minister here whether this contains a statement of the assistance given to the various social voluntary organisations?

Shrimati Alva: Whichever voluntary organisation wants help approaches the State Government and the Central Government. There are certain conditions laid down. We examine the cases and if they come under those conditions we do help.

Mr. Speaker: All right: Let him take it up.

Shrimati Alva: I shall reply to it. Sir, in the end.

Shri Dasaratha Deb (Tripura): Mr. Speaker, Sir, we are discussing the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Certain very good suggestions have been made in this report. But the main question is, how to implement those suggestions. We find that even after 14 years of independence our Government has not been able to form a separate Ministry to look after the question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. With the influx of refugees we created a separate Ministry only to look after the interests of refugees. Of course, there are many defects in the working of that Ministry, but even in spite of all that we have been able to settle that problem to some extent. The problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is a very big problem. They form more than one-third of the total population of India. Our Government is ignoring that question.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission is only an advisory body. The Commissioner has no executive powers to implement his suggestions. Same is the case in the States also. In our own State of Tripura we have got one Tribal Advisory Committee. But that committee has nothing to do with the implementation of the various works. Therefore, all the work meant for these people are held up. In the last few years some works have been started for the tribal people. Some funds have also been allotted. But in the last one-and-a-half years or so no grants have been distributed to the tribal people. That work is entrusted to the District Magistrate. He has got many other engagements, many other responsibilities in the running of the administration with the result that he has got very little time to look after this question. That is why we stress that even at the State level there must be a separate Ministry and that Ministry must have full powers to execute the various schemes intended for these people. As far as our terri-

tory of Tripura is concerned, I suggest that instead of having a Tribal Advisory Committee there must be a Tribal Development Board. The members of that Board should be elected by the tribal people themselves. This board must be an autonomous body and it must be given full powers to execute the various schemes. If we have only the type of committee, simply an advisory committee, that we have at present, we would not get things implemented in our area.

Then, the main questions relating to these people are the question of land settlement and also the question of labour welfare, because a great chunk of the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are either landless people or agriculturists or labourers. If you do not solve these two questions, you cannot solve their economic problem, and unless you solve their economic problem all your talk uplifting these people will not help much.

The main thing is their economy. If you give them facilities to improve their economy, they can look after themselves. Then they will be able to send their children to good schools, they will be able to work and earn and so on. I have been pressing in this House ever since 1952 that the security of land for the tribal people, the Scheduled Castes and harijan people must be guaranteed. Certain legislations have been passed in many States. But I know what has happened to those legislations. Actually, they have not been implemented. Very recently, I think only in 1960, we passed the Tripura Land Revenue and Land Reform Bill. There also there is a provision giving security of land to the tribal people. According to that provision on transfer of land belonging to Scheduled Tribes can be made to persons belonging to non-Scheduled Tribes until and unless such a transfer has got the approval of Government. Otherwise, it would be invalid. But

that particular provision has not been enforced. A peculiar position is obtaining in our State because from time immemorial these tribal people were occupying certain parts of land and bringing them under cultivation. Later on, they apply to the Government for the settlement of land. That way, they have been reclaiming land and keeping them in their possession. Now, after the enforcement of the Act, under section 15, people who are unauthorisedly occupying Government land must be evicted. So, hundreds of notices have been served on the tribal people to vacate the land and they are being forcibly evicted. When the Bill was being discussed in the Select Committee, and also in the advisory committee for Union Territories, the then Home Minister gave us an assurance that in the case of tribal people, even though technically they are landless and are unauthorisedly occupying Government land, if it does not exceed the prescribed limit, they will not be evicted. Though that assurance has been given, when it comes to a question of implementing it, they are not following it with the result that thousands of tribal people are being evicted. The security of land for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is a very important matter.

Coming to rehabilitation, a large number of people in our part—as the Government report says, more than 20,000 tribal families—have been engaged in shifting cultivation or *jhum* cultivation. They occupy certain land, build small houses and start cultivation. Now the tempo of afforestation is affecting their cultivation. A good chunk of the tribal area, where they have built their huts and have been cultivating for years, has been included in the afforestation scheme with the result that they are being evicted. Recently, I visited Gorjee in Udaipur sub-division in Tripura and found that the tribal people have raised paddy crop there. In the meanwhile, the forest authorities went there and destroyed all the crops so that

735(Ai)LS—9.

they could plant saplings for afforestation.

13.33 hrs.

[SHRIMATI RENU CHAKRAVARTY in the Chair]

Even cases have been instituted against those people who have raised paddy crops in those areas. At the same time, no compensation is being given to those people when their crops are being destroyed. In this connection, my suggestion is that unless and until the tribal people are rehabilitated on certain other plots of land, they should not be evicted from their present homes. Otherwise, it would amount to your denying them their very existence, because they will die of starvation. So, you may select some areas and reserve them for those people. We have no objection. But, you should not evict them unless and until you have provided them with alternative areas.

Coming to the Jhumia rehabilitation work, the Tripura Government has selected certain plots of land for the rehabilitation of the tribals. But most of these lands are under the possession of other tribal people who are also landless. They are occupying two acres or three acres of land; in any case, not exceeding five acres per family. They have brought that land under cultivation and they are cultivating that for generations. They have also applied to Government for settlement over that land. But that land has been allotted for Jhumia rehabilitation work without rehabilitation of the people who are already occupying that land. There is some politics involved in it because the people who are sought to be evicted from that land are supposed to be people who are not supporting the Congress. Those people are being evicted from that land and, in their place, they are bringing tribals who are supposed to be their followers. I drew the attention of the Chief Commissioner and the District Magistrate

[Shri Dasaratha Deb]

to a number of instances but I did not get any remedy from them. I always received the reply that on official investigation the allegations made by me have been found to be baseless. I have personally visited the place and I can give you the names of persons and places; I can give all information. This sort of thing should be stopped. Even in the case of unauthorised occupation, if a tribal has been occupying a particular piece of land for a number of years, if it is less than 6.4 acres, which is the family holding prescribed under the Act, he must be settled over that portion of land.

When we approached the Minister some time back, we were told that for the settlement of land no premium would be charged from the members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe and displaced persons in Tripura State. But, in actual practice, notices have been served on the tribal people to give a premium of Rs. 500, 300 or 250, which is contrary to the assurance given by the Government.

Coming to the educational facilities for the tribal people, as more and more children are going in for education, the most pressing problem is the question of accommodation. As most of the tribal people are living in the interior, in the hilly areas, they do not have any accommodation in the towns. When those boys or girls complete primary education and go to the towns or cities for higher education, they do not get either seats in the schools or accommodation in the town. In Agartala town itself there are only 50 to 60 seats whereas the number of seats wanted is in hundreds with the result that 80 per cent of the tribal students have to stop their studies every year. So, if you want to provide educational facilities to the tribal people, you must increase the number of boarding houses in the town areas where secondary schools exist. If you provide some boarding houses only in rural areas, where there are

only some primary schools, there is no scope for students receiving higher education. This is an absolutely whimsical scheme which is preventing the tribal people from getting proper education. This is how the Government is functioning in our area.

The tribal people themselves have been organising secondary schools in their areas. But then the Government will come forward and impose so many conditions e.g. the land must be given free, more money should be given to the Government's funds, some utensils should be supplied and so on. It is very difficult for the poor tribal people to satisfy these conditions. Even when the land is available, Government will not allot that land for the use of that particular school. They will ask the tribal people to get settlement by paying higher *Nazrana*. I can cite certain instances. For the last ten years they have been running one school in the area where the tribal population is predominant. Not even a single Naya paisa has been paid to that particular school by the Government. I can cite any number of names, but I do not like to take the time of the House.

In Khowai Sub-division these Tribal people had some little land and there they have constructed one boarding house for the Tribal girl students. More than 30 Tribal girl students who are reading in the high schools have been staying there. For many years, every year, they have been applying for Government aid, but no aid has been given to them. The Government's argument is that it is not attached to an high school. We say that if it is not attached to a high school, the Government may attach it to some high school and take the entire responsibility. We are not opposing that. But the Government does not come forward. On the other hand, they say that they are not going to give anything. This type of stepmotherly treatment to the problems of the Tribal people should not be tolerated.

There are so many other problems that we have got and these Tribal people are being cheated. They are being cheated in land, in educational facilities and in enlisting their names in the voters' lists. Very recently I went to Teliamura and found that the Teliamura Congress Panchayat Committee had collected the signature of 1,000 Tribal people in the prescribed voters' claim form. These Tribal people were told that until and unless they submitted their claim through the Congress Committee, they would not be enlisted as voters. So, ultimately the Tribals submitted that. But the claim forms have not been submitted to the authorities concerned. They were found lying with some shopkeeper. When we collected them from the shopkeeper, he told us that he bought them from some Congressman on the basis of weight. Say, at 50 nP or so per seer. I can produce them if you want. I have sent one copy to the Election Commissioner and one copy to the hon. Law Minister. If the hon. Home Minister wants, I can send him more copies containing the seal of the Congress Panchayat Committee of Teliamura.

These types of things are being done in this way and these people are being cheated. It should be checked. There is a great feeling among the Tribal people that their questions are being neglected. That is why now you are finding in Assam that the Tribals are demanding a separate State. They have got a legitimate grievance against the administration and against the people who are running the administration. If after repeated requests their demand is not attended to, if their problem is not solved and if their interests are not looked after, what is the alternative? The alternative is to demand for a separate Tribal State for the Tribal people. It may or may not be right. Now it is high time that Government understand their problem, attend to their problems and try to solve them.

In Tripura also we demand that the Tribal Advisory Committee will not

help at all. If you really want to solve the problem of the Tribal people in our State, you must have a Tribal Development Board consisting of Tribal representatives who should be elected by the Tribal people. Of course, you can attach certain officers to it to give advice to them.

The same is the case with the Scheduled Castes people in our parts. Their number would be over 2 lakhs. Their problems remain unattended to. There is not a single boarding house which can accommodate students belonging to the Scheduled Castes. So, my demand is that both for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes a number of boarding houses should be there and there should be reservation of seats also for them even for the training of dais and guards. In the hospitals also these Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not getting their chance. Last year for the assistant *amin* training, some 60 persons had been recruited in Agartala and there were 35 Tribal non-matriculates for that. Out of them, there were 5 matriculates who applied for that post. But only 2 Tribal people were selected. After my representation another three have been taken against those 60 posts. There is talk of reservation of seats and of giving facilities and priorities, but actually that is not being implemented. That is why I reservation of seats and of giving facilities and priorities, but actually that is not being implemented. That is why I request the hon. Home Minister to look into all these things; otherwise you cannot satisfy the Tribal as well as the Scheduled Castes people

श्री धनगर (मैनपुरी) : सभापति महोदय, आज हम लोग इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस करने जा रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में मुझे सब से पहले एक बात कहनी है । पिछले समय में भी इस विषय में

[श्री धनधर]

बहुत कुछ वार्ता हुई है लेकिन मुझे भ्रमसोस है कि इस सम्बन्ध में अभी कोई किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया है। वह बात केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो इन क्लासेज को वजीफे दिये जाते हैं उनके सम्बन्ध में है। अभी तक इन वजीफों के मिलने में बहुत देरी होती है, और कभी-कभी तो विद्यार्थियों को एक एक साल बाद ये वजीफे मिलते हैं। यह शिकायत नई नहीं है। जब-जब इस रिपोर्ट पर इस सदन में बहस हुई है हर बार यह शिकायत की गयी है, लेकिन अभी तक यह शिकायत दूर नहीं हुई है। बहुत से विद्यार्थी उधार लेकर या दूसरी सहायता प्राप्त करके अपनी परीक्षा पास कर जाते हैं उसके बाद उनको यह वजीफे की सहायता मिलती है, जिसके कारण उनके गारजियन्स को बहुत सा व्यय देना पड़ जाता है और पराधीनता और अधीनता का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं इस बार फिर आपके मार्फत सम्बन्धित लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये वजीफे मिलने में देरी न हो। अगर उनको यथा समय वजीफे दिये जाये तो उनको अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है।

दूसरी चीज एक और है जिसका पिछले साल भी जिक्र हुआ था। इसका सम्बन्ध भी हरिजनों और आदिम जाति के विद्यार्थियों से है। कुछ लोग जो कि पिछड़े माने जाते हैं उनके विद्यार्थियों को जो वजीफे दिये जाते थे उनमें बहुत काफी कमी कर दी गयी है। उसके सम्बन्ध में मैं आगे वार्ता करूंगा। अब उनको बहुत ही कम वजीफे दिये जाते हैं। और जो अछूत और आदिम जाति के विद्यार्थी हैं उन के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि उनको मैरिट के आधार पर वजीफे दिये जायेंगे। यह चीज इन विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई में बहुत बाधक साबित हो रही है।

इसलिए मैं समझता हूँ कि जब अंदर बैकवर्क क्लासेज के वजीफे बहुत कम कर दिये गये हैं, तो हरिजन और आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिए मैरिट की शर्त न लगायी जाये और जितने विद्यार्थी आते हैं उन सब को ही वजीफे दिये जायें। यदि प्री मैट्रिक स्टेज में यह किसी तरह सम्भव न हो कि सब विद्यार्थियों को वजीफे दिये जायें, तो जब वे यूनीवर्सिटी स्तर पर आते हैं उस समय तो कम से कम सभी विद्यार्थियों को बगैर मैरिट का ह्याल किये वजीफे मिलने चाहिए ताकि वे अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से सम्पन्न कर सकें। प्री मैट्रिक स्टेज में तो यह तरीका है कि जो विद्यार्थी ४० पर सेंट या उससे ऊपर मार्क्स लायेंगे उनको ही वजीफे दिये जायेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सब प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहिए। और जो प्रान्तीय सरकारें हैं वे जितने प्रतिबन्ध लगाती हैं उनका तो कोई शुमार ही नहीं है।

अब तीसरी बात मैं इन जातियों को मकानात बनाने की जो सुविधाएं दी जाती हैं उनके सम्बन्ध में हैं। इस सुविधा की सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है लेकिन यह करीब-करीब ७५० रुयों की सीमा है और यह रकम उनको मकान बनाने के लिए दी जाती है। आज के समय में जब कि हर एक चीज इतनी महंगी हो रही है, एक परिवार के लिए जिसमें १२ आदमी हों यह कहां तक काफी हो सकता है। यह एक अछूतभाई का मवाल नहीं है, अछूतों के मुहल्ले के मुहल्ले और गांव के गांव नेस्त नाबूत हो जाते हैं और जमींदोज हो जाते हैं और उनको मकान के लिए ७५० रुया दिया जाता है। यह भी सब लोगों को नहीं मिल पाता, चन्द लोगों को ही यह रकम मिल पाती है। मैं समझता हूँ कि इस रकम से एक कमरा भी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी हालत में यह मदद नाकफी है। इसके अलावा यह मदद जिन लोगों के मार्फत दी जाती है, मैं समझता हूँ कि ज्यादातर वे लोग हैं जो कि न तो हरिजन भाई हैं और न आदिम जातिवासी

है। मेरा ऐसा क्या है कि ६६ फीसदी से भी ज्यादा वे लोग हैं जो कि इसका वितरण करते हैं और जिनके हाथ में यह चीज है, यह शो बर्क तो दिखाते हैं लेकिन वास्तविकता से यह बातें बहुत दूर हैं और उन लोगों को जितना महत्व मिलना चाहिए वह महत्व नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से यह चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे लोगों को यह जो घर बनाने की सहूलियत दी जाये तो कम से कम उनको २००० रुपये तो दिये जायें ताकि वे कुछ ऐसे मकान तो बना सकें जोकि टिकाऊ हों और कुछ दिनों तक उसमें अच्छे तरीके से रह सकें।

उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की बाबत मैं आपको बतलाऊँ कि वहाँ पर एक आदिम निवासियों की कालोनी बनी हुई है और वह इटावा जिले के सदर मुकाम से ३ फलंग की दूरी पर है। वहाँ पर कंजर, गिहार, आदिम निवासी भाइयों के वास्ते कुल मिला कर ५३ मकान बनाये गये हैं। हालांकि उन मकानों के कम्पलीशन की फाइनल रिपोर्ट भी नहीं प्राप्त हुई है लेकिन अभी बरसात के कारण करीब आठ मकान गिर गये हैं। यह मकान हम जितने लेजिस्लेटर्स थे एम० एल० ए० और एम० पी० उनके बहुत जोर दिये जाने पर बनाये गये थे। पिछले सात वर्ष की कोशिश का नतीजा यह हुआ कि वहाँ पर कंजर और गिहार भाइयों की यह कालोनी बनाई गई। उन में मैटोरियल इतना थर्ड क्लास लगाया गया कि मकानों के कम्पलीशन की फाइनल रिपोर्ट भी नहीं दी गई है और बरसात के कारण आठ से ज्यादा मकान जमींदोज हो गये। यह सारे ठेकेदार, पी० डब्ल्यू० डी० के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वह सब न तो हरिजन हैं और न आदिवासी हैं और न ही उनको हरिजनों से कुछ उम्मित है। टेकनिकल वर्क करवाते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब यह जो हमारे कमिश्नर साहब की रिपोर्ट है यह कोई बुनियादी चीज पर रिपोर्ट तो नहीं है। जैसी रिपोर्ट सरकार

चाहती है उसके मुताबिक है उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन तो भी इस रिपोर्ट में जो कुछ भी स्पष्टता है उसके लिए मैं कमिश्नर साहब को बचाई दूंगा कि उन्होंने कहीं-कहीं संकेत कर दिया है और हमारी सरकार की मीठी चुटकी ले ली है और कहीं-कहीं पर उन्होंने सरकार की कड़वी चुटकी ली है। मीठी और कड़वी चुटकी लेते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह बेबस है इससे ज्यादा सरकार कर नहीं सकती।

अभी वह प्रसंग मैं लाना नहीं चाहता था लेकिन मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रिपोर्ट के सफा ८ पर तीसरे पैराग्राफ में यह दिया हुआ है :—

“लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लाससेज” । यह रिपोर्ट कमिश्नर आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है और यह चीज नहीं मालूम कैसे यहाँ पर आ टपकी। मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को लेकर काफी कनफ्यूजन है। कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में तभी तो लिखते हैं “लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लाससेज” । साथ ही यह भी लिखते हैं :—

“No final decision regarding the criteria for classifying socially and educationally backward classes has yet been taken by the Government of India.”

आखिर यह गवर्नमेंट आफ इंडिया, यह कांग्रेस की सरकार कितने जमाने से काम कर रही है। पन्द्रह वर्ष कांस्टीट्यूशन को बने हो गये और उममें यह बात तय हुई थी कि हमारे राष्ट्रपति जी इस तरह का एक कमिशन बिठायें जो कि यह बतलाये कि अदर बैकवर्ड क्लाससेज क्या हैं। जो जानियाँ अदर बैकवर्ड क्लाससेज को उनमें से जिनका स्तर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लायक हो उनको शेड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल करें और जिनका कि लेवल बैकवर्ड क्लाससेज के लायक भी नहीं है उनको बैकवर्ड क्लाससेज से

[श्री धनगर]

अलग करें। यह करने का बिलकुल उसका साफ इरादा था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वह रिपोर्ट कहाँ है? मैं नहीं समझता हूँ कि उस रिपोर्ट को क्यों साइडट्रैक कर दिया गया? अभी तक इस भवन के सामने बहस करने के लिए वह रिपोर्ट नहीं लाई गई है हालांकि उसका जिक्र यदाकदा हर जगह है। हर एक सूबे में शेड्यूल्ड कास्ट्स का जिक्र है। आदिम जातियों का जिक्र है। कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लिख कर यह चेतावनी न भेज दी हो कि इतनी-इतनी जातियाँ हैं। हर एक सूबे के वास्ते अलग-अलग लिस्ट है और हर एक सूबे में वह लिस्ट भेज भी दी गई है। नीज उत्तरप्रदेश में जब मैं वहाँ पर पांच साल एम० एल० ए० रहा तो मैंने वहाँ पर देखा कि यह अदर बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट में कहीं तो एक मुहकमे में ५६ जातियाँ लिखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की लिस्ट में ५६ जातियाँ लिखी हुई हैं जिनमें से ३६ तो हिन्दुओं की हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, वनिया, कायस्थ, अहीर, गडरिया, काछी, लोधी, नाऊ, कहार, तेली, तम्बोली, दर्जी, भुर्जी, लुहार, मुनार, गिम्पी, बकलीगर्स और नायक वगैरह जातियाँ हैं। इनके अलावा २० जातियाँ और लिखी हुई हैं। वह बीस हमारे मुसलमान भाइयों की हैं। इस तरह से ५६ जातियाँ उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेज की लिखी हुई है। इनको सब तरह की एजुकेशनल फेवेलिटीज दी जाये। अब उत्तरप्रदेश में कहीं पर ५६ जातियों की लिस्ट भेजी जाती है, कहीं पर सिर्फ १४ की भेजी जाती है तो कहीं पर २६ की भेजी जाती है। जब डिपार्ट-मेंटल चुनाव होना है तो वहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ २६ जातियों की लिस्ट वहाँ पहुँची है। हमने उत्तरप्रदेश की सरकार के सामने यह चीज रखी कि यह चौदह जातियों की जो लिस्ट है यह महज धोखेबाजी है और यह गड़बड़घुटाला और धोखेबाजी क्यों होती है? इस मुल्क में वे लोग जिनकी कि आबादी ८५ प्रतिशत है उनका सरकारी मुहकमों में

एक परसेंट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। बाकी १५ फीसदी लोग सारे सरकारी मुहकमों में छाये पड़े हैं। मैंने चूँकि इस बारे में स्पेशल स्टडी की है इसलिए मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूँ कि सन् १९११ से सन् १९३१ तक जातियों के हिसाब में जो मर्दुम-शुमारी हुई है उसमें एक परसेंट रिप्रेजेंटेशन भी इन अभागों लोगों को प्राप्त नहीं हो सका है। इस भवन में और अन्य विधान परिषदों में हमारे हरिजन भाइयों को जरूर प्रतिनिधित्व प्राप्त है लेकिन हम देखते हैं कि वे यहां और अन्यत्र किस तरीके से रहते हैं। यह लोग बिलकुल एक कान गद्दी बकरी के समान आचरण करते हैं। वे सत्ता प्राप्त पार्टी के जो कि शासन को चलाते हैं उनकी कान गद्दी बकरी के समान रहते हैं उनकी कृपा पर जिन्दा रहते हैं और उनकी कृपा पर हमारे हरिजन भाइयों को टिकट मिलता है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

14 hrs.

श्री धनगर : मैं अदर में कहना चाहता हूँ कि इस प्वाइंट को क्लैरिफ़ाई करने के लिये मैं और प्वायंट्स को छोड़ देता हूँ, लेकिन इस के लिये मुझे थोड़ा सा समय जरूर दिया जाये, ताकि मैं अपनी इस वार्ता को समाप्त कर दूँ। इस वार्ता का महत्व इसलिये है कि भविष्य में हमारा देश गुलाम हो जाता है या अपनी आजादी को कायम रखता है। इस सम्बन्ध में इस देश की पुरानी हिस्ट्री आप के सामने रखना चाहना हूँ।

सब से पहले पठानों ने इस मुल्क को गुलाम बनाया। उस समय बारह हजार पठान एक तरफ थे और उन से कई हजार गुना हिन्दू दूसरी तरफ थे। जिस वक्त इस मुल्क की आजादी को चैलेंज किया गया, तो उस का नतीजा यह हुआ कि पठान विजयी हुए और उन से कई हजार गुना अधिक हिन्दू हार गये।

उस के बाद जब पठानों ने भी हिन्दुओं की मूलती को दोहराया और अपने अन्दर कई प्रकार की जातियां बना लीं, तो उन की भी वही दुर्गति हुई और फिर इस्लामिक कौम मुगलों की शकल में हिन्दुस्तान में आई और

“कारी गिना न सेत,
सब को मारा एक ही खेत।”

उन्होंने पठानों को भी मार गिराया और हिन्दुओं को भी मार गिराया। इस देश में ग्यारह पीढ़ी पठानों ने और आठ पीढ़ी मुगलों ने हुकूमत की और फिर देशी राजा और नवाबों की नयी मभ्यता और संस्कृति ने जन्म पाया, जिस को बाद में सान समुद्र पार से आये हुए अंग्रेजों ने विध्वंस किया। उन्होंने छः पीढ़ी राज्य कर के इस को खत्म कर दिया। प्रश्न यह है कि इस हार की वजह क्या थी। इस की वजह वह नहीं है, जो कि स्मिथ और दूसरे तारीख के लिखने वालों, इतिहासकारों ने दी है। इस की वजह सिर्फ यह है कि हिन्दुस्तान एक जातिवाद मुल्क है। इस में हजारों जातियां हैं और इस में सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता विकसित नहीं होने पाई। जब राष्ट्रीयता का प्रश्न आता है, उस वकत गांधीजी जैसे महात्मा गवर्नमेंट के शिकार कर दिये जाते हैं। पठानों और मुगलों से हिन्दुओं की हार की वजह यह है कि मुसलमानों में तो यह असूल है कि अल्लाह एक है और सारे इन्सान उस के बन्दे हैं, उन में कोई ऊंच-नीच, कोई छत्राछत नहीं है। वे लोग कुरान शरीफ की मुसवात की थ्योरी को मानते हैं। इस के मुताबले में हिन्दुओं की थ्योरी क्या है? हिन्दुओं में हजारों जातियां हैं—ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, अहीर, गडरिया, काछी, लोधी, नाऊ, कहार, तैली, तम्बोली, दर्जी, भुर्जी, लुहार, मुनार, कुम्हार, धोबी, नट वगैरह। इस का परिणाम यह रहा है कि इस देश में कभी भी राष्ट्रीयता नहीं रही है।

मेरा निवेदन है कि जब तक इस देश के ८५ फी सदी लोग स्वतः तैयार नहीं होंगे,

तब तक यह गहन समस्या हल नहीं हो सकती है। यह ठीक है कि पैसे की शकल में कुछ सहायता मिली है, लेकिन उसका प्रश्न नहीं है। यदि गवर्नमेंट आफ इंडिया या राज्य सरकारों के मनिस्टर देहात में जायें और भंगी के साथ खाना खायें और मेहतर की बारात में शामिल हों, यदि जवाहरलाल जी और दीगर मनिस्टर अछूत भाइयों की की शायदियों वगैरह में शामिल हों, तो देहाती आदमी समझेंगे कि सरकार असुश्यता-निवारण करना चाहती है, इसकी चर्चा अखबारों के कालमों में होगी और जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आज स्थिति क्या है? राष्ट्रपति या गवर्नर के भोज में तो सब लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के हाथों से छीन-छीन कर खाते हैं, ताकि यह दिखाया जा सके कि देश में और समाज में असुश्यता नहीं है, लेकिन देहात में वही लोग कूद-कूद कर अपने चौक में आते हैं। यहां पर गवर्नमेंट आफ इंडिया का काम चलता रहता है, कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट पर हर साल छप जाती है, काफी पैसा व्यय होता है, लेकिन वास्तव में परिणाम कुछ नहीं निकलता है।

श्री बलजीत सिंह (कांगड़ा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : माननीय सदस्य ने ८५ फी सदी का जिक्र किया है। ८५ फी सदी का क्या मतलब है ?

Mr. Chairman: Order, order.
This is not Question Hour.

श्री धनगर : ८५ फी सदी का मतलब . .

सभापति महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है।

श्री उईके (मंडला-रक्षित-अनुसूचित आदम जातियां) : सभापति महोदय, कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये अध्यक्ष महोदय के सुझाव के अनुसार जो बैठक हुई

[श्री उईके]

थी, उसमें मैंने इस रिपोर्ट की खास-खास बातों पर अपने विचार प्रकट किये थे। अब इस सदन का समय उन बातों को दोहराने में खर्च न करते हुए कुछ अन्य बातें आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूँ।

कमिश्नर ने इस रिपोर्ट में बहुत से सुझाव दिये हैं। अगर सरकार उन पर अमल करे—पूरा अमल न करके अगर पचास फ्रीसदी अमल ही करे, तो भी बहुत से काम हो सकते हैं। हम कई रिपोर्टों पर विचार करते चले आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इन रिपोर्टों पर बहुत कम विचार करती हैं। मेरा पहला सुझाव यह है कि चूंकि इस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में जो विचार होता है, उसका असर स्टेट गवर्नमेंट्स पर उतना नहीं होता, जितना कि होना चाहिए, इसलिये केन्द्रीय सरकार हर एक राज्य सरकार को यह आदेश दे कि इस रिपोर्ट पर हर विधान सभा में बहस होनी चाहिए। अगर राज्यों की विधान सभाओं में इस रिपोर्ट पर बहस होगी, तो वहां के स्थानीय पत्रों में वे बातें प्रकाशित होंगी, वहां के एम० एल० एज० सरकार के काम के सम्बन्ध में नुक्ता-चीनी बरेंगे और इस प्रकार राज्य सरकारें अधिक काम करने के लिये मजबूर होंगी।

इस ढाई महीने के समय में मैं जो कुछ बातें प्रत्यक्ष देख कर आया हूँ, उनका जिक्र करना चाहता हूँ। बस्तर में करीब नौ लाख आदिवासी हैं। वहां की हालत क्या है? इस रिपोर्ट में दिया हुआ है और राज्य सरकार भी कहती है कि ८५ लाख रुपया द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के दौरान में खाली बस्तर जिले पर खर्च हुआ आदिवासियों के उत्थान के लिये। ८५ लाख रुपया जिस जिले में खर्च हुआ, उस जिले में मुझे क्या देखने को मिलता है?

14.09 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

श्रीकान्त जी ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि एक तरफ दण्डकारण्य स्कीम चल रही है, दूसरी तरफ बेलाडोला में काम हो रहा है और तीसरी तरफ रेलवे लाइन निकल रही है। इन कामों के सिज़सिले में बाहर से भी लोग वहां गये हुए हैं। जब मैंने पहले दिन बस्तर जिले में प्रवेश किया, तो मुझे यह देखने को मिला कि एक आदिवासी अपने कुटुम्ब को, जिसमें उसकी बूढ़ी माता भी है, लेकर चला जा रहा था। मैंने देखा कि दण्डकारण्य के एक ट्रक का ड्राइवर उस आदिवासी को मार रहा था। वहां हमारी दो-तीन जीपें खड़ी थीं, एक जीप में कलेक्टर भी था। जब उसको पूछा गया कि उसको क्यों मार रहे हो, तो उसने कहा कि अभी तो मार रहा हूँ, फिर ट्रक से बांध कर पीछे खींचता हुआ ले जाऊंगा। उसने कहा कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। दस मिनट तक उसने हमारी बात नहीं सुनी और हमारे वहां पर खड़े होते हुए भी उसने उसको मारना बन्द नहीं किया

श्री रामसेवक यादव (बागबांकी):
आप शुक करो कि आपको नहीं मारा।

श्री उईके : हो सकता है कि हमें भी मारता लेकिन मारा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां तो कोई खतरा नहीं है। आप बेबाकी से बोलें।

श्री उईके : जी हां, यहां कोई खतरा नहीं है।

टुकें और दूसरी जितनी भी चीजें बाहर से आई हैं, मेरी प्रार्थना है कि उसके ऊपर भी आप नज़र रखें। आयुवत महोदय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एक दिन के लिये जब हम जिले का दौरा करने के लिये जाते हैं तो आदिवासियों की जो समस्याएँ हैं

वे हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और उनसे हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि जो हज़ारों ट्रैकें इस ज़िले में चल रही हैं, जो दण्डकारण्य स्कीम चल रही है, रेलवे का जो सर्वे कार्य चल रहा है या बेलाडीला के उत्थान का कार्य चल रहा है, इनमें लगे हुए लोग हर रोज़ कितने आदिवासियों को मारते होंगे और कितनी उनकी हतक करते होंगे, बेइज्जती करते होंगे। इस सब का अनुमान लगाना आपके लिये भी मुश्किल नहीं होना चाहिये।

मैं बस्तर की जेल में गया हूँ। वहाँ मैंने कैदियों का खाना खाया है रिकार्ड को देखा है और मैंने पाया है कि जितने वहाँ कैदी हैं, उनमें से ७५ परसेंट ऐसे हैं जो कि दफ्ता ३०२ के अन्तर्गत कत्ल के मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह के मामलों की छानबीन करने में सरकार को कोई तकलीफ नहीं होती है, लोग जाकर खुद ही बता देते हैं पुलिस थाने में कि हमने फलां आदमी को कत्ल किया है और इस तरह का बयान बेअदालतों में भी दे देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनको बीस-बीस साल तक जेलों में रहना पड़ता है। ये लोग जो मारपीट करते हैं या कत्ल करते हैं, बाहर वालों से नहीं करते हैं, आपस में ही एक दूसरे को मारते हैं। आज तक रियासती समय में या आजादी के पिछले तेरह सालों में वहाँ की जेलों के रिकार्ड यह नहीं बताते हैं कि उन्होंने किसी अनादिवासी को या किसी रियासती अफसर को या किसी सरकारी अफसर को मारा है। वे सीधे-सादे, भोले भाले लोग हैं। बाहर वालों से छेड़खानी वे नहीं करते हैं। पर बाहर वाले जो लोग जाते हैं वे जगह-जगह उनको मारते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। ऐसी हालत में क्या हम ट्राइबल वैलफेयर कर रहे हैं? ऐसी सूरत में इतनी बड़ी-बड़ी रिपोर्टें लिखने से क्या फायदा, ८५ लाख रुपया खर्च करने से क्या लाभ?

वहाँ पर रेलवे लाइन निकल रही है। रेलवे लाइन के लिए जितनी जमीन नापी जाती है, उसमें काश्त करना बन्द कर दिया जाता है और जिनकी जमीन ली जाती है उनको जल्दी पैसा नहीं दिया जाता है। शायद उनको पैसा देने में दो तीन साल लग जायेंगे। तब तक तो मैं समझता हूँ कि वे लोग अपने घर, अपने गांव, अपना सब कुछ छोड़ कर चले जायेंगे और कम्पन्सेशन लेने वाला कोई बच नहीं रहेगा। इस वास्ते आपको चाहिए कि जो भी कम्पन्सेशन देना हो जल्दी से दे दिया जाए।

वहाँ दण्डकारण्य योजना चली है। उस पर कितने ही करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत हमारे बंगाली भाइयों को लाकर बसाया जाएगा। यह कहा गया है कि उस योजना से २५ परसेंट आदिवासी भाइयों को भी लाभ मिलेगा। मैं दण्डकारण्य को देखने के लिए गया हूँ और उस जगह को मैंने देखा है जहाँ पर डिवेलपमेंट का काम हो रहा है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से भी मैं मिला हूँ। वहाँ पर वहाँ की जनता भी काफी इकट्ठी हो गई थी। उसने बताया कि १८ गांव हैं और हर एक गांव में चार सौ के करीब बैल, गाय भैंस, बकरी इत्यादि हैं। बड़े-बड़े ट्रैक्टर लाकर के वहाँ पर जमीन को साफ कर दिया गया है। अब इन गांवों के लोगों के पास जानवरों को चराने के लिए कोई जगह नहीं बच रही है और उनको जानवरों को चराने के लिये दस मील दूर ले जाना पड़ता है। इन १८ गांवों में छः हजार के करीब लोग रहते हैं। यहाँ पर ७०० फैमिलीज़ को लाकर बसाया जाने वाला है। अगर एक फैमिली में पांच-पाँच मੈम्बर हों तो इसका मतलब हुआ कि ३५०० लोग यहाँ बसाये जायेंगे। जब ये वहाँ बस जायेंगे तो ये जो ६ हजार भाई हैं, उनको शरणार्थी आप वना देंगे। उन लोगों ने कहा कि आज तो दस मील हमें, जानवरों को चराने के लिये

[श्री उर्दके]

ले जाना पड़ता है लेकिन जब कल यहां पर शरणार्थी भाई आकर बस जायेंगे तो हम क्या करेंगे, किस तरफ से हम अपने जानवरों को चराने के लिये ले जायेंगे ? अगर हम अपने जानवरों को बाहर ले जायेंगे तो वे लोग हमारे जानवरों को कांजो हाउस में बन्द कर देंगे, तब हम अपनी परवरिश कैसे करेंगे। इसके उत्तर में बताया गया कि एक दूसरी जगह है, नारायणपुर एक केन्द्र है जो ५२ मील दूर है, वहां पर बसने जाओ। इस सब का अर्थ यह हुआ कि ३५०० शरणार्थियों को वहां बसा दिया जायेगा और जो ६,००० वहां बसे हुए हैं उनको शरणार्थी बना दिया जायेगा।

दण्डकारण्य में जो रजिस्टर रखे हुए हैं उनको मैंने देखा। मैंने पाया कि बंगाल सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को महीने में छः बार शरणार्थियों के कल्याण कार्य को देखने भेजा है। लेकिन जो हमारे प्रदेश के अफसर हैं या जो केन्द्र के अफसर हैं वे कभी भी आदिवासियों की भलाई के कार्यों को जाकर नहीं देखते हैं। मैंने विजिटर बुक को देखा और पाया कि कोई भी अधिकारी आकर आदिवासियों के कल्याण के कार्यों को नहीं देखता है।

उड़ीसा, बंगाल और मध्य-प्रदेश की सरकारों ने एक एग्रीमेंट कर रखा है ट्राइबल वेलफेयर के बारे में और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है :—

"The scheme will in all its manifestations not only safeguard the interests of the tribal population but promote in a positive manner their welfare. The States concerned have Tribal Welfare Departments and their own programmes for tribal welfare. It will be necessary to co-ordinate these programmes with activities of the Dandakaranya scheme. It is also proposed to have on the staff of the Dandakaranya project a social anthropologist who will act as high level advisers on tribal welfare."

दण्डकारण्य को शुरू हुए चौथा साल आ रहा है, आज तक एंथ्रोपोलोजिस्ट एप्वाइंट नहीं हुआ है। कौन देखेगा ट्राइबल वेलफेयर को ? यह समस्या बस्तर जिले की है। वहां एक तरफ दण्डकारण्य है, दूसरी तरफ रेलवे लाइन है, तीसरी तरफ टुक वाले हैं और चौथी तरफ उस जिले में कोई सैटलमेंट नहीं है। सैटलमेंट के कारण भी वहां बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। उस जिले में डधर उधर जंगलों में लकड़ी पड़ी हुई है, जल रही है लेकिन वहां के लोग जलाने के लिये लकड़ी के लिए तरसते हैं। हमारी सरकार कहती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ८५ लाख रुपया वहां खर्च किया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा कल्याण का काम वहां किया गया है। कोई भी कल्याण कार्य नहीं किया गया है। सब अकल्याण ही अकल्याण हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन वहां जो फाइरिंग हुआ उसमें १२ आदिवासी मारे गए। आज तक उनको कम्पेंसेशन नहीं मिला है। यह ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम था कि वह देखता कि उनको कम्पेंसेशन जल्दो मिले। हमारे कमिश्नर साहब का काम था कि वहां जाकर देखते कि जो लोग मारे गए हैं या जो जख्मी हो गए हैं, उनके कुटुम्बियों की क्या हालत है। मैं समझता हूं कि ८५ लाख रुपया खर्च न करके अगर आपने अपने दिल और दिमाग वहां पर लगाये होते और सहानुभूति से आप पेश आए होते तो यह फायरिंग ही न हुआ होता। छः महीने पहले से अखबारों में ऐसी चर्चा हो रही थी कि वहां गड़बड़ी होगी मगर किसी ने इस बात की चिन्ता नहीं की। इनको चाहिये था कि उनके बीच जाकर वे उनकी दशा को देखते। आदिवासियों के बारे में समय-समय पर अखबारों में स्टेटमेंट निकलते रहते हैं लेकिन उनका नतीजा क्या होता है ? वहां पर जो

फाइरिंग हुई वह उचित थी या अनुचित, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि अगर संविधान ने आपके ऊपर आदिवासियों के बारे में कुछ बन्धन लगाये हैं कुछ जिम्मेदारियाँ डाली हैं और आपको उनका कल्याण करना है तो ऐसा न करें कि कागज़ पर बड़ी बड़ी रिपोर्टें आप छाप दें और उनको अखबारों में प्रब्लिश करवा दें और लोगों को बता दें कि इतने करोड़ रुपया इनके कल्याण के लिए खर्च कर दिया गया है बल्कि यह देखें कि उनका वास्तविक कल्याण हो। अगर आप ठोस कार्य करेंगे तो बहुत जल्दी उनका कल्याण हो जाएगा, बहुत जल्दी उनका उत्थान हो जाएगा। तब न इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा न इतनी बड़ी-बड़ी-रिपोर्टें लिखनी पड़ेंगी।

छोटी-छोटी बातों के लिए हम रोते हैं, हम कहते हैं, स्कालरशिप वक्त पर नहीं मिलती है, नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। इनको आप जाने दीजिये आज तो उन लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, उनके पास जो जमीन है, वह उनसे छीनी जा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। जो आदिवासी बस्तर में हैं, उनको रियासत के जमाने में १५ एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई थी। उन्होंने उसमें से दो तीन एकड़ जमीन जोती और १३ एकड़ के ऊपर झाड़ उगाया। आज उनको कहा जा रहा है कि यह जो १३ एकड़ जमीन है, यह जो जंगल है, यह तुम्हारा नहीं है। अगर यह जमीन उन से ली जाती है तो उनका क्या होगा, इसका अन्दाज़ा आप लगा सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो रिपोर्ट है, अगर इस पर बहस विधान सभाओं में भी हुआ करे तो राज्य सरकारें जिस सुस्ती से आज काम करती हैं आदिवासी कल्याण के मामले में, उस सुस्ती से वे काम नहीं करेंगे और काम तेजी से हो सकेगा।

अब मैं दूसरी बात की ओर आता हूँ। मैं रायगढ़ जिले की जसपुर तहसील में गया था। मिशनरियों की जो खास-खास जगहें हैं मैंने उनको देखा। उन लोगों से जाकर मिला मैंने आदिवासी विभाग के केन्द्रों को जाकर देखा, साथ ही जो हमारे कल्याण केन्द्र हैं जिनके सम्बन्ध में श्री प्रकाश बीर शास्त्री कह रहे थे, उनको भी मैंने देखा। मुझे उन सबों में बहुत फर्क मिला। एक तो आदिमियों के साथ माता पिता जैसा प्रेम करते हैं और दूसरे अपनी हुकूमत करते हैं और तीसरे लोग पैसा कमाने के लिये काम करते हैं। अगर इस तरीके से काम होगा तो आखिर आदिवासी कहाँ जायेंगे? वे उसी तरफ जायेंगे जहाँ उन को माता पिता सा प्रेम मिलेगा। जहाँ पर अफसरों की हुकूमत मिलेगी वहाँ नहीं जायेंगे, जहाँ पर पैसा कमाने की बात होगी वहाँ पर भी नहीं जायेंगे। तो इस तरह से काम सही ढंग से नहीं होता है। मुझे जसपुर तहसील में देखने को मिला कि एक लड़का अपने गांव से चार मील दूर पढ़ने को जाता है उनके गांव के अन्दर दो स्कूल हैं, एक आदिवासी विभाग का और दूसरा जनपद का, लेकिन वह उन स्कूलों में न जाकर चार मील पैदल चल कर मिशनरी स्कूल में जाते हैं। यह सोचने की बात है कि आखिर वह चार मील पैदल क्यों जाते हैं जबकि उनके गांव के अन्दर आदिवासी विभाग का और जनपद का ऐसे दो स्कूल हैं। खाली नुक्ता चीनी करने से कुछ नहीं होगा। हम को इस पर गौर करना होगा और स्वीकार करना होगा कि यह काम किसी आर्गनाइजेशन या प्राइवेट एजेन्सी के ऊपर डाल कर अपनी जिम्मेदारी टालने से आगे नहीं बढ़ेगा। सारा काम सरकार को करना होगा। अगर आज ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? हमारी कोई जबर्दस्ती नहीं है। जो भी आज इस कार्य में लगे हुए हैं उन में से किसी को ठीक से जानकारी नहीं है किसी बात की। अगर आप ने हमारे लिये कुछ नहीं किया तो जैसे

[श्री उद्दके]

ईश्वर हमें रखेगा वैसे रहेंगे, लेकिन संविधान ने अपने आपके ऊपर जिम्मेवारी रखी है हरिजनों और आदिवासियों को ऊपर उठाने की। आदिवासियों के बीच में जो काम हुआ है वह इस किताब में लिखा है। इस रिपोर्ट को देख कर आदिवासियों के लिये करोड़ों रुपयों का काम हो रहा है, यह हमें नहीं सोचना चाहिये। वास्तव में आदिवासियों के लिये कुछ काम हो तो जरूर रहा है, लेकिन जिस ढंग से हो रहा है उस से आदिवासियों का कल्याण होने वाला नहीं है।

इतना कह कर मैं अपना भाषण खत्म करना चाहता हूँ।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर रक्षित अनुचितसू जातियाँ) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर जो विचार चल रहा है, मैं उसमें भाग लेने के लिये सदन में खड़ा हुआ हूँ। पहिले भी यह रिपोर्ट अपने रूप में हमारे सामने आती रही है। इस समय भी जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें उन्हीं बातों का समावेश है। अस्पृश्यता की विभीषिका आज भी सारे देश के अन्दर विद्यमान है, अस्पृश्यता का प्रभाव किसी प्रकार भी कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे देश के अन्दर जो भी प्रयत्न सरकारी रूप में या गैर सरकारी रूप में चल रहे हैं, उन के पीछे भी एक ऐसी भावना प्रतीत होती है, जैसी भावना कि अभी मेरे एक माननीय मित्र ने यहां पर प्रदर्शित की, अर्थात् यह कि जब भी कोई कार्य यहां पर मिशनरियों के द्वारा शुरू किया जाता है तो उसका रूप कुछ होता है और उसके पीछे भावना कुछ और होती है। आज इस बात का प्रयत्न जरूर है कि देश में अस्पृश्यता की विभीषिका कम हो और जो इस विभीषिका के शिकार हैं, उनके मस्तिष्क के अन्दर कुछ सन्तोष पैदा हो कि देश में अस्पृश्यता निवारण का जो कार्य चल रहा है उससे उनके जीवन के अन्दर कुछ उत्थान पैदा होगा और

वे भी सच्चे मानव के रूप में जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यह बात अवश्य है कि आर्य जाति ने संसार को जो ज्ञान दिया वेद के रूप में, एक वैदिक समाज के रूप में, उसके अन्दर जो मानव का ऊंचा स्थान है, उसकी ओर देश बढ़ता हुआ कहां प्रतीत होता है। मैं यहां विशेषकर यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमारी हिन्दू जाति या आर्य जाति ने मनुष्य को ही मनुष्य मान कर उसका आदर नहीं किया बल्कि हर एक जीव में, जो छोटे से छोटा जीव हो सकता है, उसमें परमात्मा का अंश मान कर और उसे मानवता तथा पवित्रता का रूप मान कर, उसका पूरी तरह आदर किया है। मैं इस सम्बन्ध में एक भागवत का श्लोक इसलिये रखना चाहता हूँ कि आपके सामने एक विशेष भावना और एक विशेष विचार आ सके :

“मृगोष्ट्रखरमर्कालुसरीसुपखगमक्षिकाः ।
आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषामन्तरं कियत् ॥”

मृग, ऊंट, गदहा, बन्दर, चूहा, सर्प, पक्षी, मक्खी अर्थात् प्राणिमात्र को पुत्र के समान प्रेम की दृष्टि से देखें। सारे प्राणिमात्र को ही हम अपना समझें और किसी प्रकार किसी से भेद भाव न रखें। लेकिन फिर भी इस प्रकार के भेद-प्रभेद आज देश के अन्दर नजर आते हैं जिससे कि हमारा सदियों का हीनतम इतिहास हमारी आंखों के सामने आ जाता है इन भेद-प्रभेदों के कारण कितने अत्याचार सहन करने पड़ते थे। यह बात जरूर है कि इन बातों की तरफ हमारे जो आयुक्त हैं वे समाज तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि समाज के अन्दर रहने वाले सभी प्राणियों का देश के अन्दर एक ऐसा समान समाज बन सके जिसमें सब के लिये उचित स्थान हो, और यहाँ नहीं, बल्कि उस स्थान में किसी प्रकार के भेद प्रभेद, भले ही वे जातिगत भावना है हों, धन की भावना से हों या जो पद-पदवी बांटे जाते हैं उनकी भावना से

हो, नजर नहीं आने चाहियें। लेकिन यह बात यहां पर हकीकत में पूरी तरह दृष्टिगोचर नहीं होती है। हमें वाणी के पीछे भी अगर इस प्रकार की स्थिति का प्रकाश मिल सके तो तो मैं उसे मान सकता हूं, लेकिन आज भी जिस प्रकार के कटु शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके पीछे जो कटुता है, उसके कटु प्रभाव को भी हम देखते हैं। अभी कल रात को जब मैं मोटर से अपने शहर से आ रहा था तो बस के अन्दर झगड़ा हुआ और उस झगड़े के अन्दर एक आदमी एक दम से कूद कर बोला : "भंगी का बच्चा बना कर छोड़ंगा, समझता नहीं है?" इससे पता चलता है कि देश के अन्दर किस प्रकार की कटुता विद्यमान है, और मैं कहने के लिये तैयार हूं कि इस प्रकार की कटुता आज सरकारी दफ्तरों के अन्दर, नौकरियों के अन्दर, पढ़े लिखे लोगों के मन के भीतर, बेपढ़े लिखे लोगों के मन के भीतर, सब स्थानों पर मैं नजर आती है। इस प्रकार के कटु शब्द जब हमारे सामने आते हैं तो वे किस प्रकार हमारे हृदय को चींधते हैं, इसे आप जानते हैं। एक गोली का घाव या तलवार का घाव भर सकता है परन्तु बातों का घाव नहीं भर सकता। बातों के घाव के कारण जो घातक घटना हो सकती है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक श्लोक है :

"कर्णनालीकनाराचात्रिहंरन्ति शरीरतः ।
वाक्शत्यस्तु न निहंतुं शक्यो हृदिशयो हिंसः"

तीर या बन्दूक की गोली शरीर में बैठ जाने पर उसे शरीर से निकाला जा सकता है, तीर का घाव यदि हृदय में बैठ गया हो तो वह हृदय अच्छा हो सकता है, लेकिन कटु शब्द का जो घाव है वह कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिये वाणी का प्रयोग समाज में खूब सोच समझ कर ही करना चाहिये। आज वह वाणी का प्रेम और सद्भाव भी हमें नहीं मिल सकता है।

मैं आप से दिवेदन करना चाहता हूं कि आज भी इस प्रकार से हमें सरकारी

नौकरियों के अन्दर कुछ स्थान दिया जाता है। मैं इस ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि हमारे लिये कुछ नहीं हुआ है। हमारे लड़के धानेदार हो गये हैं, डिप्टी कलेक्टर हो गये हैं, डाइरेक्टर बन गये हैं, ऊंची ऊंची जगहों पर बैठे हैं, छोटे छोटे स्थानों पर भी बैठे हैं, असिस्टेंट्स हैं, दूसरे पदों पर हैं, एल० डी० सी० हैं, यू० डी० सी० हैं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस ओर ध्यान देती हैं और वहां पर इस प्रकार के सहृदय मानव हैं, जो हमारी समस्याओं को समझते हैं, हमें उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रमोशनों के अन्दर, तरक्कियों के अन्दर इस प्रकार की रुकावटें उत्पन्न की जाती हैं जिन के लिये मैं कहने के लिये तैयार हूं कि वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमें इस तरह की बातें सरकारी दफ्तरों में देखने को मिलती हैं। वे सरकारी अधिकारी जो हमारे सिर पर ऊंचे बन कर बैठे हुए हैं वे इस प्रकार से वाणी का प्रयोग करते हैं और वाणी के तीर या गोली मारते हैं, और उन से जो घटनायें हो जाती हैं, उन को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। एक घटना जो मेरे दिमाग में आती है वह इस प्रकार है :

अभी १६ मई, १९६१ की घटना है कि हमारा एक नौजवान आई० डी० प्रसाद जो कि मिनिस्ट्री आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के अन्दर एक असिस्टेंट था, उद्योग भवन की इमारत से नीचे गिरता है। मैंने उस की लाश को देखा और इधर उधर की बातें भी देखीं। यह बात सही है कि उसकी पुलिस जांच हुई। लेकिन आप देखें कि उस के पीछे क्या रूप है। मैं विशेष रूप से उस तरफ नहीं जानना चाहता लेकिन हमारे दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं। चन्द दिन पहले उस से उस के साथियों ने या दूसरे अधिकारियों ने कुछ कटु शब्द कहे। उन की धर्म पत्नी ने भी इस प्रकार का आवेदन पत्र सरकार में पेश किया है। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ और पुलिस की भी जो

[श्री बाल्मीकी]

छान बीन है वह हमारे सामने नहीं आयी। हमारे मन में यह विचार आते हैं कि इस घटना के पीछे जातिगत दुर्भावना काम कर रही है। आदरणीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, और मैं आप के द्वारा उन से प्रार्थना करूँगा कि इस घटना की ऊँचे ढंग से और सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी जाये और हमें मालूम हो कि इस के पीछे क्या भावना थी। और वह तथ्य सामने आने चाहियें तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप हमारे लिये प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं लेकिन हमें देश के अन्दर सद्भावना तक नहीं मिल पाती और इस प्रकार की घटनायें हमारे सामने आती हैं। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूँ कि अगर ठीक प्रकार का वातावरण पैदा किया जाये तो ऐसी घटनायें नहीं हो सकतीं। यह ठीक है कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने इस प्रकार की कुछ घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है लेकिन जो इस प्रकार की अमानुषिक घटनायें देश में होती हैं उन से हमारे अन्दर उत्तेजना जाग्रत होती है और उन के कारण हम को जो अपमानों का सामना करना पड़ता है उस से आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज जो छोटे छोटे हरिजन कार्यकर्ता गांवों में और नगरों में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये काम करते हैं उन को इस प्रकार की स्थितियों का प्रायः सामना करना पड़ता है। मेरठ जिले में सरदार प्रीतम सिंह प्रभाकर का जो कत्ल हुआ है वह इस बात को जाहिर करता है कि उस के पीछे जातिगत दुर्भावना है। उस के पीछे एक शार्टसाईटेडनेस है जिस के कारण हम खुल कर अपनी बात नहीं कह सकते। इस बात को मैं आप के सामने नहीं लाना चाहता कि किस प्रकार इन घटनाओं से हमारे अन्दर उद्वेगन होता है, लेकिन हम आप को उस उद्वेगन के कारण दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहते। आज बहुत सी ऐसी राजनैतिक पार्टियाँ हैं जो साम्प्रदायिक और जातिगत भवनाओं को उभारने का विचार रखती हैं। लेकिन जहाँ तक हरिजनों का सवाल है हम लोग देश के

साथ हैं। आज भी हम धर्म के साथ हैं। लेकिन हम को प्यार, और सद्भावना का व्यवहार मिलना चाहिये। इस ओर मैं ने आप का ध्यान आकर्षित किया है कि आज भी अस्पृश्यता की कठोरता विद्यमान है। हमारे कमिश्नर महोदय ने भी कुछ ग्रामों की इस प्रकार की घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस ओर विशेष रूप से प्रयत्न होना चाहिये और इस काम को केवल अधिकारियों पर ही न छोड़ देना चाहिये। बल्कि समाज में इस कलंक को दूर करने के लिये जोरदार प्रयत्न होने चाहिये।

सन् १९५५ में आप ने अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम पास किया था लेकिन उस का पूरे रूप से पालन नहीं होता। गांवों में अगर हरिजन लोग कुआँ पर जाते हैं या अपने दूसरे सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो वहाँ के अन्य लोगों की डार से उन को रोका जाता है और अनेक घटनायें होती हैं। उन की थानों में रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। इस प्रकार का जो कानून बनाया है उस पर अमल नहीं होता है। इसलिये मैं इस ओर आप का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाये ताकि उस कानून पर अमल हो सके। इस कानून का सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद होना चाहिये।

अभी मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में जो सुझाव दिये जाते हैं उन में से अगर ५० प्रतिशत पर भी अमल किया जाये तो कोई वजह नहीं है। कि अस्पृश्यता का यह अभिशाप कम न हो सके और जो हमारे मानव जाति को उठाने के प्रयत्न हैं वे आगे न बढ़ सकें।

एक बात का जिन्हें बहुत दिनों से आ रहा है कि देश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ अभी भी अस्पृश्यता मानी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि उन गावों की सूची हमारे सामने आये

ताकि हम जान सकें कि वे कौन से गांव हैं जहां अभी अस्पृश्यता जारी है :

श्री राम सेवक दाब : हिन्दुस्तान के ६ लाख गांव ही वह सूची है ।

श्री बाल्मीकी : यह काम हो सकता है । सरकार को इस काम में कोई दिक्कत नहीं हो सकती । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन ग्रामों में अभी भी अस्पृश्यता मानी जाती है उन की सूची तयार की जाये ।

जहां तक हरिजनों को कानूनी सहायता मिलने का सवाल है वह उन को वक्त पर नहीं मिल पाती । मैं चाहता हूं कि उन को कानूनी सहायता समय पर देने की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये ।

यह ठीक है कि आप अस्पृश्यता निवारण के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । लेकिन हम के लिये सब से आवश्यक बात यह है कि अस्पृश्य और हरिजनों के जीवन स्तर को आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाया जाये, उन को खेती के लिये और आवाम के लिये जमीन दी जाये और जो भूदान की और चकबन्दी की जमीन है वह भी उन को बराबर मिले। अभी जो चकबन्दी हो रही है उस में हरिजनों को जमीन नहीं मिलती बल्कि जो उन के रहने और खेती की जमीनें हैं वे भी उन से छीनी जा रही हैं और इस प्रकार की घटनायें घटित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में दिल्ली में और दूसरे राज्यों में । इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता । सरकारी अधिकारी और पुलिस कोई भी ध्यान नहीं देते कि हरिजनों को यह सुविधायें प्राप्त हो सकें और उन्हें सुरक्षा मिल सके ।

बंजर भूमि के बारे में हम बहुत दिनों से कहते चले आ रहे हैं लेकिन बंजर भूमि भी उन को रहने के लिये नहीं दी जाती । इंडस्ट्री और उद्योगों में उन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता । इस के लिये उन को आर्थिक सहायता ना के बराबर मिलती है । उन को व्यापार तथा उद्योग धंधे के लिये परमिट दिये जाने

चाहियें । हरिजनों के नाम से जो कोआपरेटिव सोसाइटियों को परमिट दिये जाते हैं उन से हरिजनों को लाभ नहीं होता । हां, रेलवे विभाग के अन्दर हमारे एकमात्र नेता दाबू जगजीवन राम के प्रयत्न में और डिप्टी मिनिस्टर की सद्भावना में हरिजनों को नौकरियों में स्थान मिलने लगे हैं और उन को पानी पिलाने के और दूसरे स्थान मिले हैं, साथ ही फलों चाय आदि के ठेके मिले हैं । हम के लिये हरिजन उन को धन्यवाद देते हैं ।

अब मैं छात्रवृत्तियों के प्रश्न पर आता हूं जो छात्रवृत्तियां मिलती हैं उन में पिछड़ी जाति वालों की छात्रवृत्तियों में कमी की गई है । उन को ज्यादा वजीफे मिलने चाहियें । हरिजनों को जो वजीफे दिये जाते हैं उन के बीच में अब मेरिट का सवाल आ गया है । इस कारण भंगी कंजर आदि जो बहुत पिछड़े वर्ग हैं उन को वजीफे नहीं मिल पाते । ये लोग गरीबी और पिछड़ेपन के अभिशाप में ग्रस्त हैं । अगर इन को वजीफे देने के लिये मेरिट की शर्त रखी गयी तो इन की उन्नति नहीं हो सकेगी । इसलिये मैं इस ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

रिपोर्ट के पहले पेज पर एक बहुत सुन्दर चित्र दिखाया गया है जो कि बताता है कि किस प्रकार सिर पर पाखाना ढोने की लानत को खत्म किया जायेगा और यह काम हाथ गाड़ी द्वारा किया जायेगा । इसी चित्र में दिखाया गया है कि एक माता छोटी मूठ की झाड़ू लिये हुए कमर झुकाये काम कर रही है और दूसरी माता किस प्रकार लम्बी मूठ की झाड़ू लिये काम कर रही है । हम को इस चित्र में इस धिनौने काम का बदला हुआ रूप दिखाया गया है । इस में एक शान है । भंगी का सवाल अत्यन्त कठिन है । भंगी सदियों से समाज की तह में बैठा हुआ है । उस की दशा को सुधारने के लिये विशेष प्रयत्न आवश्यक हैं । इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान विनोबा जी के शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उन्होंने ने कहा है :-

[श्री बाल्मीकी]

“अस्पृश्यता निवारण का अर्थ किसी को अस्पृश्य न समझना इतना ही नहीं है, बल्कि किसी भी समाजपयोगी कार्य को अस्पृश्य न मानना वह भी है। पाखाने साफ करना सिर्फ भंगी का ही काम है, यह भावना चली जानी चाहिये। उस से तो स्वच्छता का सच्चा शिक्षण मिलता है। सार्वजनिक स्वच्छता को कैसे रखा जाये, इस का भी पाठ उस से मिल जाता है।”

भंगियों के काम के तरीके में तबदीली की जाये, उन को रहने के लिये जमीन मिले, साथ ही उन के काम को घृणा की दृष्टि से न देखा जाये। भंगी जांच समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और उस की सिफारिशें भी गृह-मंत्रालय के सामने हैं और वह इस के लिये कभी इस सदन के सामने आयेगी। लेकिन यह जरूरी है कि सारे देश के अन्दर भंगी की स्थिति को बदला जाये और सफाई पेशा लोगों की स्थिति को जब तक नहीं बदला जायेगा तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। पहली योजना में हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी योजना जारी रही है। उस का भी हमारे पर कोई असर नहीं हुआ है। अब तीसरी योजना का पूरा रूप हमारे सामने है। मेरा निवेदन है कि जब तक हरिजनों के उत्थान के काम को प्राथमिकता नहीं दी जाती, जब तक भंगी के काम करने के तरीके को नहीं बदला जाना, तब तक देश के अन्दर कोई विशेष तरक्की नहीं नजर आयेगी। आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में अस्पृश्य समझे जाने वाले भंगी और अतिशूद्र, लोगों की ओर ध्यान दिया है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने अपने इस शूद्र प्रतिवेदन में उनकी ओर ध्यान दिया है और उचित यह होगा कि इस अस्पृश्यता की समस्या को विशेष प्रकार की प्राथमिकता देते हुए हल किया जाय। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिये और उसके लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे कि मेहनत भंगी और बाल्मीकी कहलाने वाले सफाई

पेशा लोगों का जीवन बेहतर हो सके, उनका उत्थान हो सके और वह भी यह महसूस कर सकें कि हम भी इस प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वाले महान् देश के नागरिकों हैं और हमारा भी उसमें एक स्थान है। जरूरत इस बात की है कि आज लोगों के दिमागों के अन्दर जो अस्पृश्यता का पाखाना है, अस्पृश्यता की विभीषिका है और अस्पृश्यता का कूड़ा करकट है वह सब के दिमागों से हट जाये और उसका निवारण हो जाये। ऐसा होने पर ही हम एक ऐसी मानव जाति यहां इस महान् देश में पैदा होते देख सकेंगे जो कि सही मायने में राष्ट्रीयता से ओत प्रोत होगी और हमारा राष्ट्र तथा समाज इस जाति पर और छाया-छत की लानत से दूर रह कर प्रगति पथ पर चल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बोलने का समय दिया गया तो वह दूसरों का वक्त छीनने के लिये तैयार रहे।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष हम यहां पर आयुक्त महोदय द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करते हैं और बहस करते हैं। उनकी रिपोर्ट के अन्त में एक बड़ी लम्बी सूची होती है उन सिफारिशों की जिनकी कि कमिश्नर साहब करते हैं। आयुक्त महोदय अपने अनुभव के आदार पर जो समस्याएं उनके सामने आती हैं उनको उसमें रखते हैं। वह समस्याएं हमारे सामने भी आती हैं और हम भी देखते हैं। यह आशा होती है कि इस बार जो समस्याएं कमिश्नर महोदय ने मुझाई हैं सम्भवतः उनका समाधान हो जायगा। मैं पिछले 5-6 साल से बराबर यह देखता चला आ रहा हूँ कि हमें यह पता नहीं लगता है कि कमिश्नर महोदय ने जो सिफारिशें कीं उनमें से कितनी सिफारिशों पर अमल किया गया। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि कमिश्नर महोदय ने जो सिफारिशें की हैं उनमें से कितने

प्रतिशत के ऊपर अमल किया गया ? राज्य सरकारों ने उस पर कितना अमल किया है और केन्द्रीय सरकार ने उस पर कितना ध्यान दिया है ? इसके बारे में जानकारी मिलना बहुत आवश्यक है नहीं तो कमिश्नर साहब बराबर सिफारिशें करते चले जायेंगे और सिफारिशों की लिस्ट बराबर बढ़ती चली जायगी और फिर यह भावना पैदा होगी कि लिस्ट तो बढ़ती जा रही है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस और विशेष रूप से ध्यान दें और जब वे अपना उत्तर दें तो इस बात का जरूर जवाब दें।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने बड़े जोरदार शब्दों में एक बात कही है। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो कि हरिजनों का उद्धार और उत्थान करना चाहती हैं। अब मैं तो यह जानता हूँ कि जो कोई हरिजनों का उत्थान करना चाहता है और उद्धार करना चाहता है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है तो उसमें कहने वाली बात नहीं होती है। उसमें तो रचनात्मक काम करना पड़ता है। जिन संस्थाओं का उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने हरिजनों के उत्थान का कितना कार्य किया उन लोगों की प्रगति के वास्ते कितना काम किया यह अगर वह बता सकते तो कुछ बात भी होती। वे बतलाते कि उनकी संस्थाओं ने हरिजन उद्धार का इतना काम किया है और दूसरी संस्थाएँ जिनको कि अनुदान दिया जा रहा है उन्होंने उनकी तुलना में कोई ज्यादा काम नहीं किया है या कम काम किया है या बहुत कम काम किया है तो मैं समझ सकता था कि उनकी बात ठीक है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह कुछ नहीं बताया। अब वह मुझ से मिले थे तो मैंने उनसे यह कहा भी था। आज अवस्था यह है कि कुछ राजनैतिक पार्टियाँ हर बात को एक उद्देश्य बनाना चाहती हैं और उद्देश्य बना कर बहुत लम्बी चौड़ी बातें कह कर

उसमें लाभ उठाना चाहती हैं। ठीक उस तरीके का लाभ उठाना चाहती हैं जिस तरीके का कि वह दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी सदस्य इस तरह की बात कहें वे यह भी सोचें कि उन्होंने स्वयं हरिजनों के उत्थान और उद्धार के लिये कितना काम किया है।

इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि उन पर गौर किया जायगा। एक चीज तो यह है कि ७५० रुपये का मकान बनाने के वास्ते जो अनुदान देते हैं मेरी समझ में यह बिल्कुल अपर्याप्त है। इसके द्वारा हरिजनों के हृदय के अन्दर हम एक ऐसी भावना को जन्म दे रहे हैं जिसमें कि उनकी अवस्था एक भीख मांगने वाले की जैसी हो जायगी। मैं चाहता हूँ कि या तो हम उनको अच्छे मकान दें और उसके लिये पूरा अनुदान दें। उनको जमीन दें और जमीन पर मकान उनको बना कर दें वरना यह जो ७५० रुपये का अधूरा अनुदान देते हैं इसमें एक अच्छा मकान नहीं बन सकता है। ७५० रुपये के अन्दर एक अच्छा मकान नहीं बन सकता है। अगर आप अनुदान की रकम नहीं बढ़ा सकते तो इस अधूरे मिलसिले को आपके वन्द कर देना चाहिए। उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप बजाय उनको अनुदान देने के कर्जा दीजिए और इतना ऋण दीजिए ताकि वह एक अच्छा मकान बना सकें। लेकिन जो कर्जा आप दें वह सूद रहित होना चाहिए। उस पर सरकार को ब्याज नहीं लेना चाहिए। ताकि हरिजन लोग आसानी से उसको उतार सकें। जिस तरीके से मकान बनाने के लिए और बहुत सारे कर्जे दिये जाते हैं और जिनको कि तीस साल की बराबर किस्तों में लिया जाता है, उसी आधार पर इसके लिए भी एक योजना बनाई जाय ताकि ३०, ४० और ५० वर्ष के अन्दर थोड़ा थोड़ा करके हमारे हरिजन भाई अपना कर्जा उतार सकें

एक माननीय सदस्य : अगर वह न दे सकें तो क्या होगा ?

श्री नवल प्रभाकर : मुझे इसका विश्वास है कि वह किरतों में अपना कर्जा उतार सकेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वह उसको न दे सकेंगे। मैं उनको बखूबी जानता हूँ और उनकी आदत से परिचित हूँ। वे भले ही अपना पेट काटेंगे लेकिन कुछ न कुछ बचा कर अपना कर्जा उतार देंगे।

आज जो सबसे बड़ी समस्या है वह शहरों में हरिजनों के वास्ते मकानों की उचित व्यवस्था का अभाव है। आज शहरों में रहना हरिजनों के वास्ते दूभर हो गया है और उनको शहरों में रहने के वास्ते कोई अच्छी जगह नहीं मिलती है। आज स्लम एरियाज अर्थात् गन्दी बस्तियों में जहाँ कि हमारे हरिजन भाई निवास करते हैं वहाँ पर वे पशुओं से भी बदतर हालत में अपने दिन गुजा रहे हैं। हरिजनों की अवस्था पशुओं से भी बदतर है। मैं दिल्ली के बारे में बिना किसी हिचकिचाहट के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ दिल्ली में जो हरिजन गन्दी बस्तियों में पड़े हुए हैं उनकी हालत पशुओं से भी बदतर है। उनकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि सरकार वहाँ के बारे में सर्वेक्षण कराये। आज हालत यह हो रही है कि हरिजन तपेदिक का शिकार होते चले जा रहे हैं। दिल्ली के हरिजन कल्याण मण्डल में काफी तादाद में अर्जियां आती हैं और उसके द्वारा सहायता के अभाव में तपेदिक के रोगियों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हरिजनों को तपेदिक की बीमारी लगने का कारण यही है कि जहाँ वह रहते हैं वह स्वास्थ्यप्रद जगहें नहीं हैं। आप अन्दाज भी न लगा पायेंगे कि वह कैसे नर्क में वास करते हैं। वे गड़हों के पास में रहते हैं जहाँ कि लम्बे लम्बे कीड़े कुलबुलाते रहते हैं। उनके रहने के स्थान के पास सड़ाध भरी नालियां बहती हैं जिनमें कि बहुत ही गन्दगी पड़ी रहती है। इतने पर ही बस नहीं है। हालत यह है कि कि जो ओपढ़ियां बना

कर वह रहते हैं उसमें भी उनको सन्तोष और चैन नहीं मिल पाता है। कारपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारी लोग उन ओपढ़ियों को तोड़ने वास्ते चले आते हैं। उनको न रात को चैन है और न दिन को चैन है। सरकार को इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। अन्यत्र तो राज्य सरकारें इसके लिये जिम्मेदार हैं लेकिन दिल्ली तो केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है और यहाँ के वास्ते तो केन्द्रीय सरकार की सीधी जिम्मेदारी है। सरकार को देखना होगा कि देश के अन्दर जितने भी हरिजन भाई रहते हैं उनकी अवस्था क्या है। स्लमज का नाम लिया जाता है। लेकिन उसके अन्दर भी कोई तरकीबी नजर नहीं आती है। फाड़लें चलती हैं, कागजी कार्रवाई होती है और रिपोर्ट भी हर महीने मेरे पास आ जाती है लेकिन इस मामले में भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। हमारे प्रधान मन्त्री जी बार बार चिट्ठियां लिखते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता है। यदि आप वास्तव में हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको उनके वास्ते अच्छे 'लाटों' का प्रबन्ध करना होगा, उनको मकान बनाने की पूरी पूरी सहूलियतें देनी होंगी। आज हमारा ध्यान गांवों की ओर अधिक जाता है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शहरों की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे यहाँ की जो गन्दी बस्तियां हैं उनको जा कर देखें और अपन अपन अनुमान लगायें कि वहाँ पर मानव रहते हैं या पशु रहते हैं।

हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यह अच्छी बात है। एक बच्चा जब वह हायर सैकेंडरी पास कर लेता है, उसके बाद अगर वह आगे पढ़ना चाहता है तो उसको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। इस तरह के पांच सात नहीं सैकड़ों केस हैं। जिस ने अच्छे नम्बरों में इम्तिहान पास किया हो, अच्छे नम्बरों में उत्तीर्ण हुआ हो और जो कालेज में आगे पढ़ना चाहता हो

उसके पास पैसा नहीं होता है कि वह पढ़ सके । आजकल इस तरह का ढंग बना हुआ है कि जब वह कालेज में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको फीस इत्यादि की शकल में २०० या २५० रुपया जमा कराना पड़ता है और इसके अलावा किताबें खरीदनी पड़ती हैं, तब जा कर उसकी पढ़ाई आरम्भ होती है । वह हरिजन जो गन्दी बस्ती में रहता है और जिसके माता पिता की आमदनी ५०-६० रुपये महीना ही होती है, वह इतने रुपये खर्च करने में असमर्थ होता है और इसका नतीजा यह होता है कि वह कालेज में प्रवेश नहीं पा सकता और आगे की पढ़ाई से उसको वंचित रह जाना पड़ता है । आप जो कालेज में जाना चाहता है उसको छात्रवृत्ति देते हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों न यूनिवर्सिटी को यह लिख दिया जाय कि बाद में जब उसका पैसा छात्रवृत्ति की शकल में आ जाये तब उसको एडजस्ट कर लिया जाये और शुरू शुरू में उससे पैसा लेने पर इंस्टि न किया जाये । यह व्यवस्था सारे देश के लिए होनी चाहिये । यदि ऐसा किया गया तो कुशाग्र बुद्धि के छात्र हैं, उनको अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी । इसमें कोई विशेष पैसे की बात नहीं है, बल्कि जो तरीका इस समय है, उसको बदलने की जरूरत है, जो ढंग है, उसको बदलने की बात है । जो पैसा उसको पांच छः महीने बाद मिलने वाला है और जो फीस इत्यादि उसको प्रवेश के समय जमा करानी पड़ती है, उस समय उससे न ले कर बाद में अगर एडजस्ट कर लिया जाये तो वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है । छात्रवृत्ति में बिल्कुल यही होता है । ट्यूशन फीस और किताबों का खर्चा इत्यादि जोड़ करके उसको छात्रवृत्ति दी जाती है । इस वास्ते जो तरीका है उसको बदलने की जरूरत है । मैं आशा करता हूँ कि इस ओर आप अवश्य ध्यान देंगे ।

एक बच्चा जो पढ़ता है वह अगर अन्तिम वर्ष में जा कर फेल हो जाता है तो उसको उस हालत में स्कावरशिप नहीं मिलता है ।

उस सूरत में उसके मां बाप उसको आगे पढ़ाने की स्थिति में नहीं होते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा विनम्र सुझाव यह है कि उसको अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिये लोन दे दिया जाये ठीक उमी तरह से जैसे कि विस्थापित भाइयों को दिया जाता है पढ़ाई जारी रखने के लिए । जब वह बच्चा पढ़ कर नौकरी में लग जाये या कोई धंधा करने लग जाये उस समय उससे वह ऋण वसूल कर लिया जाये । यदि इस तरह से किया गया तो वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा ।

अभी बाल्मीकी जी ने एक बात कही है । मैं पहले इस बात को नहीं मानता था । मैं समझा करता था कि मन की जो भावनायें हैं, वे बदला जरूर करती हैं और जैसे जैसे हम तरक्की करते जाते हैं, वैसे वैसे ये भावनायें भी बदलती जाती हैं । लेकिन कुछ घटनायें ऐसी हो जाती हैं, जो मन को झकझोर देती हैं और मन के अन्दर एक तरह की हलचल पैदा कर देती हैं और हमें सोचने के लिए विवश कर देती हैं । अनायास ही हमारे दिल में यह भाव पैदा हो जाता है कि लोगों के मन साफ नहीं हैं और अस्पृश्यता की भावना उनके मनों के अन्दर बैठी हुई है और बाहर निकलने का नाम नहीं लेती है । मद्रास का काण्ड हमने देखा । इस तरह के छोटे मोटे और भी कई काण्ड होते रहते हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी जिस ने डायरेक्टर साहब से इजाजत ली कि वह पढ़ना चाहता है और उन्होंने उसको इजाजत दे भी दी कि वह पढ़ सकता है, कालेज में दाखिल हो गया । लेकिन जब उसकी परीक्षा का समय आया और किसी को यह मालूम हो गया कि वह हरिजन छात्र है तो बजाय इसके कि उसको अपने घर के पास रहने दिया जाता उसको बीस मील दूर एक गांव में रहने के लिए भेज दिया गया । वह बहुत रोया, चिल्लाया, दर दर जा कर हाथ पैर जोड़े लेकिन कोई धुनवाई नहीं हुई । वह भेरे पास आया । मैं भी क्या कर सकता था ? मैंने शिक्षा मंत्री जी को

[श्री नवल प्रभाकर]

लिखा और उन्होंने कृपापूर्वक इतना तो कर दिया कि उसको जो एग्जामिनेशन में बैठने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, वह दिला दी। लेकिन परिणाम वह ही निकला जो निकलना था। वह फेल हो गया। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि उसको तीन घंटे आने में और तीन घंटे जाने में लगते थे। वह अंधेरे में उठ कर जाता था और रात गये वापिस आता था। इस तरह की जो घटनाएँ दिन-प्रति-दिन होती रहती हैं, वे मन को झकझोर देती हैं और हम को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश कर देती है कि अस्पृश्यता मिट नहीं रही है और अस्पृश्यता की भावना मनों के अन्दर घर जमाये बैठी है और अक्सर पा कर बाहर निकल आती है।

कहने को तो मुझे बहुत कुछ कहना था

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो खत्म करना चाहिये।

श्री नवल प्रभाकर : मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं और जो मुझसे दिये हैं, उन पर माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

Shri B. K. Gaikwad (Nasik): Mr. Deputy Speaker, Sir, we are considering the 9th report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes. There are several problems mentioned in the report and unfortunately there is no time at our disposal to consider all the problems. Many of my friends have spoken about several items and so I will confine myself to only a few items, namely, education, economic problem and other grievances of these Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.

Government is saying every now and then that they are supporting the Scheduled Castes and Tribes people in order to promote their education as

much as they can. But for your information I would refer to what has been mentioned in this report; I would not say anything of myself. On page 69 of part II of the 9th report, there is a statement showing the enrolment figures of the children of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes for the year 1957-58. The total number of all children belonging to all these classes admitted in the primary and secondary schools comes to 1,14,04,902. Of these only 82,680 boys have joined university courses in arts, science, etc. This shows that 1,13,22,222 children left the schools in between. Why have they done so? That is the problem before us. The reason may be of their poverty and due to that they have to face so many other difficulties every day.

15 hrs.

Then I will refer to another statement which my hon. friend the Commissioner has given and that is Statement No. I. This is a statement showing Statewise number of applications received for scholarships awarded and paid to the students belonging to the Scheduled Castes and the amount allotted to the State Governments and so on. You will find from this statement that there were about 42,230 applicants for scholarships, out of which 38,657 students were awarded scholarships. At the end you will find that 3,529 students were not paid the scholarships. I do not know the reason for this. The Government very often say that they are awarding scholarships for the education of Scheduled Castes. I am quoting these figures in regard to the Scheduled Castes only. How is it that a big number of 3,573 boys were not paid scholarships?

Again, you will find from the statement that whatever scholarships were awarded, the actual number of

students paid is something like 35,128. When scholarships were awarded there were 38,657 students, practically you will find that only 35,128 students were paid the scholarships. It means that 3,529 students were not given scholarships even after the award. Why so? I do not find any reason as to why, after awarding the scholarships to the Scheduled Caste boys, many of them were not paid. Last year or so, several complaints were received from the Scheduled Caste boys that though scholarships were awarded to them, they did not get them. Representations were made to the Education Ministry as well as the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Unfortunately nothing has happened as far as these scholarships are concerned. They were not given to these boys. When the scholarships are awarded, I do not know why they are not paid to the boys concerned.

The same is the case with the Scheduled Tribes. If I read the figures, it will take too much time and therefore I cannot waste the time. But I can say that the same is the case with the Scheduled Tribes and other backward classes. All these figures will go to prove that whatever scholarships are awarded to these students, they are not paid to them. I do not know the reason. I therefore request the Government, through you, to investigate into the matter and see that whatever scholarships are awarded are paid to the students.

The second point to which I would like to invite the attention of the House is this. While replying to the debate on the report of the University Grants Commission, the hon. Minister of Education was pleased to say that it is the policy of the Government not to admit all boys who desire to seek admission in the universities. Why? He said that the number of students seeking admission is increasing. If the number is increasing what are they going to do? Of course, in my opinion, admission will probably be made on merits and the merits will be based on the marks, that is, the boys must obtain a particular percentage of marks

in the examination. If this is applied, then naturally, who will be the sufferers? I just want to bring to the notice of this House that the worst sufferers or victims will be the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the backward class people who form half the number of people in the country. They will be the sufferers. Suppose they are refused university education, what will be the position? They will be kept backward as they were before. Of course, in the past, you know we read the *Manu Smriti*. In the *Manu Smriti* it is said that education should not be given to particular class of people. In the same way, another *Manu* has come and taken the portfolio of education. Now he is putting this restriction that education should not be given to these Backward class people; even they pass the university examination. But may I tell you sir, why students from the backward classes obtain less percentage of marks? The reason is very simple. They have to face several difficulties. They do not get accommodation to live in; they do not get light; they do not get books and so on. I have seen so many poor boys studying in the matric class. Even though they are studying in the matric class and appear for the examination, they have not got books. Under the circumstances, even if they appear at the examination and pass and if they do not obtain a particular percentage of marks and if you are going to restrict admission to such students into universities and prevent them from receiving university education, that will be a great injustice done to them. By doing so the progress of the backward classes in the country will be retarded. May I tell this House and particularly this Government, through you, that the Government should not proceed under the wrong impression that we can continue to suffer as we did during the time of Manu? During these days the people will not suffer this injustice. The people will not tolerate this duty policy of the Government. The people will revolt against the Government if the Gov-

[Shri B. K. Gaikwad].

ernment plays this mischief of restricting a particular class of persons from receiving higher education. If this policy is adopted it will be nothing, and higher education will become the monopoly of the advanced class people. Again there will be two classes—the advanced and the backward classes. The Government want to keep the backward classes as slaves. But I must tell the Government that the backward classes do not want to be slaves of Advance classes hereafter. They want to receive university education under any circumstances.

I have not got the time to go into details; otherwise, I can quote not one but a thousand instances. Take, for instance, the case of our leader the late Law Minister, Dr. Baba Saheb Ambedkar. He passed his matric examination in the third class. But since he got the opportunity of being helped by the Maharaja Gaekwad he showed his merits and made great progress and showed to the country what he was. In the same way you will find that there are thousands of boys, who due to circumstances could not show their merit. But as soon as they have opportunities, you will find that they have shown their merit. I have seen persons who have passed matric just in the third class, but obtained a first class in the B.A. and other examinations only because they got certain facilities. So my request to the Government is that they should not adopt this policy of restricting the Backward classes in getting University education in the interests of the country at least. I can say only that much, because I have no time at my disposal to explain this matter in detail.

I shall then refer to another aspect which I mentioned in the beginning, namely, the economic condition of the scheduled caste people. You know that the Scheduled Caste people in the country are too poor. What are they? They have not got the means to a livelihood. They wholly and solely

depend on others in the villages and they have to live at the sweet will of the villagers. If they take water from the public well, immediately you will find that they are boycotted from the next day by the caste Hindu villagers. They are not allowed to come to the village; they are not allowed to go to the fields; they are not given any work; nothing of the sort. That is the position. So, under the circumstances, when this is the position of the Scheduled Caste people, I just want to ask this Government as to what they have done in order to improve the economic condition of the Scheduled Caste people in the country. Of course, the Government will come forward with a report and so many other nasty things. I will just tell you what is being done. In the report, certain schemes have been mentioned. The Khadi and Village Industries Commission has been mentioned in the report. If anybody wants to refer to it, I shall give the page number: the page number is 145, in Part II of the report. There, it is said that employment was provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, practically the latter during the year 1959-60, numbering 50, 833. During that year, 50838 persons earned Rs. 1.76 lakhs under the scheme mentioned in the report. It is also stated that the largest number of those employed was from Bombay and so on. Just imagine this. I am very weak in mathematics, but I have calculated it and I find that if 50, 838 people earned Rs. 1.76 lakhs, it comes to Rs. 3.4 per head. Nothing has been mentioned as to whether it is for a year or for a month or for a day. But I think it is for the whole year. The Government solved the economic problem of the scheduled castes people by giving Rs. 3.4 a man!

In the next para, the Commission has said that it is difficult to indicate the actual number of persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes benefited by the programme under their review. 16,573 people were appointed part-time and 769 people

were appointed full-time. They earned Rs. 2.07 lakhs. If this amount is divided amongst 17,306 people it comes to Rs. Rs. 11.9 per head for ten months' work. This is how the Government are solving the economic problem of the scheduled castes people. In the report, it is said that the Government are solving this economic problem of the Scheduled caste people.

Government say that we are having cottage industries. What is cottage industry? Take this khadi business—weaving. I come from Nasik district and there are some talukas where our scheduled castes people are doing this business of weaving. They have left the weaving business, because there is no market for their produce. I do not want to read the figures and take up the valuable time of the House. I have toured Punjab and other parts of the country. The weavers have stopped weaving, because Government are encouraging only khadi, which is handwoven and hand-spun. If I bring mill yarn and start weaving, I am given no support. Is it not a cottage industry? What are the Government doing in this connection? Government should see that the scheduled castes people are supported in this respect and their financial position is improved.

Then, shoe-making is done by the scheduled castes people. Whenever the State Trading Corporation wants to send shoes to foreign countries, it purchases the shoes from the scheduled castes people and send them. We have no objection to that, but they have put another middleman. I think there is nothing wrong in mentioning the name of my friend, Shri Gupta. I do not know whether he comes from Chamar family. I think, he is not a Chamar; he is a baniya, a middleman and the contract of exporting shoes to foreign countries is given to him.

What happened during the time when hon. Minister, Shri Shastri, was Commerce Minister? There is one

Agra Charam Kala Kendra at Agra. It is a registered association of actual shoe manufacturers of Scheduled caste. They applied that they may be allowed to export shoes to foreign countries, but they were not allowed. The matter is hanging for the last two years and the middleman, Shri Gupta, is taking advantage of all the benefits. I do not know what is going on. The people working in the business should be given the first preference, but the Chamars who do the business are not encouraged.

As far as my information goes, he purchases shoes from a shoe-maker for something between Rs. 17 and Rs. 24 a pair. They sell it to foreign countries at Rs. 32 or Rs 40 or Rs. 45 per pair. A man earns from Rs. 10 to Rs. 15 per pair for doing nothing. He just purchases the shoe from the shoes-makers and sends them to foreign countries. How many pairs are sent? Not hundred or thousand, but lakhs of pairs are sent every year to foreign countries. The middleman is taking this benefit. The benefit is not going to the Chamars who are scheduled castes people.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri B. K. Gaikward: I do not want to displease you this time; I shall finish.

Mr. Deputy-Speaker: I am thankful to him, but he should give some consideration. If the bell is callous, he should not be impervious.

Shri B. K. Gaikward: I shall just finish. I was going to request the Government through you to do something for these scheduled caste people, who have been suffering for years from poverty. Government should remove the middleman and see that the scheduled castes people are benefited.

I said in my speech that I will be mentioning some instances. There is one village called Shalimar. There the scheduled caste people have been

[Shri B. K. Gaikwad].

driven out by caste Hindus for the last three years, they have become refugees. The matter was reported to the police and I myself went and saw the Inspector General of Police, Delhi. I took the Commissioner, Shri Srikant, to the village and showed him what had happened. He gave the assurance that he will do something. But he has got no power; he can only give assurances. For the last three years, they have become refugees. They are not allowed to come into the village. Their houses have been looted.

There are so many cases of this sort, but I abide by your ringing the bell and resume my seat.

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब से इस रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है, जितने माननीय सदस्यों को मैं ने सुना करीब करीब सभी ने इस समस्या की गम्भीरता के बारे में जिक्र किया, और मैं कह सकता हूँ कि चाहे वे सरकारी दल के सदस्य रहे हों, उनकी भी यह ज़ुरत नहीं पड़ी कि इस समस्या से वह इन्कार करते। हाँ यह अवश्य है कि दो एक माननीय सदस्यों ने और खास तौर से बाल्मीकी जी ने कुछ आगे बढ़ कर और बाद में कुछ पीछे हट कर उस चीज को पीछे लाने की कोशिश की पर असलियत को वह भी बेचारे छिपा नहीं सके।

यह हरिजनों, आदिम जाति के और पिछड़े हुए लोगों की समस्या एक विषम समस्या है और इस समस्या का संबन्ध जाति प्रथा से है। मैं बराबर कहता आया हूँ, और, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पुनः इस सदन में दुहराऊँगा कि जब तक इस जाति प्रथा का अन्त नहीं होता तब तक न तो इस समस्या का हल होगा, न देश में राष्ट्रीयता कायम होगी, न एकता कायम होगी, और न देश के अन्दर स्वतंत्रता और समता कायम रह सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहस हो रही है तो हम

देखते हैं कि इस सदन में—अभी तो प्रवान मंत्री जी मौजूद हैं—अब तक कोई भी मंत्रि मंडल का सदस्य नहीं था, हमारी उप मंत्राणी महोदया थीं वह भी उठकर चली गयीं, एक हमारे सभा मंचिव श्री जोशी जी बैठे थे। इतना अहम प्रश्न और इस तरह का सरकार का रुब।

अगर हम रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें यदा कदा शिकायतों की गयी हैं कि राज्य सरकारों ने यह रिपोर्ट नहीं दी वह रिपोर्ट नहीं दी। रिपोर्ट को देखा जाये तो पता चलेगा कि दस राज्यों ने और तीन केन्द्र शासित राज्यों ने उनको कुछ सूचनायें दीं और बाकी ने नहीं दीं। इस तरह आठ बच रहते हैं। फिर आप देखें कि कुछ परिपत्र आयुक्त महोदय द्वारा जारी किये गये। उन परिपत्रों का जहाँ तक सवाल है सभी का उत्तर नहीं आया और कई कई राज्यों से ६-७-८ परिपत्रों का उत्तर नहीं आया। इससे पता चलता है कि किस तरह राज्य सरकारें इस समस्या को हल कर रही हैं और इस मामले में कितनी रुचि लेती हैं यह इस रिपोर्ट से जाहिर हो जाता है। आज भी इस चीज की शिकायत की गई है और पिछली बार भी शिकायत की गई कि हरिजनों के उद्धार और उत्थान के हेतु राज्य सरकारों का जो कर्तव्य है वह उसको पूरा नहीं करती हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करूँगा कि जो केन्द्र शासित क्षेत्र हैं वहाँ से कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आती है? फिर अब तो सीमाग्य से या दुर्भाग्य से जितने भी राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही सत्तारूढ़ पार्टी है और केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो राज्य सरकारें क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट भेजती यह कुछ समझ में नहीं आता। इसके लिए तो यही कहना पड़ेगा कि उनमें आपस में कुछ एक मिली जुनी भुगतन चल रही है कि वह अपनी जिम्मेदारी इन पर डालें और यह अपनी जिम्मेदारी उन पर डालें असल में मालूम देता है कि कोई

भी इस समस्या का समाधान और हल नहीं चाहता ।

यहां पर हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लड़कों को बर्जोफे दिये जाने की बात और उनके स्कूलों में दाखिले की बात को लेकर काफी चर्चा हुई है । मैं उन बातों को लेकर अपना समय नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह छुआछूत का जो प्रश्न है वह अभी भी विद्यमान है और हल नहीं हुआ है ।

छुआछूत के दो रूप हैं । एक तो छुआछूत वह है जो अभी भी गांवों में चलती है । आज भी गांवों के अन्दर हम देखते हैं कि नहाने की जगह से लेकर, पूजा पाठ में और उठने बैठने इन सब में यह छुआछूत बर्ती जाती है । लेकिन मैं आपको छुआछूत का दूसरा रूप भी बताना चाहता हूँ और वह हमारे पढ़े लिखे लोगों में चलती है । यह तो ठीक है कि जहां तक पढ़े लिखे तबके का ताल्लुक है दफ्तरों का सवाल है, बड़े बड़े अफसरों का सवाल है उनमें छुआछूत खाने, पीने और चाय तक तो दूर हो गई है लेकिन जहां नौकरियां देने का सवाल आता है, जहां तरकी देने का सवाल आता है, छुआछूत की बीमारी ने बड़ा घृणित रूप धारण कर लिया है । जाति प्रथा का इतना नंगा नाच हो रहा है कि अगर किसी राज्य में कोई अमुक जाति का मुख्य मंत्री बन जाय तो देखने में यह आता है कि चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस और अन्य विभागों के आला अफसर सब उसी जाति के भर जाते हैं । यह जाति प्रथा की बीमारी उत्तर प्रदेश से लेकर केन्द्र तक घर कर गयी है और कोई इस से अछूता नहीं बचा है । यह जातिप्रथा छुआछूत का एक मिला जुला नतीजा है जो कि हम देख रहे हैं लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती है ।

हमारे साथी बाल्मीकी ने इस जाप प्रथा के कारण भेदभाव के उदाहरण पेश किये ।

मैं भी सदन के सामने इसी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एक उदाहरण रखना चाहता हूँ और वह ब्लिटज अखबार में निकला था । श्री इन्द्र देव प्रसाद जोकि कामर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में असिस्टेंट था । हालात ने उसको आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया । उसके सवर्ण जाति के सुपीरियर्स ने उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया क्योंकि वह एक हरिजन था । आत्महत्या करने से पहले उसके सैवदान सुपरिन्टेंडेंट के बतौर काम करने का चाम था क्योंकि सैवशन सुपरिन्टेंडेंट दो महीने की छुट्टी पर गया था लेकिन जो उसका ड्यू प्रमोशन था वह उसे नहीं दिया गया और उसको तरक्की न देकर उससे कम क्वालिफाइड आदमी को उस जगह पर बिठा दिया गया । इन परिस्थितियों से मजबूर होकर और फस्ट्रेटेड होकर उसने १६ मई की सुबह को आत्महत्या कर ली

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि अगर वे किसी एक खान मामले को लेकर सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय को उसका पहले नोटिस मिलना चाहिये । इस तरह से मंत्री साहब उसका कैसे जवाब दे सकेंगे ?

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज अखबारों में काफी जगह पा चुकी है और इस पर इतनी चर्चा हो चुकी है कि मैं समझता हूँ कि हमारी मंत्राणी महोदया इम केस को अच्छी तरह से जानती होंगी . .

उपाध्यक्ष महोदय : पहले से यह फर्ज कर लेना कि मंत्राणी महोदया इसके बारे में जानकारी रखती होंगी ठीक न होगा । अगर माननीय सदस्य कोई इंडिविजुएल केस रखना चाहते हैं तो उसका उनको पहले से नोटिस देना चाहिए वरना मंत्री महोदय उसका जवाब नहीं देंगे ।

Shri B. K. Gaikwad: There are several cases of this nature.

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस जातिप्रथा और भेदभाव के बारे में

[श्री रामसेवक यादव]

और कितनी सी मिसालें दे सकता हूँ। मैंने इस के का इसलिए जिक्र किया क्योंकि इसकी चर्चा अखबारों में काफी हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि हमारी मंत्राग्री महोदया को अवश्य इस बारे में जानकारी होगी।

इसी तरह राजस्थान की घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिला सीकर में नीम के थान के समाप्त एक गणेश्वर झरना है। वहाँ पर हरिजनों को स्नान करने नहीं दिया जाता है। पिछले वर्ष तीन हरिजनों ने उस झरने में नहाने का प्रयास किया था तो उस प्रयास का परिणाम यह हुआ कि वहाँ के स्वर्ण लोग इकट्ठे हुए और उन हरिजनों के ऊपर घातक प्रहार किया और मजा यह है कि वहाँ की मुख्याडिवा सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मैं श्रीमन् आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि आगामी २ अक्टूबर को हम लोग उस स्थान पर हरिजनों को लेकर जायेंगे और हरिजनों को वहाँ पर स्नान करने का अधिकार दिलाने का प्रयत्न करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे।

भारतीय संविधान में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मनुष्यों के बीच में जाति या किसी अन्य चीज को लेकर कोई भेदभाव नहीं बर्ता जायगा लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह से संविधान की उपेक्षा की जा रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ रिपोर्ट में इस घटना का कहीं जिक्र नहीं है हालांकि यह इतनी अहम घटना है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

हिन्दुस्तान की आवादी इस समय करीब साढ़े ४३ करोड़ के है। इस रिपोर्ट ६, को देखने से मालूम होता है कि सन् १९५८ में अस्पृश्यता के मिलसिले में ३६८ मुकद्दमात दर्ज किये गये जबकि सन् १९५९ में ऐसे मुकद्दमों की तादाद घट कर ३८९ रह गयी है। इस हिसाब से ९ मुकद्दमे कम हुए और

यह कहा जा सकता है कि अस्पृश्यता निवारण की प्रगति अच्छी है लेकिन मैं एक दूसरा नतीजा निकालूंगा और वह नतीजा यह है कि अगर हम इस फीगर को सही मान लें और यह मान लें कि सरकार की मशीनरी चाहे राज्यों की हो अथवा केन्द्र की हो, इन मामलों को लेकर ठीक चलती है और जब यह जुर्म दस्तअंदाजी का जुर्म है और इसमें पुलिस को मुकद्दमा चलाने का अधिकार है और चूंकि मुकद्दमों की संख्या इतनी कम है इसलिए हम यह मान लें कि छत्रछात्र जंसी समस्या इस देश में है ही नहीं। लेकिन श्रीमन्, असलियत क्या है। असलियत तो यह है कि इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं होती है, कोई इनक्वायरी और जांच पड़ताल नहीं होती और जांच होती भी है तो मुकद्दमा नञ् चलता है। आखिर आप यह क्यों भूल जाते हैं कि यह रिपोर्ट लिखने वाले, इनक्वायरी करने वाले और मुकद्दमा चलाने वाले लोग हैं कौन? मैं तो यह बड़ी खुशकिस्मती समझूंगा और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की इसको कामयाबी मानूंगा अगर वे अपने पुलिस अधिकारियों को ही हरिजनों पर अत्याचार करने से रोक सकें।

अभी मैं मुगलसराय गया था। वहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि इसी केन्द्रीय सरकार के रेल विभाग के अन्तर्गत वाच एण्ड वार्ड में हरिजन भाई भी रहते हैं और स्वर्ण हिन्दू भी रहते हैं। वहाँ जो भंडारखाना है जहाँ भोजन उनको मिलता है वह हरिजनों को चौके में नहीं मिलता है और स्वर्ण लोगों को चौके में खाना परोसा जाता है। इस तरह का भेदभाव उनके साथ बर्ता जाता है यह मामला ऊपर आया भी है।

इसी तरह का भेदभाव इलाहाबाद युनिवर्सिटी के होस्टल में जहाँ कि आई० ए० एस० के ट्रेनीज विद्यार्थी रहते हैं हरिजन और स्वर्ण विद्यार्थियों के बीच में चलता है। यही

भेदभाव पुलिस में भी होता है और अगर किसी आदमी की हत्या हो जाय तो उसकी लाश को ले जाने के लिये कौन तलाश किया जाता है। लाश को ढोने के लिए एक खास जाति है, चमार जाति, जिसके कि सदस्य श्री जगजीवन राम हैं, उस जाति के आदमी को तलाश किया जाता है। यह भेदभाव जाति जाति के बीच में हम लोग ही करते नहीं हैं बल्कि सरकार की मशीनरी करती है। १०६ के मुकद्दमे हम देखते हैं कि हरिजनों पर ही चलते हैं। एक तरफ तो हरिजनों के पास नौकरी नहीं है कोई रोजगार नहीं है और मजा यह है कि जब वह कहीं जाते हैं तो उनके ऊपर १०६ का मुकदमा कर दिया जाता है। १०६ का चालान उन्हीं लोगों का होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सरकारी प्रशासन में भी हरिजनों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

जब जहाँ तक पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को वजीफ मिलने की बात है तो वह भी उनको नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वह तो फर्स्ट डिवीजन हासिल नहीं कर सकते हैं। अब जाहिर है कि जिनको रहने की सुविधा नहीं, रोजगार की सुविधा नहीं उनके बच्चों को फर्स्ट डिवीजन कैसे मिलेगा ?

15.27 hrs.

[SHRI JAGANATHA RAO in the Chair]

अब यह फर्स्ट डिवीजन की कैद लगाने का तो मतलब यह हुआ कि वह पिछड़ी जाति हरिजनों को वजीफा देना ही नहीं चाहती गांवों में एक कहावत है कि मांगने गये थे पूत, मर गया भर्तार। अब उनके लिए यह शर्त लगाना कि जब तक वे इतने मार्क्स नहीं लायेंगे उनको विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिल सकेगा एक तरह से पिछड़ी जाति के लोगों को विश्वविद्यालय में दाखिल होने से रोक दिया गया है। अब हरिजनों में स्त्रियों को भी शामिल करता हूँ और उनमें कुछ मुसलमान भाई भी आ जाते हैं जैसे मोमिन,

अंसार इन लोगों की संख्या का अगर हिसाब लगायें तो ३६-३७ करोड़ लोगों के बच्चों की आगे पढ़ने पर यह शर्त लगा कर एक तरह से रोक लगा दी गई है।

श्री गायकवाड़ जी ने डा० श्रीमाली जी को मनु की पदवी दी। बेचारे श्रीमाली का क्या, असली मनु तो प्रधान मंत्री नेहरू हैं। इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर थोड़ी सी भी हमदर्दी इस देश के गरीब पिछड़ी और हरिजन लोगों के साथ है तो कम से कम इस तरीके का प्रतिबन्ध दाखिले के लिये नहीं लगाना चाहिए और उनको आगे पढ़ने का मौका देना चाहिये। सरकार को इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

हम देखते हैं कि इस सदन में मामूली मामूली विषयों पर बहसें हो जाती हैं। कोई साधारण सी भी घटना होती है तो उसका रेफरेंस हाउस में होता है। यह समझ कर कि पिछड़ी जातियों की आर्थिक समस्या और सामाजिक समस्या जटिल है, उनके लिए विशेष सुविधा की जरूरत है, एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसकी रिपोर्ट आती है। ये पार्लियामेंट खत्म होने जा रही है। पिछली बार मैंने पूछा कि क्यों इस पर बहस नहीं होती है, क्यों इतना पैसा व्यय किया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी बहस करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

जब सरकार यह कहती है कि हम जाति को पिछड़ेपन का आधार नहीं मानेंगे, बल्कि हम आर्थिक सामाजिक और शिक्षा की स्थिति से पिछड़ेपन की जांच करेंगे, तो फिर जिन हरिजन भाइयों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है और इस प्रकार उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनको भी वही सुविधाएं मिलनी चाहियें, जो कि हरिजनों के रूप में मिलती थीं।

मैं डिस्क्रिमिनेशन की एक और मिसाल देना चाहता हूँ। मुझे गर्व है—और देश

[श्री रामपेवक यादव]

को भी गर्व होना चाहिए—कि डा० अम्बेदकर जैसा प्रतिभावान व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ। हम देखते हैं कि दूसरे भाई माननीय बुजुर्गों और नेताओं की प्रतिमायें सेंट्रल हाल में लगा दी गई हैं, लेकिन डा० अम्बेदकर, जो कि केन्द्रीय मंत्री-मंडल के सदस्य और संविधान के निर्माता रहे हैं, की प्रतिमा को वहां स्थान नहीं मिल पाया है।

यदि सरकार चाहती है कि इस सिलसिले में कुछ काम हो, तो वह मेरे इन सुझावों की तरफ ध्यान दे। हमारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर रने के लिये इन बातों पर अमल करना जरूरी है।

रविदास, कबीर, तुकाराम, रामदास आदि उदार समाज-सुधारकों के उपदेश पाठ्य-पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाये जायें, ताकि जातीयता का विष हमारे समाज से निकल सके।

तहसीलों और डेवेलपमेंट ब्लाक्स में अधिकारी और समाज के कार्यकर्ता और दूसरे लोग मिल कर सहभोज और सभायें साल-ब-साल करते रहें।

अखिल भारतीय जाति विनाश संघ को भी सहयोग दिया जाये और अधिक सहभोज और अन्तर्जातीय विवाह संगठित किये जायें। जो लोग अन्तर्जातीय विवाह करें, उनको सरकारी नौकरियों और गजेटिड नौकरियों में प्राथमिकता दी जाये।

हरिजनों, आदिवासियों, स्त्रियों और मोमिन, अन्सार आदि पिछड़ी जातियों को, कम से कम जब तक जाति प्रथा का अन्त न हो जाये और समानता और समता स्थापित न हो जाये, बड़ी नौकरियों और गजेटिड नौकरियों में साठ प्रतिशत अवसर दिये जायें, चाहे वे दूसरों के मुकाबले में कम योग्य भी क्यों न हों। उनकी अयोग्यता के सम्बन्ध

में जो दलील दी जाती है, वही दलील अंग्रेज हिन्दुस्तानियों के बारे में दिया करते थे। जब तक उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक उनमें योग्यता कैसे आयगी?

भूमि सुधार के सम्बन्ध में हरिजनों को जमीन देने की बात की जाती है। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखूंगा। वहां पर चालीस एकड़ अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है और उसके अलावा बाग, मुर्गी फ़ार्मिंग, बगीचा, जड़ी बूटी वाली भूमि आदि इतना कुछ छोड़ दिया गया है कि जमीन बंट ही नहीं सकती है। हरिजनों और पिछड़ी जातियों को जमीन देने का जो सिद्धान्त है, उस की आत्मा की रक्षा करते हुए उन लोगों को वास्तविक रूप में जमीन दी जाए और दिखावे और प्रचार का काम न किया जाये।

जहां तक लगान की माफी का प्रश्न है, दस बीघा से नीचे की खेती बिनामुनाफ़े की होती है, इसलिये मेरा सुझाव है कि हरिजनों का लगान माफ़ किया जाना चाहिए।

Shri Ayyakannu (Nagapattinam—Reserved—Sch. Castes): Mr. Chairman, when I stand to speak today on the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I cannot but remember the great soul of our beloved Pantji who devoted a large part of his time to the cause of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. At the same time, we have at least got the consolation that we have got our Shastriji, who is also equally interested in the problem of Scheduled Castes and Tribes.

Sir, in fact, I do not like to take part today in this debate because I feel it is not a problem entirely left to the Scheduled Castes alone; it is a problem covering the whole nation. I feel that not only the members of the Scheduled Caste but others also should take interest in this subject. If it is to be more effective, I would

say that this report should be discussed not only by hon. Members belonging to the Scheduled Castes and Tribes but by all the Members of this House, because it is not fair on our part to fight always for our right. As far as I am concerned, I have spoken on almost all the reports ever since I have been elected to this House and I have emptied all the suggestions. So, there is nothing novel for me to place before this House and, therefore, it is not fair on my part to speak at all. Anyhow, when I see that there is none other than members belonging to the Scheduled Castes for taking part in this debate, I feel that I should also participate.

An Hon. Member: In spite of our repeated requests, we are not given an opportunity to speak.

Shri Ayyakannu: In that case, I would request the Chair to give more opportunities to other members than to Scheduled Castes. That would be a fair thing. Anyhow, I am glad that many of our hon. Members are interested in this subject.

Then I would like to stress one or two points. I am not very much interested in this report, because it is very stale and routine and contains nothing new. Every year it contains the same chapters; there is nothing novel in this. Then, most of the recommendations made by the Commissioner even in his first report have not been implemented by Government so far. It is like a composition. Every year that report is placed before this august House. It is nothing but a school-boy's composition. I request that I may be excused for making these remarks; because, there is nothing new in that.

Now I would like to make some general reference to the report. I never used to make general references because whenever I came to speak I used to come fully prepared. This time, because I am not very much interested, I want to stress only one or two major problems. I think this problem cannot be solved by giving jobs to a few men

belonging to the Scheduled Castes or sending a few people as Members of Parliament or members of the State Legislature. Radical steps have to be taken if we are to solve this problem. But for our father of the nation, Mahatma Gandhi, it would not have been possible for us to come to this level. We have to admit that, I hope even my hon. friend, Shri Gaikwad, would agree with me when I say that but for that great soul, it would not have been possible for the Scheduled Caste people to come up to this level. So, I always think that this problem can be solved only by great souls. If I may say so, it is impossible for us to spare our Panditji for this work; but if we can get such a great personality, I think this problem can be solved. Otherwise, it cannot be solved because it has almost become an instinct with other people.

Here I will refer to a personal experience. Only a few days ago. I had been to the Legislative Assembly in Madras and I was talking with a few friends of mine. A member of that Assembly, whom I have not met earlier, was speaking with me freely, perhaps, he did not know that I belong to the Scheduled Caste—and he gave me all the respect due to a Member of Parliament. Then, after some time, he asked me of the caste to which I belong. I told him in reply that I am a harijan. The next day, when I met him and wished him, he started talking to me in the third person, without showing the respect or regard which he was showing the previous day. He treated me more or less as a servant. I am not blaming him for this, because it has almost become an instinct with other people.

Therefore, I feel that only a psychological revolution can solve this Scheduled Caste people. After all, even among the Scheduled Castes, only the advanced people are taking advantage of the membership of the legislatures and appointments. To bring about a classless society we

[Shri Ayyakannu]

have to bring a psychological revolution, as that alone can solve this problem.

For this we have to make a lot of propoganda and we have to produce a lot of literature. After Mahatma Gandhi this kind of an enthusiasm is lacking. This problem cannot be solved even by this Government. As our hon. Deputy Minister has rightly said, private agencies are the proper organs for this because they can carry on this with a religious zeal and with some kind of a fervour and enthusiasm. Then only this problem could be solved.

I would like to refer to only one or two problems with regard to appointments. The service conditions of the Scheduled Castes are still very inadequate although the Government is taking every possible step. Our Government have laid down so many policies in this regard, as, for example, when cases of Scheduled Castes people are taken up for promotion they should be considered sympathetically and leniently. The standard should also be viewed. All these things are laid down in instructions and even in our Constitution. Still, I feel that the executing machinery is not implementing these. Everywhere it is so. I have very great respect for the Service Commissions, yet we see that whereas some 20 or 30 persons pass in the written examination every year, actually only one or two or three persons are selected for appointment. This is a very low percentage. Therefore I suggest to our hon. Deputy Minister to seriously consider having a special examination for the Scheduled Castes alone. Once you had an Assistants' Examination for the Scheduled Castes alone and you selected the best men among them. I request you to think on the same lines and see whether it is possible for the Government to conduct a special IAS and IFS examination for selecting the best men among the Scheduled Castes. That is one suggestion that I would like to make in

this regard and this should be thoroughly examined. I hope our hon. Deputy Minister will say something about this in her concluding remarks because service conditions are very important.

Then, in view of the Supreme Court judgment the Home Ministry should think and also advise other departments to take steps for seeing that they have this kind of reservation for promotion to the selection posts also. Apart from this, as I have told you, this time I am not very much inspired on this subject and therefore I conclude with these remarks.

श्रीमती जयबेन शाह (गिरनार)

शैड्यूल्ड कास्ट एवं शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने कई बातों का अपने भाषणों में जिक्र किया है। मैं एक ही बात के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। हमारी डिप्टी मिनिस्टर साहिबा ने स्केवेंजिंग सिस्टम के बारे में कुछ कहा और इस पर दुःख भी प्रकट किया है। इसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस विषय में मैं समझती हूँ कि पिछले तेरह वर्षों में हम कुछ भी नहीं कर पाये हैं। हमें चाहिए था कि हम इसकी शुरुआत तो कर देते लेकिन वह भी हमने नहीं की है। इसका क्या कारण है, यह मैं चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें, तो प्रकाश डालें। हम दो योजनाओं को पूरा कर चुके हैं और उनके दौरान में इसके बारे में हम कुछ न कुछ तो अवश्य कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसका क्या कारण है? क्या हम इसके बारे में कोई स्कीम भी नहीं बना सकते थे, क्या हम कोई टाइम-लिमिट्स भी नहीं फिक्स कर सकते थे, कि इतने समय में हमारे देश से यह जो इनह्यूमन सिस्टम है, यह जो स्केवेंजिंग सिस्टम है, मैला सिर पर उठा कर ले जाने की जो प्रथा है जो कि भद्दी प्रथा है, इसको खत्म किया जाए। मैंने पूरी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी है

लेकिन यह बूढ़ने का अवश्य प्रयत्न किया है कि इसके बारे में कुछ कहा गया हो लेकिन कुछ भी नहीं कहा गया है। मैंने यह बूढ़ने का भी प्रयत्न किया है कि किसी जगह पर पायलट प्राजैक्ट के तौर पर शुरू इसको किया गया है या नहीं, लेकिन यह भी मुझे देखने को नहीं मिला है। तीसरा प्लान जो कल हमारे सामने रखा गया है, उसको मैं पढ़ तो नहीं सकी हूँ लेकिन उसमें से यह देखने का मैंने ज़रूर प्रयास किया है कि इसके बारे में उसमें कुछ कहा गया है या नहीं और उसमें मैंने पाया है कि इसके बारे में दो तीन लाइनें लिखी गई हैं मगर जो हम चाहते हैं इसको जल्दी से खत्म किया जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस तरह से इसका जिक्र न देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ है और यही कारण है कि मुझे बोलने के लिये विवश होना पड़ा है, मुझे बोलने की प्रेरणा मिली है।

दुनिया में अमरीका वाले और रशिया वाले स्पेस पर विजय पाने की तैयारी कर रहे हैं और यह इस बात का द्योतक है कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। विज्ञान की तरक्की को देख कर हमें गर्व और खुशी का अनुभव होता है। मगर जब हम अपनी बहनों और भाइयों को सिर पर मैला उठा कर जाते हुए देखते हैं तो हमारा सिर मानों शर्म से झुक जाता है। हमने लोक शासन और डेमोक्रेसी को अपनाया है और हम ह्यूमन डिगनिटी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मगर जब हम इस कुप्रथा को देखते हैं तो विवश हो जाते हैं इस नतीजे पर पहुंचने को कि ह्यूमन डिगनिटी और ह्यूमन राइट्स कहां पर हैं? बेशक आज मेरी पार्टी की सरकार है मगर मुझे यह कहने में दुःख होता है कि इस बारे में हम जितने निर्बल रहे हैं, इतने निर्बल शायद और किसी काम में नहीं रहे हैं। जितनी इंटेसिटी हमें इस काम के लिये दिखानी चाहिए थी,

हमने नहीं दिखाई है। थोड़े से पैमाने में भी अगर हमने इंटेसिटी दिखाई होती तो यह काम शुरू हो गया होता। मगर हमने ऐसा नहीं किया। अगर हमारे दिल में इंटेसिटी आ जाए तो काम को किये बिना हम नहीं रह सकते हैं।

एक तरफ हम देखते हैं कि जो भंगी हैं, जो इस काम को करते हैं, वे इस को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। जिन लोगों का यह काम है वह समझते हैं कि इस को करने का उन का पूरा अधिकार है और यह काम उन के लिये सुरक्षित रखा हुआ है और इस पर उन का वैसा ही अधिकार है जैसा जमांदारों का या राजा महाराजाओं का पुराने जमाने में अपनी जमीनों पर या अपनी रियासतों पर अधिकार हुआ करता था दूसरी ओर जो सवर्ण हिन्दू हैं उन के दिल कुछ पत्थर जैसे बन गये हैं। उन के दिलों में भी ऐसी भावना नहीं आती है कि उन से यह काम छुड़वाया जाये। और ऐसी बात सुन कर मैं दंग रह जाती हूँ कि हम में से कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जो यह सोचते हैं कि भंगी लोगों का जो अधिकार है उन के इस अधिकार को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो उस के लिये हमें उन को कम्पेन्सेशन देना चाहिये। जिस जमाने में हम रह रहे हैं इस जमाने में इस तरह की प्रथा को जारी रहते देख कर आश्चर्य होता है। आज हम पोलिटिकल इक्वैलिटी की बात करते हैं, पोलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। लेकिन जहां पर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और इक्वैलिटी नहीं होती वहां ये लोग पोलिटिकल राइट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। कुछ भाई कह सकते हैं कि मैं स्वामी बाने कर रही हूँ। मगर मैं समझती हूँ कि यह कोई कठिन बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो हो न सके। इसको खत्म किया जा सकता है। अगर हम यह सोचते हैं कि हर एक शहर में वाटर वर्क बन जायें, ड्रेनेज सिस्टम बन जाये तब हम

[श्रीमती जयाबेन शाह]

इस की ओर ध्यान दें और तब तक के लिये चुप बैठें रहें और कुछ न करें, तो यह मेरी समझ में बात नहीं आती है। मेरा भी कुछ तजुर्बा है और मुझे मालूम है कि इस बारे में सोचने वाले हमारे देश में कुछ लोग हैं और उन्होंने ने रास्ता भी बनाया है।

मलकानी कमेटी बनाई थी, और उस में काफी वक्त हुआ अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी। उस रिपोर्ट को हमें क्यों बांटा नहीं गया है, इस को मैं समझ नहीं पाई हूँ। यह कोई खानगी चीज नहीं है कि दूसरों को इस न बताया जाये। इस पर सभी को विचार करने का तथा अपने मुझाव देने का अवसर दिया जाना चाहिये। मैं आशा करती हूँ कि इस रिपोर्ट को शीघ्र ही प्रकट किया जायेगा और शीघ्र ही इसे हमारे हाथों में दे दिया जायेगा।

इस प्रथा को खत्म करने के लिये कुछ न कुछ इम्पेमेन्ट्स, कुछ न कुछ साधन अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज को दे दें जिस से इंसानों को सिर पर जो मैला उठाना पड़ता है वह बन्द हो सके तो इस को शीघ्र ही खत्म किया जा सकता है। इस को खत्म करने के लिये कोई इतने अधिक पैसे की या इतनी बड़ी स्कीम की जरूरत नहीं है। यह बहुत आसान चीज है। अगर कोई कहे कि यह हल हो सकता है, तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी तकलीफ उठाये तो इस स्थिति में हम कुछ न कुछ फर्क कर सकते हैं। मैं यह बात इसलिए दोहराती हूँ कि कांस्टीट्यूशन की यह जिम्मेदारी हम पर डाली है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के हकों में और उन की जो स्थिति है उस में सुधार करने का हमारा कर्तव्य है। इस के लिये हम ने क्या किया है? अगर हम उन की तरफ ध्यान दें तो हम उन की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं, यह तो है ही, लेकिन जहां तक अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न है, जब तक हमारे जैसे लोग, जिन को सवर्ण कहे जाते

हैं, जो सनातनी हैं, वे कदम उठाने के लिये तैयार नहीं होते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जितने दिन तक वे भंगियों को अपने सिर पर मैला उठा कर ले जाते देखते हैं तब तक उन के दिल से अस्पृश्यता निवारण होना निहायत कठिन है। इसलिये सब से पहले तो हमें यह करना चाहिये कि अगर हम दूसरी जगहों पर कम पैसे भी लगायें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा कानून बनायें कि जो हमारी थर्ड फाइव इयर प्लान चल रही है उस के दौरान हम इस खराब को दूर करेंगे। मैं तो इस से भी आगे जाने के लिये तैयार हूँ कि इस में भी बहुत सी तकलीफें हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंटों पर रक्खी गई है। हम देखते हैं कि स्टेटों में जो जूनियर से जूनियर मिनिस्टर होता है उस को बैकवर्ड क्लासेज का काम दिया जाता है। अगर मेरा बस चले तो मैं मुख्य मंत्री को ही यह काम दे दूँ और कहूँ कि बैकवर्ड क्लासेज का पोर्टफोलियो वे लें। जिस चीज में हमारे देश की प्रेस्टिज का सवाल है उस ओर खास ध्यान दिया जाये और तीसरी पंचवर्षीय योजना में उस को खत्म करने का हम पक्का निश्चय करें। हाउस से भी मेरी प्रार्थना है कि इस के लिये हम सब मिल कर काम करें चाहे यह सरकार हो या दूसरी सरकारें हों। यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह एक नेशनल इश्यू है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि इस के लिये हमें कुछ लेजिस्लेशन करना पड़े। दोनों ओर से हम निर्बल हैं। हरिजन भी नहीं चाहते कि यह प्रथा बन्द हो और हम भी इतने तत्पर नहीं हैं कि इसे बन्द कर दें। तब एक ही चारा हमारे पास रह जाता है कि हम इस के लिये कोई कानून बना दें कि सिर पर मैला उठाना और हाथों से मैला साफ करने का काम करना हमारे देश में दो, तीन, चार या पांच सालों में खत्म होना है। हम इस का निश्चय करें।

इस के बारे में मैं और क्या कहूँ? आज देश में भंगी की हालत खराब है। यह कहना

कि वहां कुछ हुआ है पर हकीकत से ही आख मूदन है। पहले जैसी उन की हालत है ऐसी बात करना मुनासिब नहीं है क्योंकि जिस जमाने में हम पहले जीते थे उस में हमारा राज्य नहीं था। हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हम गृनाम थे। अब जब हमारे सामने यह मौका आया है तो हम क्यों न उस के सवाल को उठायें जो कि पिछड़े हुए लोग या वीकर सेक्शन कहलाता है ? उस में भी जिस चीज को प्रायरीटी देनी चाहिये उस को पहले उठायें। इस सम्बन्ध में मैंने बहुत सी बातें कही हैं। मैं अब इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा मंत्रालय इस काम को शुरू करने का निश्चय करे तो इस सदन को खुशी ही होगी। इस के लिये टाइम लिमिट फिक्म की जाये। अगर हम इस चीज को जल्दी से जल्दी न कर सकें तो कम से कम थर्ड फाइव डियर प्लान में इस चीज को पूरा करें। इस के लिये कोई स्कीम बने तो उस की ओर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे टेरिटरीज हों, जहां पर कि हमारी सत्ता चलती है, हर एक का ध्यान इस की ओर होना आवश्यक है।

इस के पश्चात् हाउसिंग या आवास का प्रश्न है। हमारे देश में आवास का बड़ा सवाल है। गरीब लोगों के पास आवास है ही नहीं। जब हम हरिजनों की ओर देखते हैं तो चाहे वे शहरों में हो या देहातों में, सबों का एक ही हाल है। इस के सम्बन्ध में भी मैं कुछ मुझाव रखना चाहती हूँ। जहां पर म्युनिसिपलिटिज है, लोरल बाडीज है, उन के लिये क्यों यह आब्लिगेटरी बनाया जाय कि जो उस के बर्कस हैं उन के लिये मकान बनाने की जिम्मेदारी वे लें। मेरी समझ में नहीं आना कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं। पैसा होने पर भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। म्युनिसिपलिटिज को हम को समझाना पड़ेगा कि उन को हाउसिंग का प्रबन्ध करना होगा। अगर इसके लिये भी हमें कानून बनाना पड़े तो उस में भी हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये क्योंकि जब ऊपर के लोग चुपचाप बैठे रहेंगे,

जो हमारे जैसे सवर्ण लोग हैं अगर वे चुपचाप बैठे रहेंगे, तब तक पिछड़े हुए वर्ग के लोग ऊपर नहीं आ सकते।

इस सम्बन्ध में मैं यह बात भी कहना चाहती हूँ कि जो भी योजनायें या स्कीमें बनती हैं, चाहे वे कोआपरेटिव की हों या हाउसिंग विभाग की हों, जो लो इनकम ग्रुप वालों की हो वहां पर हरिजनों के लिये प्रबन्ध होना चाहिये। आज ऐसा होता है कि कहीं पर भी अगर हरिजनों के मकान बनाये जाते हैं तो वे बिल्कुल अलग बनाये जाते हैं। जिस तरह से पुरानी हाउसिंग कालोनीज बनती थीं उन में मैं समझती हूँ कि अस्पृश्यता निवारण की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिये जहां पर भी नई हाउसिंग स्कीमें बनें, हाउसिंग मोसायटीज बनें, उन की जमीन में से ५ फी रदी या १० फी सदी प्लाट्स ऐसे रहने चाहिये जिस में हरिजनों के मकान ही बनें। हरिजनों के लिये प्लाट्स पहले से रिजर्व करने चाहिये। लो इनकम ग्रुप वालों में से इन लोगों के लिये जो लॉन दिये जाते हैं वे इंटेरेस्ट फ्री दिये जाने चाहिये। अगर इस तरह से किया जायेगा तो मैं समझती हूँ कि वे लोग गन्दी बस्तियों से निकल कर जहां हम रहते हैं वहां पर आ सकेंगे। आज कल हरिजनों में से पढ़े लिखे लोगों को भी हमारे यहां मकान नहीं मिल सकता है। सवर्ण लोग उन को मकान देने के लिये तैयार नहीं होते हैं। इस कारण पढ़े लिखे हरिजनों को भी गन्दी बस्तियों में जा कर रहना पड़ता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जहां पर भी हाउसिंग स्कीम हों उन में हरिजनों के मकानों के लिये पहले से प्लाट रिजर्व किये जायें।

ड्रिंकिंग वाटर के बारे में भी यह बड़े दुख की बात है कि आज बहुत से ऐसे देहात हैं जिन में जहां पर पशु पानी पीते हैं वहीं पर हरिजनों को भी पानी पीना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि इस के सम्बन्ध में भले ही कानून बनाया गया हो लेकिन उस पर अमल होना बहुत कठिन है। एक ओर हम देखते हैं कि हरिजनों के अन्दर जो डिसएबिलिटीज़ हैं उन को

[श्री मती ज़ाबेन शाह]

दूर करना है, लेकिन हमें ऐसी परिस्थिति का निर्माण भी करना है कि जिस में जो अधिकार हरिजनों को दिये गये हैं वे उन का पूरा उपयोग कर सकें। यह काम केवल सरकार से नहीं होगा हम जो संसद् सदस्य हैं, स्टेट्स के लेजिस्लेटर्स के सदस्य हैं, सोशल वर्कर्स हैं उनका काम है कि वे लोगों को जाकर समझायें। साथ ही साथ इस सम्बन्ध में जो लेजिस्लेशन हमने बनाये हैं उन पर पूरा धमल भी होना चाहिये और जहाँ पर भी उनका उल्लंघन हो, चाहे वह शहर में हो या देहात में, वहाँ पर लोगों को सजा दी जाये।

मुझे कहनी तो बहुत सी बातें थीं मगर सब से पहले और सबसे अधिक जोर जिस पर देना चाहती थी वह भंगी लोगों की समस्या है जो कि हमारे लिये बड़े शर्म और लज्जा की बात है। उसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करें, उसके लिये हम अपना सारा ध्यान लगायें, मजबूती से सिर उठा कर आवाज लगायें और अपनी सरकार को मजबूर करें कि पांच साल के दरम्यान पूरी तरह से इस समस्या को खत्म करें। यही मेरी आप से और मन्त्री महोदय से प्रार्थना है। और सब बातों के कहने का तो मुझे समय नहीं है लेकिन अगर जो बातें मैंने कही हैं उन पर भी धमल हुआ तो मुझे खुशी होगी।

Shri Subodh Hansda (Midnapur—Reserved—Sch. Tribes): While the Eighth Report was under discussion on the floor of the House, the Speaker gave a ruling that these Reports should be discussed in the House fifteen days after their being laid on the Table of the House. But I am very sorry to see here that this Report has been laid on the Table of the House as early as on the 26th September, 1960.

An Hon. Member: In April 1961.

Shri Subodh Hansda: Now, almost ten months have passed and this report is under discussion on the floor of

the House. I should say that when the Speaker gave the ruling, this report should have been discussed earlier. Because, eleven months have passed and many changes have taken place which we do not know. Even in this report, many suggestions have been made by the Commissioner. But, we do not know what action the State Governments or the Central Government have taken up till now. That has also not been laid on the Table of the House.

16 hrs.

I find from this report that it is not an exhaustive one. The Commissioner himself has admitted that he was not in a position to give a complete picture of the uplift and developmental activities for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If you open the introductory page, you will see that he has sent a number of reminders to the State Governments for the collection of various data, but they have not supplied him in time. It is not only the case that the State Governments have not supplied the various data which he could have incorporated in this report, they have not replied to many letters. The Assistant Commissioners who are working in the States have also not been assisted by the State Governments. The Commissioner himself appealed to the State Governments that they should give a helping hand to the Assistant Commissioners in the collection of various data for this report. But, it is most unfortunate that the State Governments have not come forward to help the Assistant Commissioners. The result was that he was not in a position to give us a complete picture, an up-to-date picture in this report. You will be surprised to know that the figures or achievements of the year 1957-58 have not been fully incorporated in this report. The Governors are responsible for submitting this report in regard to the Scheduled areas. Even the Governors' reports have not been incorporated in this report. The report for 1959-60 has also not been

submitted for incorporation. I am very sorry to mention this. We want to see what action the Governors and the State Governments have taken for the uplift of these people.

I am glad to mention that on the floor of the House it has been stressed that this report should be discussed in all the State legislatures and now I find from the report that many State Governments have taken opportunity to discuss the Commissioner's report in the Legislature. I would request the Government to insist upon all the State Governments to discuss this report in the respective legislature so that the utility of this report can be understood by the State Governments for the better implementation of the welfare projects for the Scheduled Tribes.

I have already said that the report contains various suggestions. In this report various deficiencies and defects were pointed out by the Commissioner. I would like to point out some of the deficiencies or defects about which he has given some suggestions for improvement. Last year we have discussed that there should not be a rush of expenditure at the end of the financial year. To improve the situation, a conference of State Ministers was convened by the Home Minister, and it was discussed that they should adopt some method to avoid this sort of expenditure. But, though this conference was held, the State Ministers did not take it seriously. The result is, the same thing is happening even today. The expenditure figures that are supplied in this report are full of inaccuracies. It does not represent the amount actually spent. If you open page 18, you will find that in some cases only book transfers has been shown, but actually nothing has been done. The Commissioner has pointed out some of these inaccuracies. On page 18, he says:

"In Madhya Pradesh the entire provision of Rs. 30 lakhs was reported to have been spent on the scheme "Communications" during 1958-59, even though not a single pie had been spent.

The Bihar Government reported that a Tussar Sub-station was functioning at Bandgaon in Singhbhum District. The fact is that such a sub-station had never been started there."

There are so many instances which he has pointed out. I see that there are so many inaccuracies in their account. It is only an eye-wash that a huge amount is spent for the welfare of the Scheduled Tribes. There are also very few field staff under the Assistant Commissioners who are working in the field. I would like to suggest that there should be a pledge of co-operation between the State Governments and the Assistant Commissioners. Also the field staff under the Assistant Commissioners should be increased so that they can visit all the schemes for the development of these people.

I would like to point out one more thing. It has been repeatedly said in this House that there should be a consolidated list for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I cannot understand why a Tribe or Caste recognised under the Constitution should be deprived of all the concessions that are guaranteed under the Constitution. If you go to a Scheduled area, you will find that some of the people are Scheduled Tribes. When they go out of that area, they are not recognised as Scheduled Tribes. The result is, they are deprived of various concessions. For instance, in education, they are not given the various concessions guaranteed under the Constitution if they reside outside the Scheduled area. It has been repeatedly stated in this House that there should be a consolidated list of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes throughout the Indian Union. I was told that the Government's attention has been drawn to this matter; but I was not in a position to understand how long the Government will take to finalise this list.

Then, I would like to say something about the services. I was not in a

[Shri Subodh Hansda].

position to understand why full figures have not been incorporated in this report. The Commissioner has pointed out his inability because the figures have not been supplied to him. He has stated that even the Home Minister has not supplied him with the necessary figures. Even then, if you look at the picture, representation in services is very very miserable. If you look into the in-take figures from 1951-59, you will find that the in-take is about 45 per cent only. Various arguments have been advanced saying that suitable candidates are not at all available, but I totally disagree on this point. It is not because suitable candidates are not available for all categories of services, but I would say that it is because of the lack of interest on the part of the State authorities or the appointing authorities that's why these reserved vacancies are not being filled up. I would like to cite some examples in this connection.

In June, 1960, there was a competitive examination for filling up the reserved vacancies for the posts of assistant superintendents in the Central Secretariat. The result was out, but even today they have not been appointed to those posts. Also, in the same month, there was a competitive examination in the South-Eastern Railway for filling up the vacancies of reserved posts on that railway, but those appointments also have not been made up till now. There is a clear order from the Railway Board that if suitable candidates are not available from one category, the next lowest category should be taken into consideration, but even that has not been complied with. So, I would repeat that it is not that suitable candidates are not available, but the State authorities or the appointing authorities are not interested in taking them into the services.

If you go to the employment exchanges, you will find that the number of persons registered is gradually increasing but the placement figure is gradually coming down. At page 146

of his report, the Commissioner has stated that:

"The number of Scheduled Castes that remained on the Live Register of Employment Exchanges as on the 31st December, 1959 was 1,71,295 out of which 1,110 were graduates, 20,666 matriculates and 1,49,519 non-matrics."

In the case of Scheduled Tribes also, he has stated that the number of persons registered is going down. I cannot understand why it is going down. What I feel is that possibly the tribals have lost confidence in the employment exchanges. If you look at the figures in this regard, you will find that as on 31st December, 1959, 19,768 were on the live register, out of which 84 were graduates, 1,373 matriculates and 18,311 non-matriculates. So, I cannot understand how there is dearth of candidates, for filling up these vacancies.

In regard to the technical posts, the authorities also say that suitable candidates are not available. I do agree that the position may be so in regard to the higher technical posts. But what about those people who are taking technical training in the industrial training institutes? Why are they not absorbed in the appropriate technical posts for which they are trained? If technical persons are not available for filling up these technical posts, what steps have Government taken to train these people? Even the trade apprentices are not absorbed in the proper posts? Is it that even they are not qualified for the technical posts at the lower level? I would like to point out once again that it is not that these candidates are not suitable or that there is dearth of candidates, but it is the appointing authorities who are playing this mischief. So, I should say that Government should take very strong and dynamic action to fill up all these reserved vacancies.

Mr. Chairman: Since a number of hon. Members want to speak, may I

suggest that the time-limit for speeches may now be reduced to ten minutes? Is it the sense of the House that it may be reduced to ten minutes?

Shri B. K. Gaikwad: Instead of reducing the time-limit of hon. Members, why not extend the time? This is a very important report.

Mr. Chairman: That is a different matter. Let the House decide first whether the time-limit should be reduced to ten minutes.

An Hon. Member: Yes.

Shri B. K. Gaikwad: Then, that can be reconsidered.

Mr. Chairman: We shall consider that later. I only want to know whether it is the sense of the House that the time-limit may be reduced to ten minutes.

Shri B. K. Gaikwad: Please do not reduce the time-limit of the speakers. Within ten minutes, a Member cannot express himself. There are two big reports, and how can an hon. Member express himself only for five minutes on each report? The time should be extended.

श्री रामशरण (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आयुक्त महोदय को बधाई देना चाहता हूँ उस लगेन और कार्यक्षमता के लिए जो कि इस रिपोर्ट में श्रोत-श्रोत है। इस रिपोर्ट में यह तीव्र उत्कण्ठा पाई जाती है कि इन पिछड़ी हुई जातियों का किस प्रकार भला हो और साथ ही साथ समाज पर यह जो अस्पृश्यता और छद्मछूत का कलंक है यह एक बड़ा भारी कलंक है किस प्रकार से यह लानत दूर हो।

इस रिपोर्ट में कुछ कमियाँ पाई जाती हैं और खुद आयुक्त महोदय ने बतलाया है कि उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं, उनसे समय पर उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के

उत्तर जो उन जातियों के सम्बन्ध में पूछे जाते हैं, नहीं मिलते हैं हैं।

रिपोर्ट को देखने से मालूम होगा कि बहुत सी राज्य सरकारें रिपोर्ट के लिए रैलेबैंट डेटा इकट्ठा नहीं कर सकी हैं। करीब ६० सरकुलर्स तमाम राज्य सरकारों, यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज को भेजे गये थे और स्टेटमेंट को देखने से मालूम होगा कि राज्य सरकारों द्वारा काफी महत्वपूर्ण सरकुलर्स के भी जवाब नहीं दिये गये।

मिसाल के लिए मैं आपको बतलाऊँ कि उड़ीसा को ३० सरकुलर्स भेजे गये थे जिनमें से कि २५ का उत्तर समय पर नहीं दिया गया। इसी तरह बम्बई को ३० सरकुलर्स भेजे गये थे जिसमें से कि २४ का उत्तर समय पर नहीं दिया गया। केरल को भी ३० सरकुलर्स भेजे गये जिनमें से कि उसने २१ का उत्तर समय पर नहीं दिया। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब इस तरह से बड़ी बड़ी स्टेट्स का उत्तर नहीं मिलता है तो रिपोर्ट किस प्रकार से पूर्ण हो सकती है।

इसमें यह भी कहा गया है कि गवर्नर महोदयों को शेड्यूल्ड ऐरियाज की बाबत अपनी रिपोर्ट्स प्रेसीडेंट को आर्थिक वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के अन्दर दे देनी चाहिए लेकिन सिवाय राजस्थान के और किसी राज्य से वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

यह भी कहा गया है कि जहाँ तक बेलफेयर ऐक्टिविटीज का सम्बन्ध है समय पर रिपोर्ट्स नहीं मिलती हैं। आखिर में यह भी बतलाया गया है कि सन् १९५७ तथा १९५८ के बारे में सर्विसेज की क्या स्थिति रही यह तो पिछली रिपोर्ट में दे दिया गया है लेकिन जहाँ तक सन् १९५९ का सम्बन्ध है, हालत यह है कि हमारी होम मिनिस्ट्री से भी जिसके अन्दर यह हमारे आयुक्त महोदय काम करते हैं, उस होम मिनिस्ट्री से भी सर्विसेज

[श्री रामशरण]

के बारे में सन् ५६ की रिपोर्ट नहीं मिली है और इस वास्ते उसका समावेश भी इसमें नहीं किया जा सका है।

पिछली दफे १८ अगस्त को ऐसी रिपोर्ट पर विचार हुआ था और अब की बार उस पर विचार ८ अगस्त को हो रहा है। इस बार पहले की अपेक्षा १० दिन पहले रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि जैसे ही यह रिपोर्ट सदस्यों को बांटी जाये उसके १५ दिन के अन्दर ही हमारे मन्त्री जी इस बात का प्रयत्न करें कि उस पर विचार शुरू हो जाये और उसपर बहस करने का प्रस्ताव लायें। वैसे तो यह रिपोर्ट मार्च के अन्त तक की ही होती है। सितम्बर मास के खत्म होने के पहले इसको समाप्त करके राष्ट्रपति को दे दिया जाता है और उसके बाद यह उम्मीद की जाती है कि दिसम्बर के महीने में इस रिपोर्ट की छपी हुई प्रतियां सदस्यों में वितरित हो जाये। लेकिन वह अप्रैल में बांटी गई और कम से कम बजट सेशन में उस पर बहस हो जाती तो जो बहस होती उसका अगली रिपोर्ट में कुछ समावेश हो सकता था लेकिन अब तो काफी देरी हो गई है। अब तो पिछले वर्ष की रिपोर्ट तैयार हों गई होंगी और सितम्बर के महीने में यानी अगले महीने में राष्ट्रपति को दे दी जायेगी तथा दिसम्बर में वह संसद के पटल पर रख दी जायेगी और इस कारण इस वर्तमान रिपोर्ट का महत्व बहुत कम हो जाता है। अब आगे जो रिपोर्ट अगले वर्ष आयेगी उसमें इस बहस का नतीजा अगले कुछ दिनों में दे दिया जायेगा।

14.19 hrs.

[Mr. Dy. SPEAKER in the Chair.]

उन जातियों पर जो करोड़ों रुपये खर्च होता है अब तो वह धन ही कम और अपर्याप्त है। लेकिन वह खर्च भी जिस प्रकार से होता है वह भी रिपोर्ट को देखने से मालूम

होता है, ज्यादातर खर्च वर्ष की शुरुआत, दूसरी और तीसरी क्वार्टरली में नहीं होता है बल्कि अन्तिम यानी चौथी क्वार्टरली में होता है और वह भी इस तरह होता है कि बहुत सारा खर्च ३१ मार्च को होता है। वह खर्च किस प्रकार से होता है साधारण लोग जो कि इस प्रकार के ३१ मार्च के खर्च से परिचित हैं उनको पता होगा कि रुपये का उस मीके पर कितना अव्यय होता है। बहुत सारा खर्च तब भी नहीं हो पाता है और वहाँ के क्लेक्टर्स अपने पर्सनल लैज़र में या ट्रेजरी के रिजर्वड डिपॉजिट्स में उसे एकाउण्ट फार कर देते हैं। इस तरह से जो खर्च होता भी है वह ठीक प्रकार से उनकी भलाई के वास्ते खर्च नहीं हो पाता है।

प्रश्न यह उठता है कि अस्पृश्यता का जो बड़ा भारी कलंक हमारे समाज के ऊपर लगा है वह हमारे देश में कितना फैला हुआ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सन् १९५५ का कानून बन जाने के बाद और संविधान में इस प्रकार का प्राविजन हो जाने के बाद कि सब लोग बराबर हैं, अस्पृश्यता अब नहीं रही है। लेकिन हम देखते हैं कि वास्तविकता कुछ और है और संविधान में व्यवस्था होना के उपरांत भी अस्पृश्यता हमारे बीच विद्यमान है। आयुक्त महोदय ने भी अपना एक तरीका बर्ता है और उन्होंने इसके वास्ते पिछली रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सर्वे कराया। उस वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान में ५१ गांवों में मन्दिर-प्रवेश, कुआँ और नाइयों आदि के सम्बन्ध में हरिजनों की स्थिति का सर्वे किया गया और यह देखने की कोशिश की गई कि उनमें कहां तक अस्पृश्यता बरती जाती है। उससे पता चलेगा कि बहुत कम गांव ऐसे हैं, जिन के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से अस्पृश्यता से बरी हो गये हैं। आयुक्त महोदय ने राज्य सरकारों को उन गांवों की सूचियां तैयार करने के लिये कहा है, जिन में छूमाछूत नहीं

है, या जिनमें छद्मछूट पाई जाती है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, मैसूर और पंजाब राज्यों ने ऐसे गांवों की सूची तैयार करना स्वीकार कर लिया है, जहां अस्पृश्यता प्रचलित है और बम्बई और उत्तर प्रदेश ने ऐसे गांवों की सूची बनाना मंजूर कर लिया है, जहां से अस्पृश्यता खत्म कर दी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में साढ़े पांच लाख गांव हैं। जैसा कि कई भाइयों ने कहा है, उनमें से चन्द ही गांव ऐसे होंगे, जिन के बारे में यह कहा जा सके कि वहां अब अस्पृश्यता नहीं रही वहां रहने वाले एक दूसरे को बराबर समझते हैं और सब के साथ बराबर का बर्ताव होता है। आन्ध्र के बारे में कहा गया कि वहां के कलेक्टरों ने रिपोर्ट दी कि वहां से अस्पृश्यता बिल्कुल चली गई, लेकिन आन्ध्र के रहने वाले जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। वहां पर हजारों गांव ऐसे होंगे, जहां अस्पृश्यता पाई जाती होगी।

अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार से अस्पृश्यता दूर हो। १९५५ के कानून के अनुसार बहुत सी कार्यवाही गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया कि मुकदमों के तय होने में बरसों लग जाते हैं। अगर कोई मुकदमा तय होता है, तो वह रजामन्दी से तय होता है और रजामन्दी इस प्रकार की होती है कि जिसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है, वह ऊंचे दर्जे का आदमी होता है और जिसके खिलाफ अस्पृश्यता बरती जाती है, उसको दबाया जाता है और देरी की जाती है तथा रजामन्दी दिनवाई जाती है।

इसके अनिश्चित केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें प्रापेण्डा और प्रचार के द्वारा, ब्राड कास्टिंग और इन्फ्रमेशन के महकमे के सहयोग, से, फिल्मों और एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन से लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बनाने में सहायक हो सकती हैं, जिससे समाज में मुधार हो। सरकारें सार्वजनिक कर्मियों के लिये, जिन से सब लोगों का सम्बन्ध

हो, इन लोगों को नियुक्त कर सकती है, ताकि लोगों को उन के सम्पर्क में आना पड़े और स्वयं करना पड़े और इस प्रकार अस्पृश्यता को दूर करने में सहायता मिले। रेलवे मंत्रालय ने अपने अधीन पानी पिलाने आदि का काम इन लोगों के सुधुई किया भी है।

लेकिन अस्पृश्यता को दूर करने में सब से अधिक कार्य तो गैर-सरकारी संस्थाएँ और सार्वजनिक कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। यदि वे लगन से कार्य करें, तो अस्पृश्यता को दूर करने में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। हमारे देश में हरिजन सेवक संघ और दलित वर्ग संघ के द्वारा ऐसा कार्य हो रहा है और कार्यकर्ता उस में लगे हुए हैं, लेकिन उन की संख्या बहुत कम है और इस कारण काम अधिक नहीं हो सका है। हरिजन सेवक संघ ने कुछ सघन क्षेत्र स्थापित किये हैं। उस में कुछ गांवों का क्षेत्र ले लिया है और वहां पर एक, दो या तीन कार्यकर्ता बिठा दिये हैं और वे हर प्रकार से छद्मछूट को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस समय तीन प्रदेशों में २२ क्षेत्र चलाये जा रहे हैं मध्य प्रदेश में काफी अच्छा काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा कार्य हो रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि अधिक कार्यकर्ता देश के गांवों में काम करें और धीरे धीरे वहां पर ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि अस्पृश्यता का अन्त हो जाये। वहां से दूसरे क्षेत्रों में भी वही भावना फैलेगी और इस तरीके से छद्मछूट देश से दूर हो सकती है।

छद्मछूट को दूर करने में हरिजन भाई भी सहायक हो सकते हैं। यह स्वाभिमान का प्रश्न है। जिस व्यक्ति के साथ असमानता का बर्ताव होता है, उस के स्वाभिमान पर ठेस लगती है। अगर हरिजन भाइयों में ऐसा स्वाभिमान पैदा हो जाये कि किसी प्रकार के भेद-भाव को बर्दाश्त न करें, तो उन की यह भावना अस्पृश्यता को दूर करने में सहायक

[श्री रामशरण]

हो सकती है। हरिजनों में परस्पर जो अस्पृश्यता बरती जाती है, उस का अन्त करना भी बहुत आवश्यक है। हरिजनों में कुछ निम्न श्रेणी के लोग हैं, बाल्मीकी और महार आदि, जिन के साथ भिन्न भिन्न प्रदेशों में सब से अधिक अस्पृश्यता बरती जाती है। उन को राहत पहुँचाने की बहुत आवश्यकता है। कुछ सदस्यों ने भंगी मुक्ति और भंगी कष्ट मुक्ति का उल्लेख किया है। हमारे देश में अण्णा साहब पटवर्धन इस विषय में विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने सफ़ाई विद्यालय रत्नागिरि जिले में स्थापित किया और वह इस प्रकार के कार्यकर्ता निकालते हैं, जिन का काम यह है कि वे इस प्रकार के कार्य को, जिस को घृणित समझा जाता है, ऐसा बनायें कि वह सफ़ाई से और आसानी से किया जा सके और इस के लिये औजारों में तरक्की की जाये। एक तरफ़ इस कार्य को सफल और सफ़ाई से किया जाने वाला बनाना है, तो दूसरी तरफ़ सवाल यह है कि जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, क्या उन्हीं को नस्ल-दर-नस्ल वही कार्य करने को दिया जायेगा। क्यों न उन के बच्चों को दूसरे कार्य में लगाया जाये? इस के साथ ही उस काम को अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश की जाये, ताकि दूसरे लोग भी उस को करें। एक बहन ने यहाँ पर कहा कि इस प्रकार का कानून बना दिया जाये कि इस प्रकार का कार्य हर एक को खुद करना पड़े और दूसरों से कराने की ज़रूरत न हो। इस समय इस काम को जो घृणित समझा जाता है केवल एक वर्ग पर छोड़ा हुआ है, जिस को अपने काम की मज़दूरी बहुत कम मिलती है। इस वीशस सर्कल से उन लोगों को निकालना है तभी अस्पृश्यता का यह कलंक दूर हो सकेगा और उसको दूर करना समाज के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है और उस के लिये सब को सहयोग देना चाहिए।

Shri R. C. Majhi (Mayurbhanj-Reserved-Sch. Tribes): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you

for giving me this opportunity to speak on this subject.

Many hon. Members have pointed out that there are too many defects in the implementation of the schemes which are meant for the welfare of the backward classes. One of the friends has pointed out that there are many inaccuracies in the progress reports submitted to the Government. He read out some portions. For instance, in Madhya Pradesh, the entire provision of Rs. 30 lakhs was reported to have been spent on tribal communications during 1958-59, but actually the amount has not been spent at all. Similarly, in the progress report for 1958-59 the Mysore Government has shown the figures pertaining to 1959-60, and the figures supplied by the State Government differ from those supplied by the audit department. The Commissioner has been brave enough to point out that such wrong figures have been supplied. In his report he has clearly stated that if this tendency on the part of the State Governments and Union Territories of reporting expenditure on welfare schemes without actually spending the funds is not checked by the Government, planning will have no meaning. I expected the hon. Deputy Minister to refer to this while initiating the debate, but she has not mentioned the steps Government has taken or proposes to take against the officers who have reported such false statements to the Central Government. If they do not take any action, such inaccurate reports will continue.

In the previous report, the Commissioner pointed out the lacunae in selecting multi-purpose tribal blocks. However, they have not been selected according to the agreed formula between the Ministers of the Centre and the States, because, on going through the report, you will find that these blocks have been opened in places where the population of the tribals is less than 50 per cent. They have been opened even in places where

their percentage is 30 or less. In the Third Plan we are going to open nearly 300 such blocks. If we do not take care of this aspect, there will be no meaning in opening such blocks for the tribes, because they will be utilised for the non-tribals.

As early as four years ago the need for consolidating the lists of tribals was stressed. One of my friends has pointed out how the tribes recognised in one State are not recognised in others States. If a tribal happens to go out to another State, he is not recognised as a tribal any longer. I believe the Government will take every step to prepare a consolidated and comprehensive list so that the tribes recognised in one State may be recognised throughout the country, so that they may enjoy the privileges granted to them under the Constitution.

For instance, in Assam there are Santals, Kols, Mundas etc., who are recognised in most of the States, but they are not recognised in Assam. I believe the Government will consider this question sympathetically, and that the Minister will reply to this point.

Shri B. K. Gaikwad has pointed out the difficulty that the students are facing. From what I have seen in my constituency and in other parts also, the actual grants given to the students do not reach the really deserving people. Because stipends are granted and paid after six or eight months, the poor students cannot avail of them, because they have no means to continue in the colleges at their own expense for such a long period. So, Government should take some steps to grant stipends to the students in time, and preference should be given to bright and deserving students who are poor.

The Congress is, no doubt, in favour of prohibition, but I wish to point out that in 1961, especially in Orissa, many Government distilleries have been started, particularly in the scheduled areas. They are mostly located in the

places where tribal people are living. They have got their selling agents in every village. Thereby, they are exploiting the earnings of the tribes, but no step has been taken to curb this tendency. I hope Government will take action to stop the establishment of distilleries.

Government has started a National Park Area in the district of Mayurbhanj, and I wish to point out the pitiable condition of the tribal people there. The tribal people have been living in this area for more than 30 years. Due to this scheme, they are facing a lot of difficulty in their cultivation, because they are prohibited from killing wild animals. The rice, maize etc., that they cultivate are eaten away by the wild animals, and the moment they drive out or kill the wild animal, they are prosecuted under the forest law and harassed like anything. Government is showing sympathy to the wild animal, but not to the poor Adivasis. If they want to establish a National Park Area there, they should take definite steps to rehabilitate these people, and give them some fire arms also to protect their produce from wild animals.

I have done.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Bhattacharya.

श्री प० ला० ब्राह्मणाल (बीकानेर—
रक्षित—अनुसूचित जातियाँ) : उपाध्यक्ष
महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रदेशवार हर
सदस्य को मौका मिलना चाहिये। अगर
इस के लिये समय कम हो तो उसे बढ़ाना
चाहिए।

श्री च० ला० चौधरी (हाजीपुर—रक्षित
—अनुसूचित जातियाँ) : उपाध्यक्ष महोदय,
उन लोगों की तरफ भी तवज्जह हो जो इधर
से कुछ बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें तो
तवज्जह जरूर होगी।

Shri C. K. Bhattacharya (West Dinajpur): Mr. Deputy-Speaker, I am glad that you have given me an opportunity to take part in this debate. I was feeling distressed by some of these speeches. The work of the Commissioner has been continuing for so many years that it should have been recognised that some progress, if not much progress, has been made. The comparative statement, given in these tables, the figures of money allotted and spent, etc. show that progress has actually been made. That fact should have been taken note of by my hon. friends who spoke on this report instead of indulging in some sort of attacks on the Government for causes partly real and partly imaginary.

This is a commendable report which gives a large amount of data from which we find out the way we should proceed in solving this problem. What is the solution? One of my Madras friends referred here to Gandhiji. The solution lies in this and that fact should be noted and remembered by all of us—the removal of what Gandhiji characterised as “bar sinister”, that should be removed and they should cease to be “Scheduled Castes”. That fact should be kept before our minds in all the criticisms that we make and the proposals that we put forward for the Commissioner or for the Government. In fact, in a way, if we continue to stress the importance of castes, the entire body politic will get itself split up and the whole thing will run counter to the policy accepted and adopted by the Government of India and propounded by our worthy Prime Minister for bringing about what he calls the national and social integration. In a society which has accepted Fundamental Rights, which has given adult franchise, and which has accepted the ideal of socialist pattern, there ought not to be much complaint against the actual policy pursued by the Government and the ideals accept-

ed by them. There may be difficulties here and there in the matter of execution but so far as the ideal and the policy are concerned, there ought not to be any complaint regarding what is stated in the Constitution and what the Government has accepted for itself.

The report, I feel, suffers from certain limitations arising out of the very Article in the Constitution which brings it into existence—Article 338. I do not know why the Anglo-Indians have been included with the backward classes. As I was going through the memorandum on the report of the backward classes I find that the recommendation of the Backward Classes Commission is that ‘the Anglo-Indians are not backward, either educationally or socially’. The Government says: ‘The Government agrees with the Commission.’ If that is so, why should the Anglo-Indians be mixed up with backward classes and Scheduled Castes and Tribes? That is a defect, I believe, in the Article itself which must have been the result of some compromise between all these classes so that everybody might have a finger at the pie. That is how we come to it now. If I may suggest, one of the objects of the Commissioner should be to reduce the number of communities in the list of backward classes and that is how a solution will be obtained: not by extending the list but by reducing the list. I may state here that when the Scheduled Castes first came into existence under the Government of India Act, 1935 one particular community of Bengal was put into that list and the leader of that community—I may mention his name—the late Shri B. N. Sasmal, who was a national leader, revolted against it and said: “If it is attempted to put me in the list of Scheduled Castes, I shall resist it with my life.” So, the Government had to drop that particular community to which Shri Sasmal belonged and they are none the worse for it today. So, all the fears from which my hon. friends are suffering will melt into nothingness if only they

would pick up sufficient confidence among themselves and make a stand for their own rights, not as Scheduled Castes but as ordinary citizens standing on the fundamental rights guaranteed by the Constitution. That is the appeal, I make to my hon. friends here.

In some respects, the report itself is working at cross purposes. When I go through page 9, I find that the Government of India have taken a decision that in the 1961 census the enumeration of castes should be confined to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is the policy of the Government and what the report suggests is that unless the caste-wise figures of the other communities, that is, other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes, are available, it will not be easy to decide the quantum of financial help that should be given to them. So, the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is acting at cross purposes with the policy of the Government itself. It is better for him to reconcile himself to the policy that the Government itself has adopted, namely, not to bring in the enumeration of caste in the census reports. I should have been happy if that were so.

I should like to make one more remark. This report suffers from a confusion of thought. The Constitution has clearly laid down that the Commissioner has to make a report about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But in this report a large number of terms come in. Firstly, Harijan is a term which is nowhere accepted or defined in the Constitution. It is better that the term is avoided. In the last report that the Commissioner submitted, he himself quoted the resolution of a conference at Delhi which wanted that the use of the term Harijan should be abolished and avoided. I wonder why he has not himself acted up to the resolution that was passed here. In the last discussion over this report, I think I referred to this aspect.

Then there are other terms also in this report. In the appendix there is a recommendation from some States to the effect that the use of the term Harijan should be abolished. It means nothing. It only confuses the issue. If it is clearly stated that Scheduled Castes and Harijans are convertible terms, there is no difficulty. If it is not clearly stated, the Commissioner should confine himself to the terms used in the Constitution and not stray into other wordings and other terms and enlarge the scope or complicate the scope of his work thereby.

There are some stories of repression here in the report. There are also other things mentioned. In relation to the backward classes, the criterion of a backward class is yet to be determined. The Government itself has not been able to define it. The Commissioner himself admits that the definition has not been made. Yet the recommendations have been made for backward classes. I do not know if the recommendations hang in the air. I had occasion to raise this question at some of the committees relating to the Planning Commission. It ultimately came to educationally backward communities, and if that criterion is adopted, the division at once cuts through the caste barriers. Educationally backward sections are found amongst all castes. You cannot limit it to a particular caste. Educationally backward sections are found in all castes. So, when the question of giving help to backward classes is taken up, that criterion should first be decided. I believe in that matter the recommendation of the Backward Classes Commission will have to be reduced to a large extent, so far as the number of backward classes are concerned. The Commission have given a list of backward classes and the Government itself has rather not been inclined to accept those recommendations. I shall quote what the Government itself says:

"The Commission's list contains as many 2399 communities, out of which 913 alone account for an

[Shri C. K. Bhattacharya]
estimated population of 11:51
crores. Scheduled Castes and
Scheduled Tribes make up another
7 crores. Women, as a class, have
also been regarded as back-
ward."

If we put all of them together, 18
crores plus women as a class, it would
be about 30 crores. So, the whole of
India is full of backward classes! So,
the considerations that the Commis-
sioner may have for the backward
classes will be extended to all and
not limited to particular castes.

I am quoting from the Government's
memorandum and I would request
some of the speakers who have spoken
on this report to make a note of it:

"The emphasis on caste has fur-
ther been highlighted by some
minutes of dissent. The tone and
temper displayed therein bring
into prominence the dangers of
separatism inherent in this kind
of approach. It cannot be denied
that the caste system is the
greatest hindrance in the way of
progress towards an egalitarian
society and the recognition of
specified castes as backward may
serve to maintain and even perpe-
tuate the existing distinction based
on caste."

That is where we should warn our-
selves and take caution that whatever
we may do or say about this report
may not be helpful in perpetuating
the distinction. Rather we should
conduct ourselves in a way so that
we may bring about the ideal as
Gandhiji put it: Let us remove the
'Bar Sinister' from India. Let sched-
uled castes cease to be scheduled
castes and become ordinary citizens of
India as anyone of ourselves.

श्री बा० ला० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय,
मैं आयोग की रिपोर्ट की मुखालिफत नहीं
करता बल्कि मैं उसका तहेदिल से समर्थन
करता हूँ। मैं गृह मंत्री जी को भी मुबारकबाद
देता हूँ और उनके कामों को भी सराहना
करता हूँ। मैं आपकी तबज्जह इस तरह

दिलाना चाहता हूँ कि बैकवर्ड क्लास, नान
बैकवर्ड क्लास, हरिजन और शिड्यूल्ड ट्राइब्स
पर बहुत बहस मुवाहिदा हुआ और उनको
गांधी जी और जवाहर लाल की वजह से
जितनी तरजीह इस मुल्क में दी गयी दूसरे
मुल्क में नहीं मिल सकती थी। हमने देखा है
सन् १९४५ और १९४६ में बैकवर्डों और
हरिजनों के साथ क्या सलूक होता था। आज
हमारे सामने वह सलूक नहीं है। मुझे बड़े
अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सन्
१९४५-४६ में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड
ट्राइब्स को चौकीदार और मिपाही भी में बहाल
नहीं किया जाता था। उनके लिए ब्रैकें अलग
होती थीं और उनको बड़ी नीची निगाह से
देखा जाता था। आज हमारे बीच में गांधी जी
नहीं हैं। हम उनके प्रति और जवाहरलाल जी
के प्रति नतमस्तक है और उनके आभारी हैं कि
आज हमको हरिजन साफ मुथरे दिखायी
देते हैं। और किसी पार्टी ने हमको सीने से
नहीं लगाया चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी हो,
या कम्युनिस्ट पार्टी हो या जन संघ हो या
हिन्दुस्तान की कोई जमहूरियत पार्टी, किसी
पार्टी ने मुझे सीने से नहीं लगाया।

(कुछ आवाजें)

मैं एक बात की तरफ आपकी तबज्जह दिलाना
चाहता हूँ, मैं फिरकापरस्ती के तौर पर नहीं
बोल रहा हूँ। न हिन्दूधर्म न मुसलमानम
बजूजे नाम खुदा दीगर न मी दानम। फिरका-
परस्ती की यहां गुंजाइश ही नहीं है। मैं यह
अर्ज करना चाहता हूँ कि हरिजनों को जो
राहत दी गयी है उसकी मैं सराहना करता हूँ
और उनको जितनी राहत दी जाये ठीक है
लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना
चाहता हूँ कि भूमिदार ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं,
कायस्थ हैं जिनको सौ सौ या ७५-७५ रुपये
गवर्नमेंट आफ बिहार या गवर्नमेंट आफ
उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट आफ इडिया में
क्लर्कों में मिलते हैं, उनके चार लड़के हैं। आप
अन्दाजा कीजिये कि एक एक लड़के की पढ़ाई
पर चालीस चालीस और पचास पचास रुपये

खर्च होता है। अब आप अन्दाजा कीजिये कि ऐसा आदमी अपने लड़कों को कैसे पढ़ा सकता है मैं इस तरफ आपकी तबज्जह दिलाना चाहता हूँ। दरभंगा और बिहार के बहुत से अन्य जिलों में मैथिल ब्राह्मण हैं। वे सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। जब वे मर जाते हैं और उनकी स्त्री विडो हो जाती है तो वह किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए चिन्तित होती है, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। कायस्थों की भी यही हालत है। कायस्थों और ब्राह्मणों में दूसरे विवाह की गुंजाइश नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के मरने के बाद उनके बच्चों को पढ़ाने में जो कठिनाई सामने आती है उसकी तरफ मैं आपकी तबज्जह दिलाना चाहता हूँ। आप कुछ बैंकवर्ग लोगों को स्कालरशिप देते हैं। लेकिन आप देखें कि संस्कृत के विद्यार्थी हैं जो कि सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आदि धर्मसमाज, या संस्कृत कालिजों में पढ़ते हैं वे ब्राह्मणों के लड़के ६ कोस आते हैं और ६ कोस जाते हैं केवल पढ़ने के लिए। उनकी तरफ आप ध्यान दें। मेरा निवेदन है कि जो गरीब हैं चाहे वे राजपूत हों या ब्राह्मण हों या कायस्थ हों उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। हमें देखना है कि जो गरीब विद्यार्थी हैं वे चाहे संस्कृत के विद्यार्थी हों या आई० ए०, बी० ए० के विद्यार्थी हों सभी की सहायता करनी चाहिए। मेरे सामने जाति का कोई सवाल नहीं है। सब बच्चे नेशन की दौलत हैं, ब्राह्मण का लड़का भी और हरिजन का लड़का भी। और बैंकवर्ग का लड़का भी। आपको उसके माता पिता की गरीबी की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने म्युनिसिपल लाइट से पढ़ कर हिन्दुस्तान के झंडे ऊंचे किये। हो सकता है कि आप जो लाखों स्कालरशिप देते हैं उनके पाने वाले नाकाबिल निकलें। लेकिन जो पाठशालाओं में कुश की चटाई पर बैठ कर चारों वेदों और छहों शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उन गरीब विद्यार्थियों की ओर भी आप ध्यान दें। मैं ने देखा है कि दरभंगा में बहुत सी

विधवाएँ चरखा कात कर अपनी जिन्दगी बसर करती हैं। वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौनसा उपाय करें। वे बड़ी चिन्ता में रहती हैं कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएँ। तो मैं आपका ध्यान उनकी तरफ खींचना चाहता हूँ।

17 hrs.

हम यह नहीं चाहते कि आप हिन्दुस्तान को जातियों के हिस्सों में तकसीम कर दें। मैं तो सारे देश के लोगों को एक जाति का मानता हूँ। हमारे बेदों के काल में देश में केवल दो जातियाँ मानी जाती थीं, एक आर्य और एक अनाय। आर्य उनको कहते थे जो कि शिक्षित होते थे और जो जाहिल और गुमराह होते थे उनको अनाय कहा जाता था। मैं चाहता हूँ कि देश में जो गरीब हैं उनको स्कालरशिप दिये जायें क्योंकि उनको स्कालरशिप की जरूरत है। अगर आप इस नुकते निगाह से स्कालरशिप देंगे तो मैं सन्नता हूँ कि आप को तथा देश को काफी कामयाबी मिलेगी। आप ने जो मुझ बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत शुकृगुजार हूँ। वैसे कहना तो मुझे अभी काफी था लेकिन संक्षेप में मैं ने अपने विचार सदन के सामने प्रकट कर दिये। चूँकि इस सदन का समय बहुत कीमती है इसलिए मैं और अधिक समय न लेता हुआ अपनी जगह पर बैठ जाता हूँ।

Shri Thimmaiah: Mr. Deputy-Speaker, I thank you for giving me a chance to speak when there is very little time. I shall make only a few observations. The Report has made certain recommendations and indicates the correct position of people belonging to the Scheduled Caste, as it exists today.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member might continue his speech tomorrow.

17.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 9, 1961|Sravana 18, 1883 (Soka).